

## अध्याय I

### राज्य वित्त का विहंगावलोकन



# अध्याय I : राज्य वित्त का विहंगावलोकन

यह अध्याय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान के वित्त का एक संक्षिप्त झलक प्रस्तुत करता है, जिसमें जनसांख्यिकी, आर्थिक संकेतक और राज्य की राजकोषीय संरचना शामिल है। इसमें राजस्व और व्यय, ऋण स्तरों और राजकोषीय घाटों के रुझानों का विश्लेषण किया गया है, तथा लगातार असंतुलन और उधार पर निर्भरता को प्रकट किया गया है। यह अध्याय उच्च प्रतिबद्ध व्यय, निवेश पर कम प्राप्ति आदि मुद्दों पर प्रकाश डालता है।

## 1.1 राज्य की रूपरेखा

राजस्थान राज्य परंपरा और आधुनिकता का संगम है, जहाँ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत मज़बूत आर्थिक विकास से मिलती है। यह भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सामरिक रूप से स्थित है और इसमें 41 जिले तथा 44,672 (जनगणना 2011 के अनुसार) गाँव शामिल हैं। 31 मार्च 2025 तक इसकी जनसंख्या 8.27 करोड़ (भारत की कुल जनसंख्या का 5.85%) थी तथा जनसंख्या घनत्व 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर (जनगणना 2025 के अनुसार) था। यह अनुभाग- राज्य की जनसांख्यिकी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय का एक संक्षिप्त विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

### 1.1.1 राज्य की जनसांख्यिकी

निम्न तालिका 1.1 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्य की जनसांख्यिकीय विवरण को प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 1.1: राज्य की जनसांख्यिकीय रूपरेखा

|                                                                                                                         | राजस्थान | राष्ट्रीय औसत |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| ग्रामीण जनसंख्या (प्रतिशत) (जनगणना अनुमान 2011-2036)                                                                    | 73.10    | 64.30         |
| शहरी जनसंख्या (प्रतिशत) (जनगणना अनुमान 2011-2036)                                                                       | 26.90    | 35.70         |
| जनसंख्या घनत्व (भारत की जनगणना, 2011)                                                                                   | 242      | 430           |
| लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुष (भारत की जनगणना, 2011)                                                                     | 952      | 947           |
| शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित जन्म (नमूना पंजीकरण प्रणाली, सांख्यिकीय रिपोर्ट सितंबर 2025)                           | 32       | 28            |
| 15-49 वर्ष की आयु वर्ग की प्रति लाख महिलाओं पर मातृत्व मृत्यु दर (भारत में मातृत्व मृत्यु दर पर एसआरएस बुलेटिन 2021-23) | 7        | 5             |
| कुल प्रजनन दर (वर्षों में) (एनएफएस-5, 2019-21), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय                                    | 2.01     | 1.99          |
| जन्म पर जीवन प्रत्याशा (एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका 2019-2023)                                                  | 70.4     | 70.3          |
| गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (गरीबी अनुपात) (बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2023, नीति आयोग)                                 | 15.31    | 14.96         |
| साक्षरता दर (प्रतिशत) (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24)                                                                 | 75.8     | 80.9          |

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि जहाँ राज्य ने कुल प्रजनन दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और लिंग अनुपात जैसे जनसांख्यिकीय संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम थी।

केंद्र सरकार के लक्ष्यों की तुलना में जनसांख्यिकीय संकेतकों में कम प्रदर्शन को राज्य एक व्यापक रणनीति, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक निर्धारकों में सुधार, परिवार नियोजन सेवाओं को सुदृढ़ करना और क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन शामिल है, अपनाकर दूर कर सकता है।

### 1.1.2 राज्य की अर्थव्यवस्था

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) और प्रति व्यक्ति आय राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक हैं, जैसा कि अगले अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

#### 1.1.2.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय

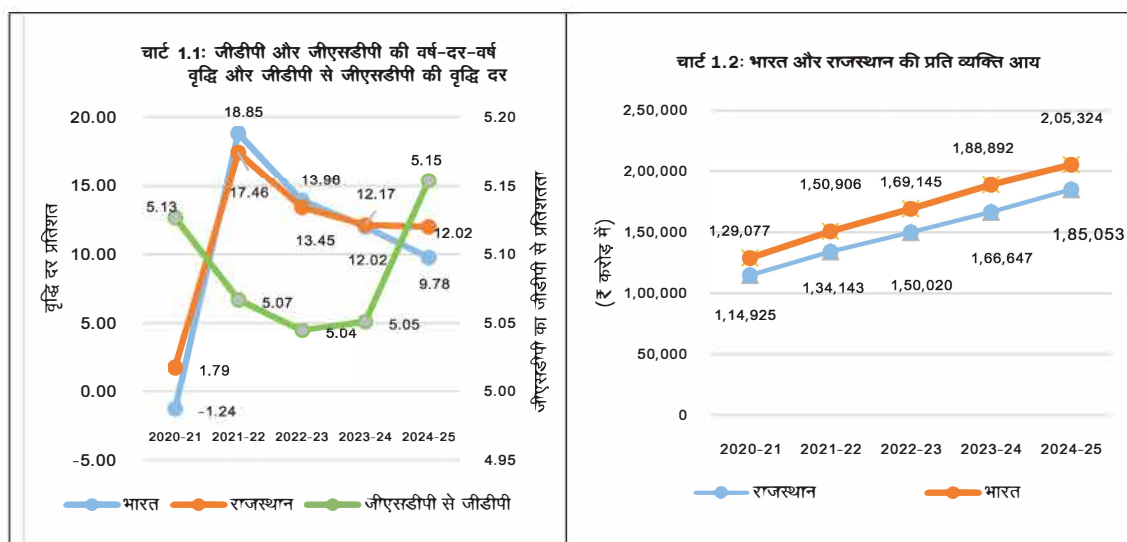
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है, जबकि जीएसडीपी इसी का राज्य स्तर पर मापन है, और दोनों आर्थिक विकास तथा समग्र प्रगति को दर्शाते हैं। जीएसडीपी और जीडीपी की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.2 में प्रस्तुत की गई हैं। जीएसडीपी और जीडीपी की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि तथा जीडीपी में जीएसडीपी का योगदान चार्ट 1.1 में दिया गया है, और देश की प्रति व्यक्ति आय तथा राज्य की प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) चार्ट 1.2 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.2: भारत की जीडीपी की तुलना में जीएसडीपी की प्रवृत्तियाँ (वर्तमान मूल्यों पर)

| वर्ष                       | 2020-21     | 2021-22     | 2022-23     | 2023-24     | 2024-25     |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| जीडीपी (करोड़ ₹ में)       | 1,98,54,096 | 2,35,97,399 | 2,68,90,473 | 3,01,22,956 | 3,30,68,145 |
| जीएसडीपी (करोड़ ₹ में)     | 10,17,917   | 11,95,641   | 13,56,480*  | 15,21,510*  | 17,04,339*  |
| राजस्थान की पीसीआई (₹ में) | 1,14,925    | 1,34,143    | 1,50,020    | 1,66,647    | 1,85,053    |
| भारत की पीसीआई (₹ में)     | 1,29,077    | 1,50,906    | 1,69,145    | 1,88,892    | 2,05,324    |

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

\* वर्ष 2022-23 के लिए अनंतिम अनुमान (पीई), 2023-24 के लिए त्वरित अनुमान (क्यूई) और 2024-25 के लिए अग्रिम अनुमान (ईई)



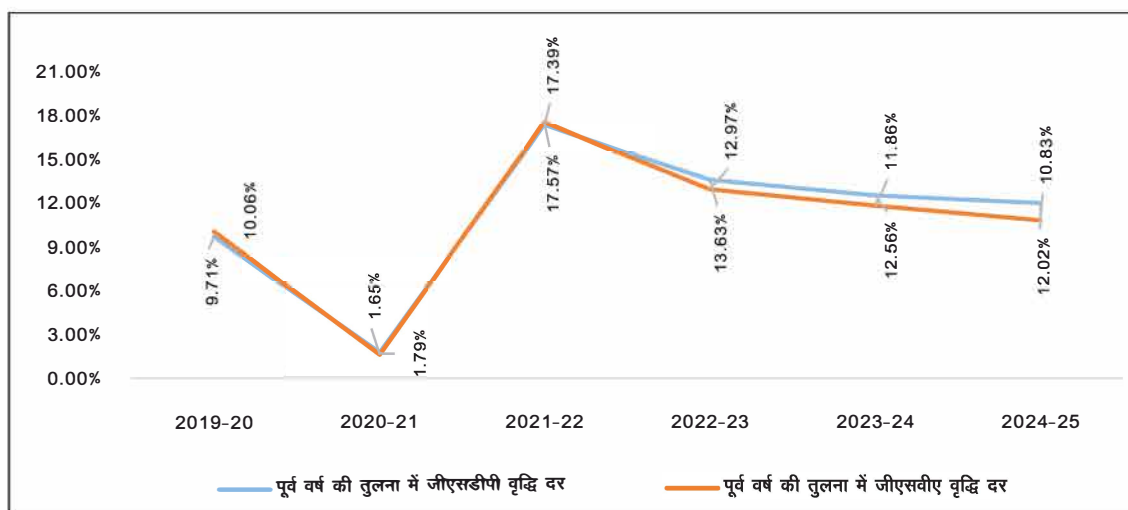


वर्तमान मूल्यों पर वर्ष 2024-25 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) पिछले वर्ष की तुलना में 12.02 प्रतिशत बढ़कर ₹ 17,04,339 करोड़ हो गया। जीएसडीपी की 12.02 प्रतिशत वृद्धि दर, जीडीपी की वृद्धि दर (9.78 प्रतिशत) से अधिक थी। राज्य का जीएसडीपी, भारत के जीडीपी का 5.15 प्रतिशत रहा।

प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) जीवन स्तर का एक महत्वपूर्ण सूचक है। वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय, भारत की प्रति व्यक्ति आय ₹ 2,05,324 की तुलना में ₹ 20,271 कम थी। हालांकि, वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 61.02 प्रतिशत की वृद्धि, इसी अवधि में देश की प्रति व्यक्ति आय में हुई 59.07 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में मामूली रूप से अधिक थी। वर्ष 2024-25 में जीएसडीपी की वृद्धि दर का मुख्य कारण राज्य में कृषि और सेवा क्षेत्रों में वृद्धि रहा।

वर्ष 2019-20 से 2024-25 की अवधि में जीएसडीपी और सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) की प्रवृत्ति नीचे चार्ट 1.3 में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.3: प्रचलित भावों पर जीएसडीपी की तुलना में जीएसवीए की वृद्धि दर (2019-20 से 2024-25)



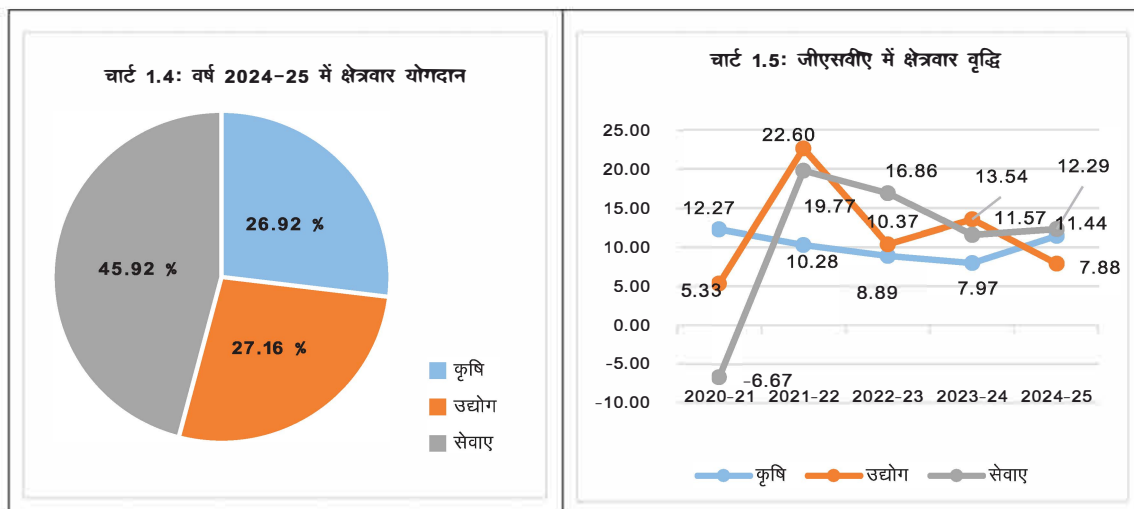
स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

### 1.1.2.2 जीएसवीए में क्षेत्रवार योगदान

सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) का उपयोग भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे-आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जाता है, क्योंकि इसे जीडीपी की तुलना में आर्थिक वृद्धि का बेहतर संकेतक माना जाता है, चूंकि यह करों और सब्सिडियों के प्रभाव को अलग रखता है। जीडीपी को अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न व्यय-जैसे निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय और सकल स्थिर पूंजी निर्माण या निवेश व्यय-को जोड़कर भी गणना किया जाता है, जो मूल रूप से अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को दर्शाता है। दोनों मापदंडों में शुद्ध करों के उपचार में अंतर होता है, जिसके कारण जीडीपी में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन स्थिति से भिन्न हो सकता है। नीति-निर्माताओं के दृष्टिकोण से, बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप करने के लिए जीवीए और जीएसवीए डेटा की तुलना अत्यंत आवश्यक है।

वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों द्वारा जीएसवीए में क्षेत्रीय योगदान और पिछले पाँच वर्षों में जीएसवीए की क्षेत्रीय वृद्धि को क्रमशः चार्ट 1.4 और चार्ट 1.5 में दर्शाया गया है। जीएसवीए में क्षेत्रवार योगदान में

परिवर्तन भी अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य में क्षेत्रवार आर्थिक गतिविधियों को कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।



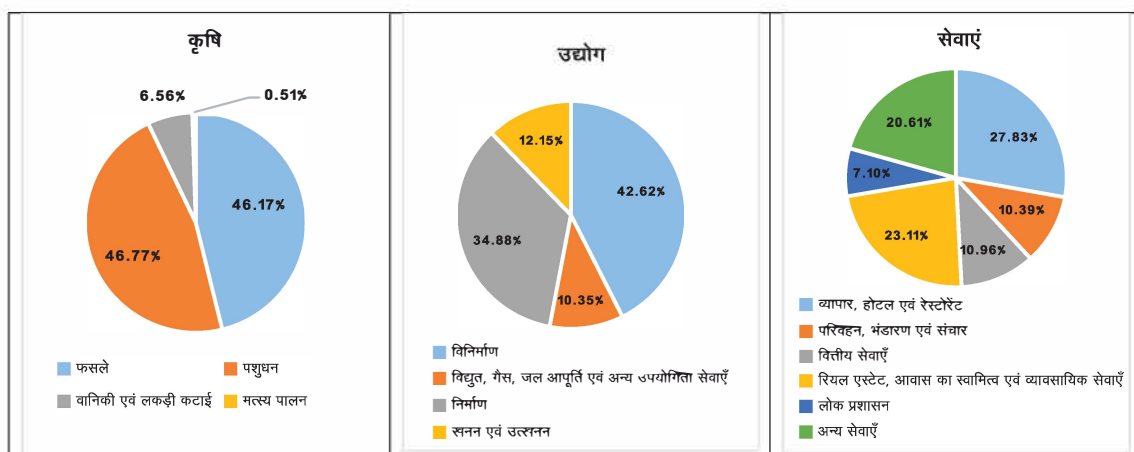
स्रोत: आर्थिक समीक्षा 2024-25, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार

वर्ष 2024-25 में, वर्तमान मूल्यों पर, कृषि क्षेत्र - जिसमें फसलें, पशुधन, मत्स्य पालन और वानिकी शामिल हैं-जीएसवीए का 26.92 प्रतिशत हिस्सा रखता है। उद्योग क्षेत्र-जिसमें स्वनन, विनिर्माण, विद्युत एवं गैस, जल आपूर्ति तथा निर्माण शामिल हैं, 27.16 प्रतिशत का योगदान करता है। सेवा क्षेत्र-जिसमें परिवहन, भंडारण और संचार, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन तथा अन्य सेवाएं शामिल हैं, वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए में 45.92 प्रतिशत के साथ सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।

**चार्ट 1.5** दर्शाता है कि पिछले पाँच वर्षों में, 2023-24 को छोड़कर, उद्योग और सेवा क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2021-22 में बढ़ा, तथा उसके बाद यह लगातार घटता गया। जब उद्योग क्षेत्र में वृद्धि देखी गयी। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2023-24 तक घटती प्रवृत्ति रही और वर्ष 2024-25 में इसमें मामूली वृद्धि हुई।

**चार्ट 1.6** में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, प्रत्येक क्षेत्र की संरचना में उसके प्रमुख योगदान देने वाले क्षेत्रों के संदर्भ को दर्शाता है।

**चार्ट 1.6: वर्ष 2024-25 के दौरान क्षेत्रवार वितरण**



स्रोत: आर्थिक समीक्षा 2024-25, राजस्थान सरकार

वर्ष 2024-25 के दौरान, सेवा क्षेत्र राज्य की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा, क्योंकि इसका राज्य के जीएसवीए में 45.92 प्रतिशत योगदान था। इसका मुख्य कारण इसके उप-क्षेत्रों व्यापार, होटल एवं रेस्तरां, परिवहन, भंडारण एवं संचार, वित्तीय सेवाएँ, रियल एस्टेट, आवास स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएँ, सार्वजनिक प्रशासन तथा अन्य सेवाओं में बढ़ोतरी होना थी।

### 1.1.3 वित्त की संक्षिप्त झलक

निम्न तालिका वर्ष 2023-24 और 2024-25 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण तथा वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों और जीएसडीपी के साथ तुलनात्मक रूप प्रदर्शित करती है।

तालिका 1.3: वित्त की संक्षिप्त झलक

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | घटक                                          | 2023-24<br>(वास्तविक) | 2024-25<br>(बजट अनुमान) | 2024-25<br>(संशोधित अनुमान) | 2024-25<br>(वास्तविक)      | बजट अनुमान का वास्तविक से प्रतिशत | जीएसडीपी से वास्तविक का प्रतिशत |
|----------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.       | कर राजस्व                                    | 1,62,149.15           | 2,05,111.93             | 1,98,025.99                 | 1,80,857.73                | 88.18                             | 10.61                           |
| (i)      | स्व-कर राजस्व                                | 94,085.94             | 1,25,524.82             | 1,20,478.23                 | 1,03,309.97                | 82.30                             | 6.06                            |
| (ii)     | संघीय करों/ शुल्कों का हिस्सा                | 68,063.21             | 79,587.11               | 77,547.76                   | 77,547.76                  | 97.44                             | 4.55                            |
| 2.       | कर-मिन्न राजस्व                              | 18,679.58             | 22,665.40               | 26,917.29                   | 23,502.51                  | 103.69                            | 1.38                            |
| 3.       | सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान                  | 22,447.55             | 36,683.96               | 37,675.00                   | 22,889.78                  | 62.40                             | 1.34                            |
| 4.       | राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)                   | 2,03,276.28           | 2,64,461.29             | 2,62,618.28                 | 2,27,250.02                | 85.93                             | 13.33                           |
| 5.       | ऋण एवं अग्रिमों की वसूली                     | 404.74                | 305.53                  | 529.46                      | 516.72                     | 169.12                            | 0.03                            |
| 6.       | अन्य प्राप्तियाँ                             | 14.24                 | 20.00                   | 20.00                       | 7.35                       | 36.75                             | 0.00                            |
| 7.       | उधार एवं अन्य देयताएं*                       | 65,580.00             | 70,009.48               | 70,090.84                   | 72,419.95                  | 103.44                            | 4.25                            |
| 8.       | पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)                  | 65,998.98             | 70,335.01               | 70,640.30                   | 72,944.02                  | 103.71                            | 4.28                            |
| 9.       | कुल प्राप्तियाँ (4+8)                        | 2,69,275.26           | 3,34,796.30             | 3,33,258.58                 | 3,00,194.04                | 89.66                             | 17.61                           |
| 10.      | राजस्व व्यय                                  | 2,42,230.88           | 2,90,219.40             | 2,94,557.43                 | 2,69,200.06                | 92.76                             | 15.79                           |
| 11.      | ब्याज भुगतान                                 | 34,127.78             | 37,537.83               | 39,118.14                   | 38,344.64                  | 102.15                            | 2.25                            |
| 12.      | पूँजीगत व्यय                                 | 26,645.72             | 44,216.48               | 38,288.19                   | 30,726.64                  | 69.49                             | 1.80                            |
| 13.      | ऋण एवं अग्रिम                                | 398.21                | 360.42                  | 412.96                      | 267.34                     | 74.17                             | 0.02                            |
| 14.      | कुल व्यय (10+12+13)                          | 2,69,274.81           | 3,34,796.30             | 3,33,258.58                 | 3,00,194.04                | 89.66                             | 17.61                           |
| 15.      | राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-) (4-10)            | (-) 38,954.60         | (-) 25,758.11           | (-) 31,939.15               | (-) 41,950.04 <sup>1</sup> | 162.86                            | -2.46                           |
| 16.      | राजकोषीय अधिशेष (+)/घाटा (-)<br>{(4+5+6)-14} | (-) 65,579.55         | (-) 70,009.48           | (-) 70,090.84               | (-) 72,419.95              | 103.44                            | -4.25                           |
| 17.      | प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+) (16-11)        | (-) 31,451.77         | (-) 32,471.65           | (-) 30,972.70               | (-) 34,075.31 <sup>2</sup> | 104.94                            | -2.00                           |

स्रोत: वित्त लेख एवं बजट दस्तावेज़

\* उधार और अन्य देयताएं: लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ - संवितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेख का निवल (प्राप्तियाँ - संवितरण) + प्रारंभिक और अंतिम नकद शेष का निवल

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2024-25 के लिए राज्य सरकार के वित्त का विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिया गया है।

- 1 लेखा-परीक्षा उपरांत समायोजित राजस्व घाटा ₹ 43,241.90 करोड़
- 2 लेखा-परीक्षा उपरांत समायोजित प्राथमिक घाटा ₹ 34,435.24 करोड़

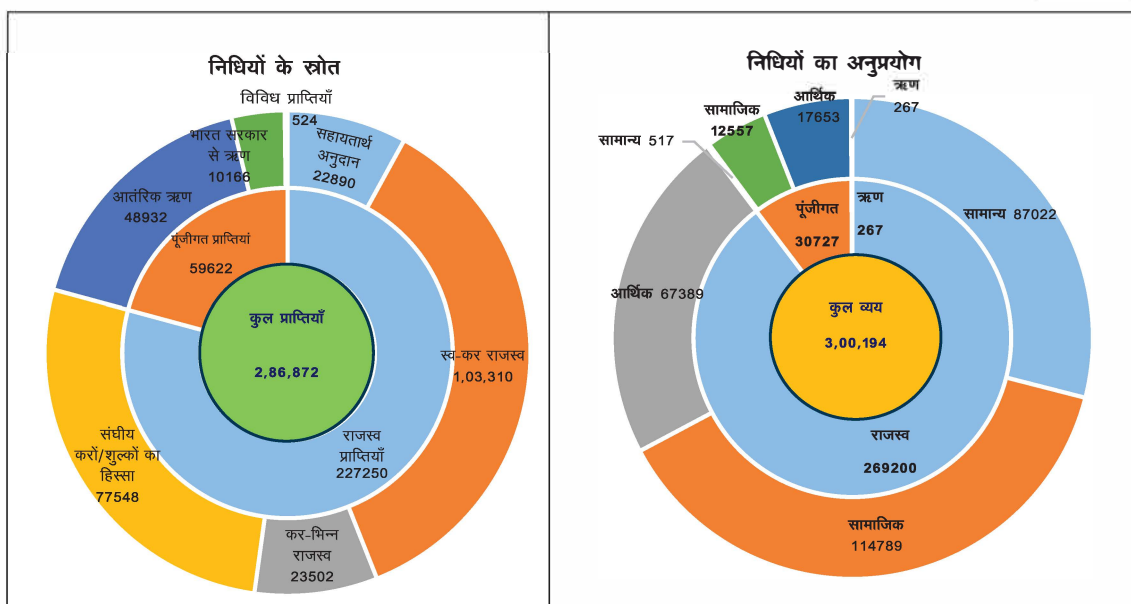
वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य की वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 11.79 प्रतिशत बढ़ीं, परंतु बजट अनुमानों की तुलना में 14.07 प्रतिशत कम रहीं। वर्ष के दौरान, राजस्व व्यय (₹ 2,69,200.06 करोड़) राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,27,250.02 करोड़) से अधिक रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 41,950.04 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। वर्ष 2024-25 में, वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ क्रमशः बजट अनुमान और संशोधित अनुमानों से ₹ 37,211.27 करोड़ और ₹ 35,368.26 करोड़ कम रहीं। हालांकि, वास्तविक राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा बजट अनुमानों की तुलना में क्रमशः 62.86 प्रतिशत और 3.44 प्रतिशत अधिक रहा।

#### 1.1.4 निधियों के स्रोत और उपयोग

वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के निधियों के स्रोत और उपयोग के घटकों की तुलना चार्ट 1.7 में दी गई है।

चार्ट 1.7: वर्ष 2024-25 के दौरान निधियों के स्रोत एवं उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.2 में वर्तमान वर्ष तथा गत वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों तथा समग्र राजकोषीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

#### 1.1.5 सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त झलक

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा व्यय से निर्मित परिसंपत्तियों को दर्शाते हैं। **परिशिष्ट 1.3** में 31 मार्च 2025 की ऐसी देयताओं और परिसंपत्तियों का सार प्रस्तुत किया गया है, जिसकी तुलना पिछले वर्ष की स्थिति से की गई है। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे और आरक्षित निधियाँ से प्राप्तियाँ शामिल हैं। परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष शामिल होते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति तालिका 1.4 में दी गई है।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों और देनदारियों की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

| देयताएं        |                                   |             |             |                    | परिसंपत्तिया                             |                                  |             |             |                    |
|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
|                |                                   | 2023-24     | 2024-25     | प्रतिशत वृद्धि/कमी |                                          |                                  | 2023-24     | 2024-25     | प्रतिशत वृद्धि/कमी |
| समेकित निधि    |                                   |             |             |                    |                                          |                                  |             |             |                    |
| अ              | आंतरिक ऋण                         | 3,99,857.54 | 4,48,790.01 | 12.24              | अ                                        | सकल पूंजीगत व्यय                 | 2,88,596.62 | 3,19,315.92 | 10.64              |
| ब              | भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम       | 46,794.09   | 53,606.51*  | 14.56              | ब                                        | ऋण एवं अग्रिम                    | 7,961.69    | 7,712.31    | (- )3.13           |
| आकस्मिकता निधि |                                   | 1000.00     | 1000.00     | 0.00               |                                          |                                  |             |             |                    |
| लोक लेखा       |                                   |             |             |                    |                                          |                                  |             |             |                    |
| अ              | अल्प बहर्ते, भविष्य निधियां, आदि। | 70,219.43   | 75,981.40   | 8.21               | अ                                        | विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम | 3.05        | 3.59        | 17.70              |
| ब              | जमायें                            | 46,211.77   | 52,929.43   | 14.54              | ब                                        | प्रेषण                           | 7.91        | 9.41        | 18.96              |
| स              | आरक्षित निधियां                   | 18,446.21   | 18,743.25   | 1.61               | स                                        | उचंच एवं विविध                   | 17.38       | -           |                    |
| द              | प्रेषण                            | --          | --          | 0.00               | नकद शेष (चिन्हित निधियों में निवेश सहित) |                                  | 10,544.81   | 10,029.29   | (- )4.89           |
| ई              | उचंच एवं विविध                    |             | 14.15       | 0.00               | योग                                      |                                  | 3,07,131.45 | 3,37,070.52 | 9.75               |
|                |                                   |             |             |                    | पूर्णांकन के आधार पर अंतर                |                                  | 0.00        | 0.00        | 0.00               |
|                |                                   |             |             |                    | राजस्व खाते में घाटा                     |                                  | 2,75,397.59 | 3,13,994.25 | 14.01              |
| योग            |                                   | 5,82,529.04 | 6,51,064.75 | 11.77              |                                          |                                  | 5,82,529.04 | 6,51,064.75 | 11.77              |

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

\* इसमें वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 3,353.38 करोड़ की प्रोफार्मा कटौती के बाद वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान ₹ 8,518.91 करोड़ के बैंक-टू-बैंक प्रदान किए गए ऋण की शेष राशि शामिल है।

वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य की वित्तीय स्थिति विवरण में 11.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे कुल देयताएं ₹ 5,82,529 करोड़ से बढ़कर ₹ 6,51,065 करोड़ हो गईं। यह वृद्धि मुख्य रूप से आंतरिक ऋण (12.24 प्रतिशत) और भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिमों (14.56 प्रतिशत) में बढ़ोतरी के कारण हुई, जबकि सकल पूंजीगत व्यय 10.64 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम दर से बढ़ा।

गौरतलब है कि राजस्व खाते में घाटा 14.01 प्रतिशत तक बढ़ गया, जो पूंजी निर्माण और समग्र बैलेंस शीट वृद्धि-दोनों से अधिक है, इससे यह प्रदर्शित होता है कि राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए उधार पर निर्भरता लगातार बनी हुई है। उसी समय, अधिक उधारी के बावजूद नकद शेष में गिरावट आई, जिससे तरलता के सीमित भंडार का संकेत मिलता है। यह उभरती प्रवृत्ति राजकोषीय स्थिरता में धीरे-धीरे गिरावट की ओर इशारा करती है, क्योंकि बढ़ता ऋण स्तर परिसंपत्तियों के निर्माण में समानुपाती वृद्धि से मेल नहीं खा रहा है, जिससे भविष्य में पुनर्भुगतान का दबाव बढ़ेगा और राज्य की राजकोषीय क्षमता सिमटती जाएगी।

## 1.2 राज्य की समेकित निधि

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए मार्गोपाय अग्रिम तथा राज्य सरकार को ऋणों की वसूली के रूप में प्राप्त सभी धनराशियों का समावेश राज्य की समेकित निधि का हिस्सा है। इस निधि से, विधि के अनुसार और भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए उद्देश्यों और तरीके के अलावा, किसी भी धन का विनियोजन नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियां (उदाहरणार्थ प्राधिकारियों के वेतन, ऋण पुनर्भुगतान आदि) राज्य की समेकित निधि



पर (भारित व्यय) भारित होते हैं और ये विधानमंडल द्वारा मताधिकार के अधीन नहीं होते हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधानमंडल द्वारा मताधिकार के अधीन होते हैं।

### 1.2.1 राजस्व प्राप्तियां

पाँच-वर्षीय अवधि (2020-25) में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और वृद्धि तालिका 1.5 में प्रदर्शित की गई हैं।

तालिका 1.5: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

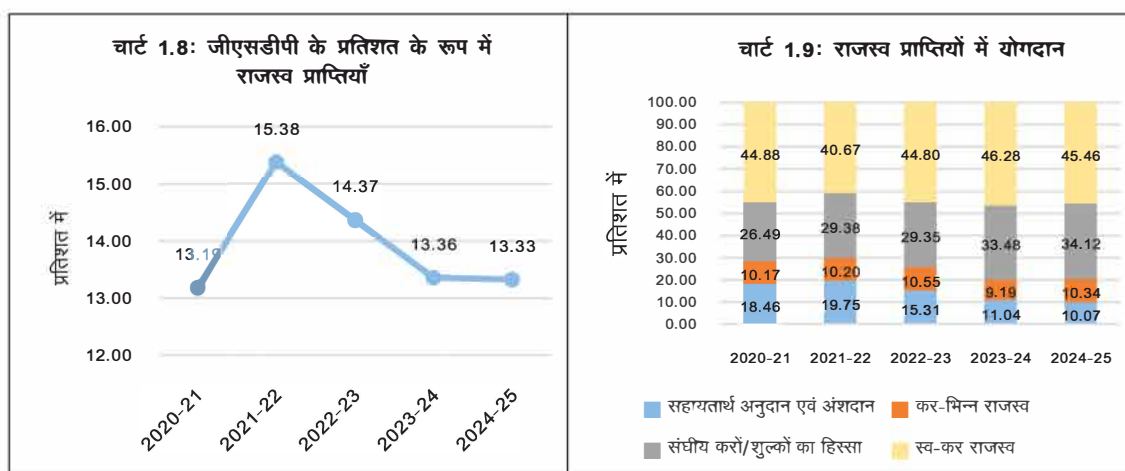
| (₹ करोड़ में)                                          |           |           |                        |                        |                        |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| मापदंड                                                 | 2020-21   | 2021-22   | 2022-23                | 2023-24                | 2024-25                |
| राजस्व प्राप्तियाँ                                     | 1,34,308  | 1,83,920  | 1,94,988               | 2,03,276               | 2,27,250               |
| कर राजस्व                                              | 95,859    | 1,28,839  | 1,44,577               | 1,62,149               | 1,80,858               |
| स्व-कर राजस्व                                          | 60,283    | 74,808    | 87,346                 | 94,086                 | 1,03,310               |
| संघीय करों/शुल्कों में राज्य का हिस्सा                 | 35,576    | 54,031    | 57,231                 | 68,063                 | 77,548                 |
| गैर-कर राजस्व                                          | 13,653    | 18,755    | 20,564                 | 18,680                 | 23,502                 |
| भारत सरकार से सहाय्यतार्थ अनुदान                       | 24,796    | 36,326    | 29,846                 | 22,448                 | 22,890                 |
| राज्य के स्व-राजस्व (स्व-कर तथा गैर-कर राजस्व)         | 73,936    | 93,563    | 1,07,910               | 1,12,766               | 1,26,812               |
| जीएसडीपी (2011-12 श्रृंखला)                            | 10,17,917 | 11,95,641 | 13,56,480 <sup>#</sup> | 15,21,510 <sup>#</sup> | 17,04,339 <sup>#</sup> |
| वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर (प्रतिशत में)                   |           |           |                        |                        |                        |
| राजस्व प्राप्तियाँ                                     | (-)4.14   | 36.94     | 6.02                   | 4.25                   | 11.79                  |
| राज्य के स्व-राजस्व                                    | (-)1.36   | 26.55     | 15.33                  | 4.50                   | 12.46                  |
| जीएसडीपी                                               | 1.79      | 17.46     | 13.45                  | 12.17                  | 12.02                  |
| उत्प्लावकता अनुपात <sup>3</sup>                        |           |           |                        |                        |                        |
| राजस्व उत्प्लावकता जीएसडीपी के संदर्भ में              | -*        | 2.12      | 0.45                   | 0.35                   | 0.98                   |
| राज्य की स्व-राजस्व उत्प्लावकता जीएसडीपी के संदर्भ में | -*        | 1.52      | 1.14                   | 0.37                   | 1.04                   |

स्रोत: जीएसडीपी के आंकड़ों के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार तथा वित्त लेखे

<sup>#</sup> वर्ष 2022-23 के लिए अंतिम अनुमान (पीई), वर्ष 2023-24 के लिए त्वरित अनुमान (क्व्यूई) तथा वर्ष 2024-25 के लिए अग्रिम अनुमान (ईई)

<sup>\*</sup> नकारात्मक वृद्धि दर के कारण उत्प्लावकता अनुपातों की गणना नहीं की जा सकती।

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व प्राप्तियों में विभिन्न स्रोतों से योगदान चार्ट 1.8 और चार्ट 1.9 में दर्शाया गया है।



3 उत्प्लावन किसी राजकोषीय चर की, आधार चर में दिए गए परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया की डिग्री को दर्शाती है।

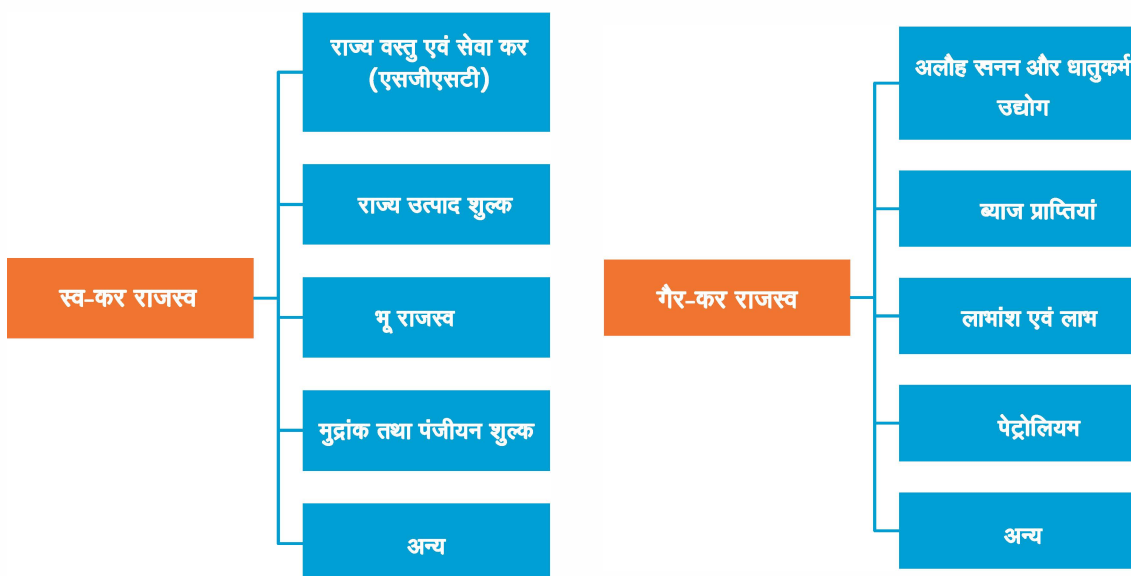
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में पांच साल की अवधि के दौरान एक अनियमित प्रवृत्ति दिखाई दी और वर्ष 2024-25 के दौरान यह जीएसडीपी का 13.33 प्रतिशत थी।

भारत सरकार से प्राप्त निधियों की कम प्राप्ति और कोविड महामारी के प्रभावों के कारण, जीएसडीपी के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता और राज्य की स्व-राजस्व उत्प्लावकता वर्ष 2020-21 के दौरान नकारात्मक हो गई। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान इनमें उल्लेखनीय वृद्धि (क्रमशः 0.35 प्रतिशत और 0.37 प्रतिशत) हुई और ये क्रमशः 0.98 प्रतिशत और 1.04 प्रतिशत पर बनी रहीं। पिछले दो वर्षों में उत्प्लावकता में आए तीव्र उतार-चढ़ाव से आर्थिक चक्रों के प्रति राजस्व की संवेदनशीलता का संकेत मिलता है, जो पूर्वानुमानित और स्थिर राजस्व उत्प्लावकता सुनिश्चित करने के लिए कर प्रशासन में सतत सुधार तथा गैर-कर राजस्व के विविधीकरण की आवश्यकता है।

भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान में वर्ष 2021-22 से 2024-25 के मध्य 36.99 प्रतिशत की कमी आई। यह कमी मुख्य रूप से राजस्व घाटा अनुदान और जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान में भारी गिरावट के कारण हुई। फिर भी, वर्ष 2024-25 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का 55.80 प्रतिशत राज्य के स्व-संसाधनों से आया, जबकि केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायतार्थ अनुदान का संयुक्त योगदान 44.20 प्रतिशत रहा, जो राजस्थान की राजकोषीय स्थिति की भारत सरकार से प्राप्त कर हस्तांतरणों और सहायतार्थ अनुदान पर निर्भरता को दर्शाता है।

## अ. राज्य के स्व-संसाधन

### राज्य के स्व-राजस्व का विवरण



### (i) स्व-कर राजस्व

स्व-कर राजस्व राज्य सरकार द्वारा उन करों के माध्यम से एकत्र किया जाता है जिन्हें वह संविधान के तहत लगाने के लिए अधिकृत है। वित्त वर्ष 2023-24 के वास्तविक आंकड़े तथा वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक आंकड़े तालिका 1.6 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 1.6: स्व-कर राजस्व: वर्ष 2023-24 (वास्तविक) और 2024-25 (बीई, आरई और वास्तविक)

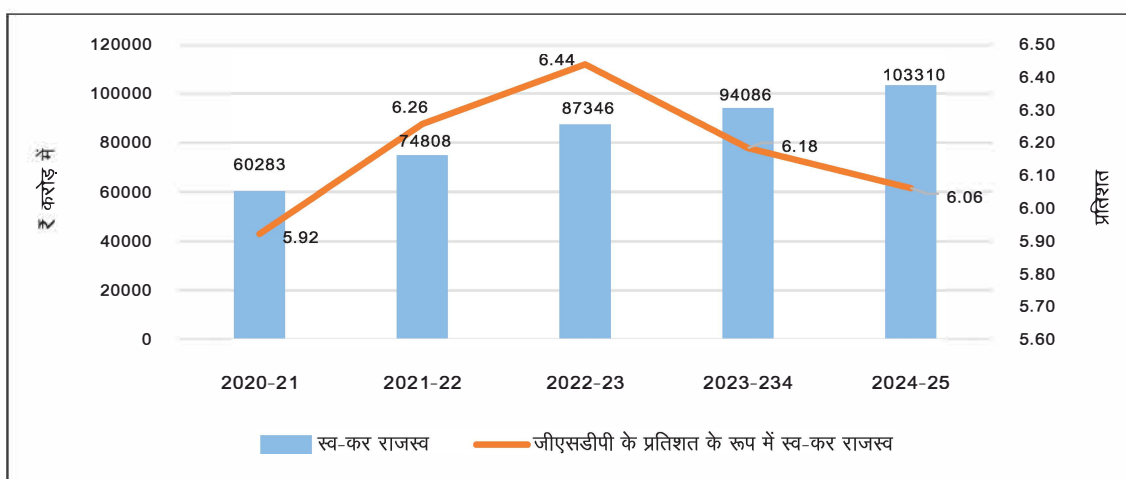
(₹ करोड़ में)

| कर राजस्व                               | 2023-24<br>(वास्तविक) | 2024-25<br>(बीई) | 2024-25<br>(आरई) | 2024-25<br>(वास्तविक) |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)      | 38,016                | 55,800           | 52,100           | 42,518                |
| राज्य उत्पाद शुल्क                      | 13,225                | 17,100           | 17,000           | 15,104                |
| भू-राजस्व                               | 469                   | 721              | 776              | 869                   |
| मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क               | 9,181                 | 11,000           | 11,900           | 10,542                |
| बिक्री, व्यापार आदि पर कर               | 23,473                | 19,290           | 27,000           | 23,369                |
| वाहन कर                                 | 6,704                 | 8,100            | 8,500            | 7,574                 |
| अन्य (विद्युत् शुल्क सहित) <sup>4</sup> | 3,018                 | 13,514           | 3,202            | 3,334                 |
| <b>कुल</b>                              | <b>94,086</b>         | <b>1,25,525</b>  | <b>1,20,478</b>  | <b>1,03,310</b>       |

स्रोत: राज्य के वित्त लेख एवं बजट दस्तावेज़

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान स्व-कर राजस्व और उसके घटकों की प्रवृत्तियां क्रमशः चार्ट 1.10 और चार्ट 1.11 में दिखाए गए हैं।

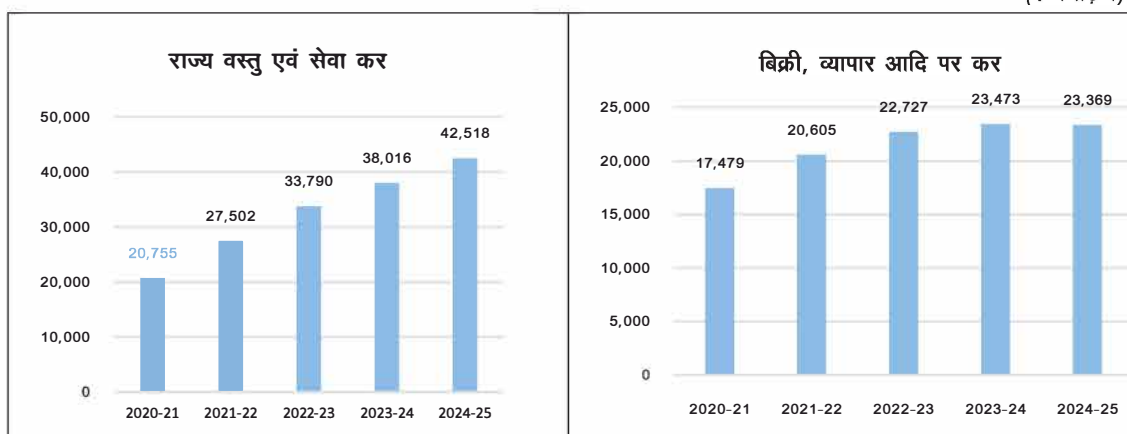
चार्ट 1.10: वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान स्व-कर राजस्व की प्रवृत्तियां



स्रोत: वित्त लेखें

चार्ट 1.11: राज्य के स्व-कर राजस्व के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)



4. अन्य करों में अचल संपत्ति पर लगाए जाने वाले कर (कृषि भूमि को छोड़कर), बिजली पर कर और शुल्क तथा वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क (मनोरंजन कर और लक्जरी कर को छोड़कर) शामिल हैं।





राज्य का स्व-कर राजस्व वर्ष 2020-2021 में ₹ 60,283 करोड़ से 14.42 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से ₹ 43,027 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 1,03,310 करोड़ हो गया। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य में स्व-कर राजस्व की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में 9.80 प्रतिशत रही और यह राजस्व प्राप्तियों का 45.46 प्रतिशत थी। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में, यह पिछले वर्ष (6.18 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2024-25 में घटकर 6.06 प्रतिशत हो गई।

वर्ष 2024-25 के दौरान, वास्तविक स्व-कर राजस्व बजट अनुमानों की तुलना में काफी कम (17.70 प्रतिशत) रहा।

राज्य के स्व-कर राजस्व में, राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), बिक्री व व्यापार पर कर, मुद्रांक और पंजीयन शुल्क तथा राज्य उत्पाद शुल्क का प्रमुख योगदान रहा। वर्ष 2024-25 के दौरान, स्व-कर राजस्व में केवल एसजीएसटी का योगदान लगभग 41.16 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2024-25 के दौरान, एसजीएसटी, मुद्रांक और पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क और वाहनों पर कर में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 11.84 प्रतिशत, 14.82 प्रतिशत, 14.21 प्रतिशत और 12.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

यद्यपि राज्य द्वारा बजट अनुमान की तुलना में कम कर राजस्व एकत्र किया गया, जिसमें लगभग सभी कर घटकों में व्यापक कमी देखी गई, फिर भी जीएसटी संग्रह राज्य में स्व-कर राजस्व में वृद्धि का एक कारण हो सकती है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.84 प्रतिशत अधिक थी। यह वृद्धि इनपुट टैक्स क्रेडिट के सकल एसजीएसटी और आईजीएसटी<sup>5</sup> के उपयोग और उसके आवंटन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी के कारण हुई।

वर्ष 2024-25 के दौरान, मुद्रांक और पंजीयन शुल्क के संग्रह में ₹ 1,361 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि स्टाम्प शुल्क पर अधिभार, गौ संरक्षण पर अधिभार और स्टाम्प की बिक्री आदि से प्राप्त अधिक संग्रह के कारण हुई।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्त संग्रह में ₹ 1,879 करोड़ (14.21 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि माल्ट लिकर (24.42 प्रतिशत), विदेशी शराब और स्पिरिट (15.31 प्रतिशत), जुर्माना और ज़बती (74.03 प्रतिशत) से प्राप्त अधिक संग्रह के कारण हुई। इसके अतिरिक्त, लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों (46.35 प्रतिशत) के अंतर्गत राज्य उत्पाद शुल्क में बढ़ी हुई प्राप्ति के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका।

वर्ष 2024-25 के दौरान, वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि के कारण वाहन करों के संग्रह में ₹ 870 करोड़ (12.98 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई।

वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के बावजूद, वास्तविक संग्रह बजट अनुमानों से 17.70 प्रतिशत कम रहा, जो अनुमान से जुड़े अंतरालों की ओर संकेत करता है। जबकि स्टाम्प, उत्पाद शुल्क और वाहन कर जैसे प्रमुख घटकों में उपभोग और अधिभार-आधारित संग्रह के कारण दो-अंकीय वृद्धि दर्ज की गई, जीएसटीपी के प्रतिशत के रूप में स्व-कर राजस्व में मामूली गिरावट आई, जिससे यह संकेत मिलता है कि राजस्व जुटाने की गति आर्थिक वृद्धि के साथ पूरी तरह तालमेल नहीं बिठा पा रही है। समग्र रूप से, यह प्रवृत्ति स्थिर लेकिन उपभोग-आधारित राजस्व विस्तार को दर्शाती है।

## (ii) गैर-कर राजस्व

राज्य का गैर-कर राजस्व उन किरायों, शुल्कों, रॉयल्टी तथा अन्य प्राप्तियों को संदर्भित करता है, जो राज्य सरकार को करों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होती हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के वास्तविक आंकड़े, बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वित्त वर्ष 2024-25 के गैर-कर राजस्व के वास्तविक आंकड़े तालिका 1.7 में दिए गए हैं।

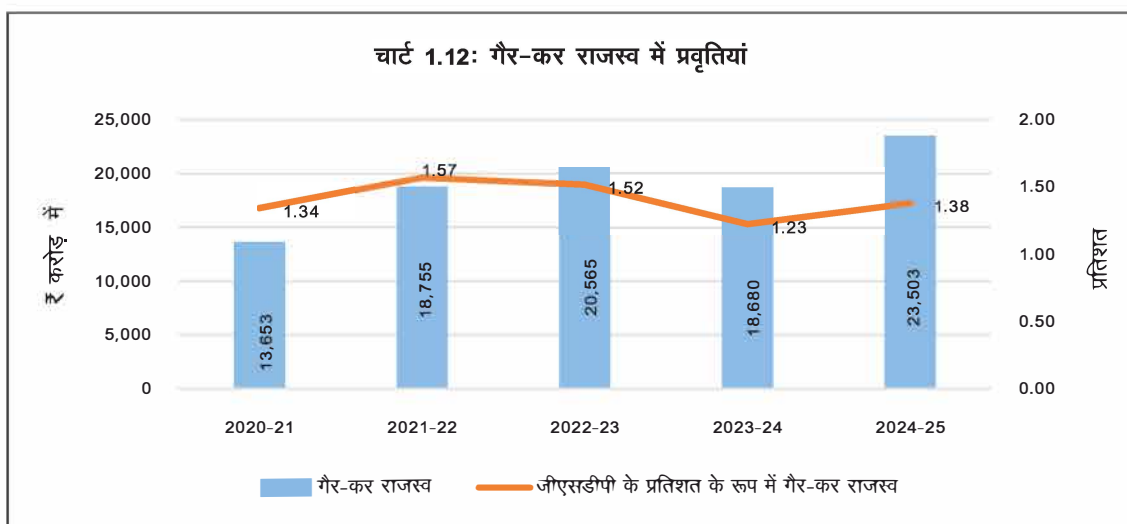
5. वर्ष 2024-25 में एसजीएसटी के अंतर्गत, लघु शीर्ष 101-कर, 105-एसजीएसटी और आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट के सकल उपयोग, 106-आईजीएसटी के वितरण-एसजीएसटी के, कर घटक का अंतरण प्रमुख योगदानकर्ता थे।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान गैर-कर राजस्व और उसके घटकों की प्रवृत्तियाँ क्रमशः चार्ट 1.12 और चार्ट 1.13 में दर्शायी गई हैं।

तालिका 1.7: प्रमुख गैर-कर राजस्व-वर्ष 2023-24 (वास्तविक) और 2024-25 (बीई, आरई और वास्तविक)

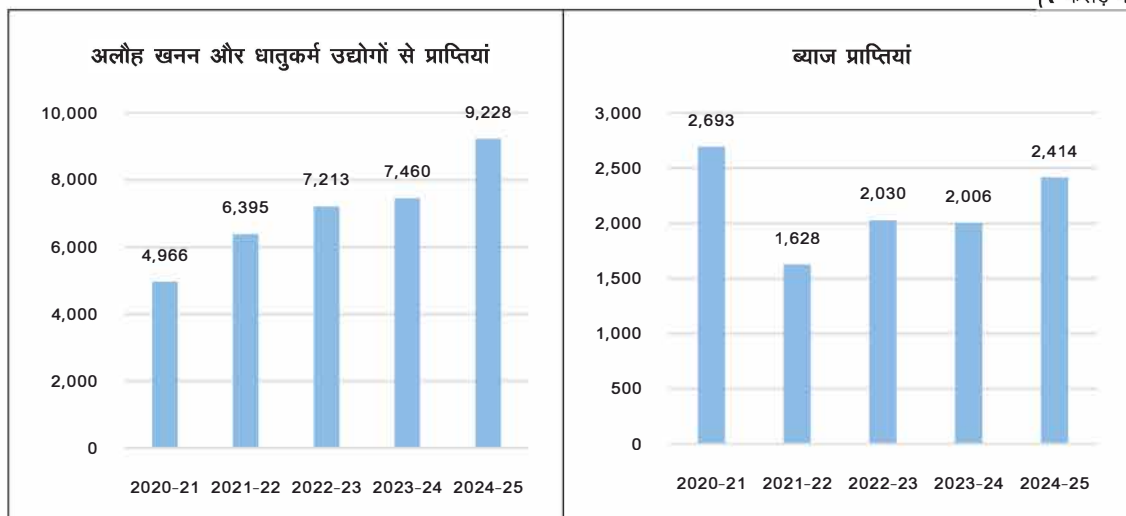
(₹ करोड़ में)

| गैर-कर राजस्व                     | 2023-24<br>(वास्तविक) | 2024-25<br>(बीई) | 2024-25<br>(आरई) | 2024-25<br>(वास्तविक) |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| ब्याज प्राप्तियाँ                 | 2,006.13              | 2,543.63         | 2,457.30         | 2,413.59              |
| लाभांश और लाभ                     | 50.71                 | 32.91            | 52.50            | 6.41                  |
| पेट्रोलियम से राजस्व <sup>6</sup> | 3,425.08              | 4,000.00         | 2,900.00         | 2,688.91              |
| अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग       | 7,460.48              | 9,500.00         | 11,000.00        | 9,228.40              |
| उपयोगकर्ता शुल्क                  | 880.00                | 904.95           | 1,174.74         | 1,219.74              |
| अन्य                              | 4,857.17              | 5,683.91         | 9,334.75         | 7,945.46              |
| <b>कुल</b>                        | <b>18,679.57</b>      | <b>22,665.40</b> | <b>26,919.29</b> | <b>23,502.51</b>      |

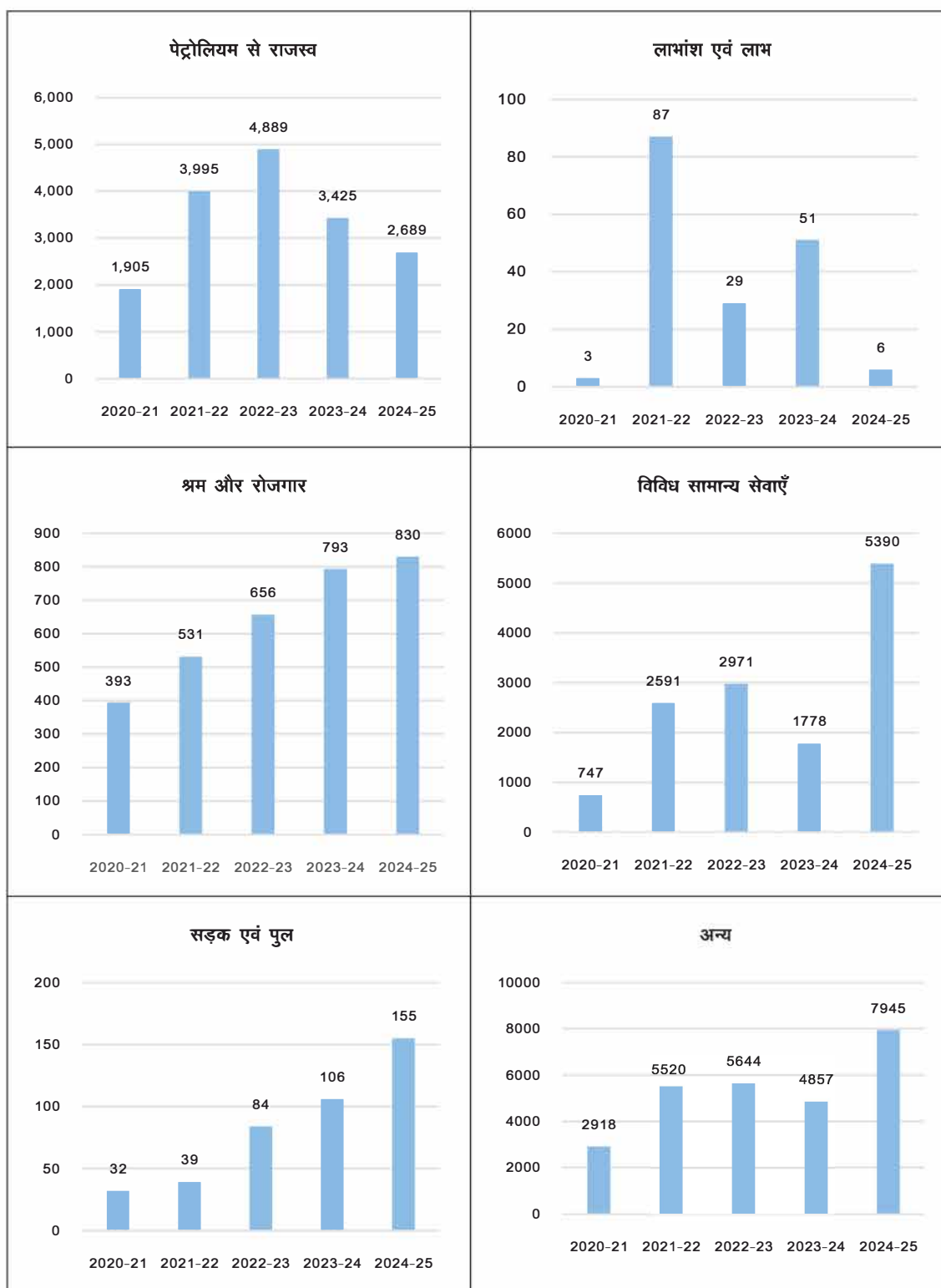


चार्ट 1.13: राज्य के गैर-कर राजस्व के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)



6. बाइमेर-सांचोर बेसिन में उत्पादित कच्चे तेल पर रॉयल्टी से प्राप्त राजस्व



राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियों में गैर-कर राजस्व का योगदान पिछले पाँच वर्षों के दौरान 9.19 प्रतिशत से 10.55 प्रतिशत के बीच रहा। वर्ष 2020-21 से 2024-25 की पाँच वर्षीय अवधि में गैर-कर राजस्व की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 14.54 प्रतिशत रही। वर्ष 2024-25 में गैर-कर राजस्व (₹ 23,502 करोड़) में पिछले वर्ष की तुलना में 25.81 प्रतिशत (₹ 4,822 करोड़) की वृद्धि मुख्यतः अलौह स्वनन एवं धातुकर्म उद्योगों से प्राप्त राजस्व में ₹ 1,768 करोड़ तथा विविध सामान्य सेवाओं से ₹ 3,162 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई।

अलौह स्वनन एवं धातुकर्म उद्योगों के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि का कारण रॉयल्टी, अन्य विविध प्राप्तियों, अवैध स्वनन से पर्यावरणीय क्षति के कारण संधारण शुल्क, बजरी की आपूर्ति से आय तथा दंड एवं शुल्क से अधिक प्राप्तियाँ रहा।

विविध सामान्य सेवाओं (मुख्य शीर्ष-0075) के अंतर्गत प्राप्तियों में असामान्य वृद्धि मुख्य रूप से प्रत्याभूति मोचन निधि से प्रत्याभूति शुल्क के हस्तांतरण के कारण है।

हालाँकि, पेट्रोलियम प्राप्तियों (रॉयल्टी) के रूप में कच्चे तेल पर रॉयल्टी से राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 736 करोड़ (21.49 प्रतिशत) की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई, जिसका कारण कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कमी रहा।

राज्य सरकार द्वारा गैर-कर राजस्व के अंतर्गत बड़ी मात्रा में प्राप्तियों को “अन्य प्राप्तियाँ” के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है।

## ब. संघीय करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा

संघीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से के घटकों की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.8 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.8: संघीय करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा

(₹ करोड़ में)

| घटक                                   | 2020-21          | 2021-22          | 2022-23          | 2023-24          | 2024-25          |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) | 10602.62         | 15,261.33        | 16,169.85        | 20,656.36        | 22,648.68        |
| एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी)   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| निगम कर                               | 10,711.19        | 16,172.11        | 19,192.10        | 20,429.54        | 22,004.65        |
| निगम कर के अतिरिक्त अन्य आय पर कर     | 10,978.32        | 15,877.16        | 18,730.00        | 23,593.45        | 28,062.48        |
| सीमा शुल्क                            | 1,910.39         | 3,863.52         | 2,249.47         | 2,385.19         | 3,945.36         |
| केंद्रीय उत्पाद शुल्क                 | 1,198.76         | 2,097.63         | 705.74           | 902.60           | 759.32           |
| सेवा कर                               | 150.00           | 701.37           | 89.45            | 12.68            | 2.53             |
| अन्य कर <sup>7</sup>                  | 24.49            | 57.49            | 94.18            | 83.39            | 124.74           |
| <b>कुल</b>                            | <b>35,575.77</b> | <b>54,030.61</b> | <b>57,230.79</b> | <b>68,063.21</b> | <b>77,547.76</b> |

स्रोत: वित्त लेखे

संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के कुल हिस्से का जीएसडीपी में प्रतिशत चार्ट 1.14 में दिया गया है।

चार्ट 1.14 : संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के कुल हिस्से का जीएसडीपी में प्रतिशत



7 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क सम्मिलित

वर्ष 2024-25 में संघीय करों में राज्य के हिस्से की शुद्ध प्राप्तियाँ, राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 34.12 प्रतिशत रही। वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्रीय कर हस्तांतरण में ₹ 9,484.55 करोड़ (13.93 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

पिछले तीन वर्षों में संघीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर को छोड़कर, संघीय करों/शुल्कों में राज्य का हिस्सा लगभग सभी घटकों में बढ़ा है। यह वृद्धि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) में ₹ 1,992.32 करोड़, निगम कर में ₹ 1,575.11 करोड़, सीमा शुल्क में ₹ 1,560.17 करोड़ तथा निगम कर के अतिरिक्त अन्य आय पर कर में ₹ 4,469.03 करोड़ के कारण हुई।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, केंद्रीय कर हस्तांतरण पिछले वर्ष की तुलना में 0.08 अंक (4.47 प्रतिशत) बढ़ा। राज्य के केंद्रीय करों में हिस्से की पांच वर्षीय अवधि (2020-21 से 2024-25) के लिए सीएजीआर 21.51 प्रतिशत रही।

पिछले पांच वर्षों में केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा तेजी से बढ़ा है, जो 2024-25 में दोगुने से भी अधिक बढ़कर ₹ 77,548 करोड़ हो गया है। इसकी जीएसडीपी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी बढ़कर 4.55 प्रतिशत हो गई है, जो केंद्रीय बंटवारे के माध्यम से बढ़ी हुई राजकोषीय सहायता को दर्शाती है। केंद्रीय हस्तांतरणों में वृद्धि मुख्यतः आयकर और जीएसटी घटकों से संचालित हो रही है, जबकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर जैसे पारंपरिक करों में संरचनात्मक गिरावट देखी जा रही है। यद्यपि, यह प्रवृत्ति राज्य की राजस्व स्थिति को मजबूत बनाती है, लेकिन साथ ही यह राज्य की वित्तीय स्थिति को राष्ट्रीय कर संग्रह के प्रदर्शन और समग्र आर्थिक परिस्थितियों के प्रति अधिक संवेदनशील भी बना देती है।

## स. भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान (जीआईए) की प्रवृत्ति तथा उसके घटकों का विवरण तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान

|                                                                      | (₹ करोड़ में)    |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| घटक                                                                  | 2020-21          | 2021-22          | 2022-23          | 2023-24          | 2024-25          |
| केंद्र प्रवर्तित प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान                     | -                | -                | -                | -                | -                |
| केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान                               | 12,595.43        | 14,965.25        | 14,554.31        | 14,262.92        | 14,424.31        |
| वित्त आयोग के अनुदान                                                 | 6,236.50         | 17,210.67        | 10,507.74        | 5,590.55         | 6,677.06         |
| विधानसभा वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य हस्तांतरण/अनुदान | 5,963.72         | 4,150.56         | 4,784.29         | 2,594.08         | 1,788.42         |
| <b>कुल</b>                                                           | <b>24,795.65</b> | <b>36,326.48</b> | <b>29,846.34</b> | <b>22,447.55</b> | <b>22,889.79</b> |

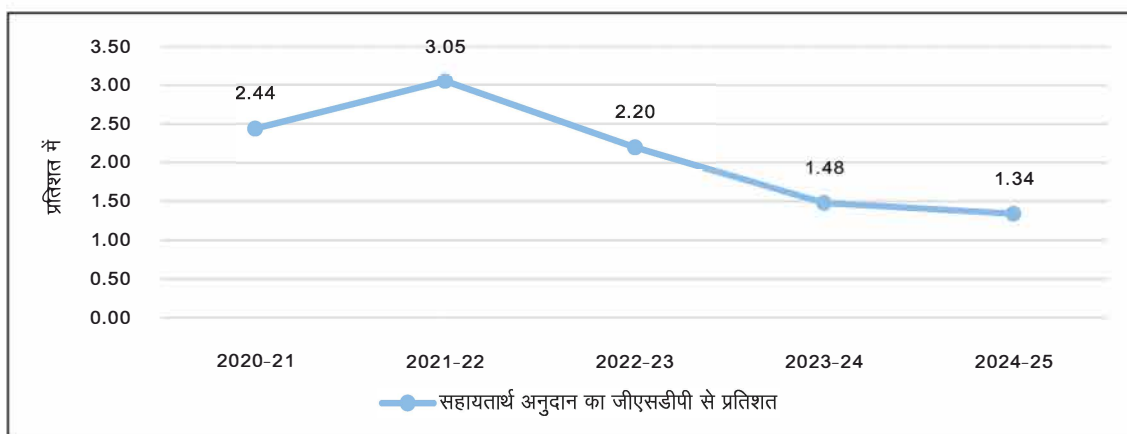
स्रोत: वित्त लेख

वित्त आयोग द्वारा अधिक मात्रा में हस्तांतरण किए जाने के कारण वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान अपने उच्चतम स्तर पर पहुँची, परंतु इसके बाद इनमें कमी आई और वर्ष 2024-25 में ये स्थिर होकर ₹ 22,890 करोड़ पर पहुँच गई। वर्तमान में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएँ अनुदानों का प्रमुख घटक बन गई हैं, जबकि वित्त आयोग के हस्तांतरण तथा अन्य विवेकाधीन अनुदान में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। कुल मिलाकर, यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि राज्य को अनट्राईड राजकोषीय सहायता में कमी आई है और वह धीरे-धीरे योजना आधारित हस्तांतरणों पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है।

भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान का जीएसडीपी से प्रतिशत चार्ट 1.15 में दर्शाया गया है।



चार्ट 1.15: भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान का जीएसडीपी से प्रतिशत



वर्ष 2024-25 के दौरान, सहायतार्थ अनुदान, राजस्व प्राप्तियों और जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में क्रमशः 10.07 प्रतिशत और 1.34 प्रतिशत रहा। वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान में ₹13,436.69 करोड़ (36.99 प्रतिशत) की कमी आई। यह कमी मुख्य रूप से जीएसडीपी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति और इस अवधि के दौरान राजस्व घाटा अनुदान के आवंटन न होने के कारण हुई।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने भारत सरकार से ₹ 36,683.96 करोड़ का सहायतार्थ अनुदान प्राप्त होने का अनुमान लगाया था, लेकिन भारत सरकार ने केवल ₹ 22,889.79 करोड़ ही जारी किए।

#### (i) केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान

वर्ष 2024-25 के दौरान, केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिए प्राप्त ₹ 14,424.31 करोड़ के अनुदानों में से प्रमुख आवंटन तालिका 1.10 में दर्शाई गई योजनाओं को किया गया।

तालिका 1.10: अनुदान प्राप्त करने वाली प्रमुख योजनाएँ

| योजना का नाम                                                                                                                       | 2024-25<br>में राशि | 2023-24<br>में राशि | गत वर्ष की तुलना<br>में प्रतिशत परिवर्तन |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------|
| महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम                                                                                   | 1,370.76            | 2,193.90            | (-) 37.52                                |
| प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-ग्रामीण                                                                                         | 1,239.90            | 67.57               | (+) 1,734.99                             |
| समग्र शिक्षा                                                                                                                       | 3,093.05            | 3,202.97            | (-) 3.43                                 |
| आरसीएच हेतु फ्लेक्सी पूल एवं स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन         | 2,195.29            | 2,743.59            | (-) 19.98                                |
| प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पूर्ववर्ती विद्यालयों में मध्याह्न भोजन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम)                                 | 597.87              | 317.28              | (+) 88.44                                |
| सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (समेकित बाल विकास सेवाएँ—आंगनवाड़ी सेवाएँ, किशोरियों के लिए पोषण अभियान योजना, राष्ट्रीय क्रेच योजना) | 816.83              | 1,091.96            | (-) 25.20                                |

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2024-25 में प्रमुख योजनाओं के लिए अनुदानों के प्रवाह में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बदलाव देखने को मिले हैं। पीएमएवाई (ग्रामीण) योजना में असाधारण वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एमजीएनआरईजीएस, स्वास्थ्य कार्यक्रमों और आंगनवाड़ी से संबंधित योजनाओं में भारी गिरावट आई। शिक्षा क्षेत्र के लिए वित्तपोषण लगभग

स्थिर रहा, जबकि पीएम पोषण योजना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह स्वरूप दर्शाता है कि केंद्र सरकार की सहायता में आवास और स्कूल पोषण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि रोजगार और स्वास्थ्य से संबंधित हस्तांतरणों में संकुचन हो रहा है। इस प्रकार की योजना-वार अस्थिरता से क्षेत्रीय योजना निर्माण और सेवा प्रदाय पर संभावित प्रभावों को उजागर करता है।

## (ii) पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान

वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2020 में प्रस्तुत की। XV-एफसी ने राज्यों को कर-विभाजनोत्तर राजस्व घाटा अनुदान, स्थानीय निकायों को अनुदान, आपदा संबंधी अनुदान, विशिष्ट क्षेत्रों के लिए राज्यों को अनुदान, राज्य-विशिष्ट अनुदान मदों के अंतर्गत अनुदान/निधि हस्तांतरण की अनुशंसा की। पंद्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए राजस्थान को कुल ₹ 59,374.06 करोड़ के सहायतार्थ अनुदान की अनुशंसा की। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण तालिका 1.11 में दिया गया है। अनटाईड

तालिका 1.11: सहायतार्थ अनुदान की अनुशंसित राशि, वास्तविक निर्गम और हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | अनुदान का नाम                                             | XV-एफसी की अनुशंसा | भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को वास्तविक निर्गम | क्रियान्वयन एजेंसियों को राजस्थान सरकार द्वारा अनुदानों का निर्गम |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|          |                                                           | 2024-25            | 2024-25                                             | 2024-25                                                           |
| 1.       | स्थानीय सरकार हेतु अनुदान                                 | 4,797.00           | 4,188.24                                            | 4,188.24                                                          |
|          | (i) ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान                     | 3,166.00           | 2,855.71                                            | 2,855.71                                                          |
|          | अ) मूल/अनटाईड अनुदान                                      | 1,266.40           | 1,142.52                                            | 1,142.52                                                          |
|          | ब) प्रदर्शन/टाईड अनुदान                                   | 1,899.60           | 1,713.19                                            | 1,713.19                                                          |
| 2.       | (ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान                       | 1,631.00           | 1,332.53                                            | 1,332.53                                                          |
|          | अ. दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर (जयपुर, जोधपुर, कोटा) | 493.00             | 416.92                                              | 416.92                                                            |
|          | क) वायु गुणवत्ता                                          | 165.00             | 88.92                                               | 88.92 <sup>8</sup>                                                |
|          | ख) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता                       | 328.00             | 328.00                                              | 328.00                                                            |
|          | ब. दस लाख से कम जनसंख्या वाले शहर                         | 1,138.00           | 915.61                                              | 915.61 <sup>9</sup>                                               |
|          | अ) मूल/अनटाईड अनुदान                                      | 455.20             | 366.24                                              | 366.24                                                            |
|          | ब) प्रदर्शन/टाईड अनुदान                                   | 682.80             | 549.37                                              | 549.37                                                            |
| 3.       | स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनुदान                            | 918.34             | 773.80                                              | 773.80 <sup>10</sup>                                              |

8. इसमें वर्ष 2023-24 से संबंधित वायु गुणवत्ता सुधार अनुदान के रूप में ₹ 37.92 करोड़ की राशि शामिल है, जिसे भारत सरकार द्वारा 05.06.2024 को हस्तांतरित किया गया था, और वर्ष 2024-25 से संबंधित ₹ 51.00 करोड़ की राशि शामिल है, जिसे भारत सरकार द्वारा 31.03.2025 को हस्तांतरित किया गया था और आगे राज्य सरकार द्वारा 16-04-2025 को जारी किया गया था।
9. इस अनुदान में वर्ष 2024-25 से संबंधित ₹ 541.11 करोड़ शामिल हैं, जो भारत सरकार द्वारा 31-03-2025 को हस्तांतरित किए गए और राज्य सरकार द्वारा 08-04-2025 को जारी किए गए, और वर्ष 2023-24 से संबंधित ₹ 374.50 करोड़ (बंधित अनुदान की दूसरी किस्त: ₹ 224.70 करोड़ और अबंधित अनुदान: ₹ 149.80 करोड़), जो भारत सरकार द्वारा 30 मई 2024 को हस्तांतरित किए गए और राज्य सरकार द्वारा 21.06.2024 को जारी किए गए।
10. इस अनुदान में वर्ष 2022-23 से संबंधित ₹ 773.80 करोड़ शामिल हैं, जो भारत सरकार द्वारा 25.02.2025 और 28-03-2025 को हस्तांतरित किए गए थे और राज्य सरकार द्वारा 18-03.2025 और 27-05-2025 को जारी किए गए थे।

| क्र. सं. | अनुदान का नाम                                                                                      |                  | XV-एफसी की अनुशंसा  | भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को वास्तविक निर्गम | क्रियान्वयन एजेंसियों को राजस्थान सरकार द्वारा अनुदानों का निर्गम |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                    |                  | 2024-25             | 2024-25                                             | 2024-25                                                           |
|          | <b>अ. ग्रामीण क्षेत्र</b>                                                                          |                  | <b>770.27</b>       | <b>667.31</b>                                       | <b>667.31</b>                                                     |
|          | उप-केन्द्रों की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में जांच-संबंधी अवसंरचना के लिए सहायता                   |                  | 110.75              | 48.68                                               | 48.68                                                             |
|          | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में जांच-संबंधी अवसंरचना के लिए सहायता   |                  | 128.16              | 168.00                                              | 168.00                                                            |
|          | ब्लॉक स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयाँ                                                           |                  | 30.21               | 27.40                                               | 27.40                                                             |
|          | भवन रहित उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र                    |                  | 210.98              | 191.39                                              | 191.39                                                            |
|          | ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्रों का स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों में रूपांतरण |                  | 290.17              | 231.84                                              | 231.84                                                            |
|          | <b>ब. शहरी क्षेत्र</b>                                                                             |                  | <b>148.07</b>       | <b>106.49</b>                                       | <b>106.49</b>                                                     |
|          | उप-केन्द्रों की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में जांच-संबंधी अवसंरचना के लिए सहायता                   |                  | 30.66               | 0.00                                                | 0.00                                                              |
|          | शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र                                                                  |                  | 117.41              | 106.49                                              | 106.49                                                            |
|          | <b>कुल (1+2+3)</b>                                                                                 |                  | <b>5,715.34</b>     | <b>4,962.04</b>                                     | <b>4,962.04</b>                                                   |
| 4        | राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (केंद्रीय सरकार का हिस्सा 75%)                                          | केंद्र का हिस्सा | 1,715.00 (केंद्रीय) | 1,372.00                                            | 1,372.00                                                          |
|          |                                                                                                    | राज्य का हिस्सा  |                     |                                                     | 456.80*                                                           |
|          | राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष                                                                           | केंद्र का हिस्सा | 571* (राज्य)        | 343.00                                              | 506.40 <sup>11</sup>                                              |
|          |                                                                                                    | राज्य का हिस्सा  |                     |                                                     | 114.20*                                                           |
|          | <b>कुल (एसडीआरएमएफ)</b>                                                                            |                  | <b>2,286.00</b>     | <b>1,715.00</b>                                     | <b>2,449.40</b>                                                   |
|          | <b>कुल (1+2+3+4) (*राज्य के हिस्से को छोड़कर)</b>                                                  |                  | <b>7,430.34</b>     | <b>6,677.04</b>                                     | <b>7,411.44</b>                                                   |
| 5        | राजस्व घाटा अनुदान                                                                                 |                  | 0.00                | 0.00                                                | 0.00                                                              |
| 6        | अन्य                                                                                               |                  | 0.00                | 0.00                                                | 0.00                                                              |
|          | <b>महा योग (4+5+6)</b>                                                                             |                  | <b>7,430.34</b>     | <b>6,677.04<sup>9</sup></b>                         | <b>7,411.44</b>                                                   |

स्रोत: XV-एफसी की रिपोर्ट, वित्त लेखे तथा संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

@ पूर्णांकित परिमाण से (-) 0.02 करोड़ का अंतर

वर्ष 2024-25 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ₹ 7,430.34 करोड़ स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, वायु गुणवत्ता सुधार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/स्वच्छता योजना आदि के लिए आवंटित किए गए थे, जिसके विरुद्ध भारत सरकार द्वारा ₹ 6,677.04 करोड़ का हस्तांतरण किया गया। इस प्रकार, राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा सभी अनुदानों के अंतर्गत ₹ 753.30 करोड़ की कम राशि प्राप्त हुई।

राजस्थान के स्थानीय स्वशासन विभाग ने (जून 2025) कम अनुदान प्राप्त होने का कारण यह बताया कि नगर निगम एवं नगरपालिकाओं द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रदर्शन-आधारित शर्तों की पूर्ति नहीं की गई।

15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्य सरकार, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को 10 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित ग्रामीण स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करे। 10 कार्य दिवसों से अधिक की देरी की स्थिति में राज्य सरकार को पूर्व वर्ष के औसत बाजार उधारी/राज्य विकास ऋण की प्रभावी ब्याज दर के अनुसार ब्याज सहित अनुदान जारी करना होगा।

11. इसमें वर्ष 2023-24 की दूसरी किस्त से संबंधित ₹ 163.40 करोड़ शामिल हैं, जो भारत सरकार द्वारा 29.03.2024 को हस्तांतरित किए गए थे और राज्य सरकार द्वारा 09.04.2024 को जारी किए गए थे।

यह पाया गया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए पन्द्रहवें वित्त आयोग के अबंधित और बंधित अनुदानों की प्रथम/द्वितीय किस्तें जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों को क्रमशः पांच और दस दिनों की देरी से हस्तांतरित कीं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर ₹ 7.63 करोड़ का ब्याज देनदारी आई।

स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी पन्द्रहवें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत, वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा ₹ 918.34 करोड़ के विरुद्ध ₹ 773.80 करोड़ एक से तीन माह की देरी से जारी किए गए, जिससे देरी की अवधि के लिए ब्याज देनदारी उत्पन्न हुई। आगे यह भी पाया गया कि वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के लिए संबंधित ₹ 832.74 करोड़ के अनुदान 7 से 675 दिनों की देरी से राज्य सरकार द्वारा जारी/हस्तांतरित किए गए। 13 अक्टूबर 2022 तक की देरी पर राजस्थान सरकार द्वारा ₹ 24.53 करोड़ का ब्याज भुगतान किया गया। साथ ही, वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि से संबंधित ₹ 1,852.30 करोड़ का अनुदान अभी भारत सरकार से प्राप्त होना शेष है।

शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों से संबंधित अनुदान के मामले में यह पाया गया कि कुल प्राप्त अनुदान ₹ 1,606.54 करोड़ में से, वर्ष 2021-22 और 2024-25 के लिए ₹ 106.49 करोड़ की राशि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के पी.डी. स्वाते के बजाय आईसीआईसीआई बैंक स्वाते में स्थानांतरित की गई, अर्थात् इसे सरकारी स्वाते से बाहर रखा गया।

इसके अलावा, वर्ष 2021-22 के लिए “स्वास्थ्य देखभाल एवं कल्याण केंद्र में ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और बाल चिकित्सा केंद्रों के निर्माण” से संबंधित ₹ 263.19 करोड़ के अनुदान के संबंध में, विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राजस्थान राज्य स्वास्थ्य सोसायटी (4008) के पी.डी. स्वाते में केवल ₹ 10 लाख ही स्थानांतरित किए गए हैं। वर्ष 2021-22 के लिए इस अनुदान के कम हस्तांतरण का कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान के वित्त निदेशक ने अवगत कराया (जुलाई 2025 में) कि वर्ष 2021-22 से संबंधित अनुदान वर्ष 2024-25 में जारी किया गया था।

इसके अतिरिक्त, इन अनुदानों के पीडी स्वाते एवं बैंक स्वाते के माध्यम से वास्तविक उपयोग का विवरण संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

### 1.2.2 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित होती हैं, जैसे विनिवेश से प्राप्त आय, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों एवं उनके घटकों की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.12 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 1.12: शुद्ध पूंजी प्राप्तियों की वृद्धि एवं संरचना की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

| राज्य प्राप्तियों के स्रोत | 2020-21   | 2021-22   | 2022-23   | 2023-24   | 2024-25   |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| पूंजीगत प्राप्तियाँ        | 49,328.60 | 47,640.01 | 35,263.81 | 58,686.98 | 59,622.32 |
| विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ  | 14.08     | 31.42     | 16.20     | 14.24     | 7.35      |

| राज्य प्राप्तियों के स्रोत           | 2020-21   | 2021-22   | 2022-23   | 2023-24   | 2024-25   |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ऋण एवं अग्रिमों की वसूली             | 373.52    | 2,373.59  | 419.61    | 404.74    | 516.72    |
| शुद्ध लोक ऋण प्राप्तियाँ             | 48,941.00 | 45,235.00 | 34,828.00 | 58,268.00 | 59,098.25 |
| आंतरिक ऋण                            | 42,712.00 | 37,018.00 | 29,154.00 | 48,896.00 | 48,932.46 |
| भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम          | 6,229.00  | 8,217.00  | 5,674.00  | 9,372.00  | 10,165.78 |
| वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर (प्रतिशत में) |           |           |           |           |           |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)    | 1.79      | 17.46     | 13.45     | 12.17     | 12.02     |
| पूंजीगत प्राप्तियाँ                  | 17.92     | (-)3.42   | (-)25.98  | 66.42     | 1.59      |
| शुद्ध ऋण पूंजी प्राप्तियाँ           | 87.22     | (-)7.57   | (-)23.01  | 67.30     | 1.42      |
| आंतरिक ऋण                            | 87.61     | (-)13.34  | (-)21.24  | 67.72     | 0.07      |
| भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम          | 84.56     | 31.92     | (-)30.95  | 65.17     | 8.47      |

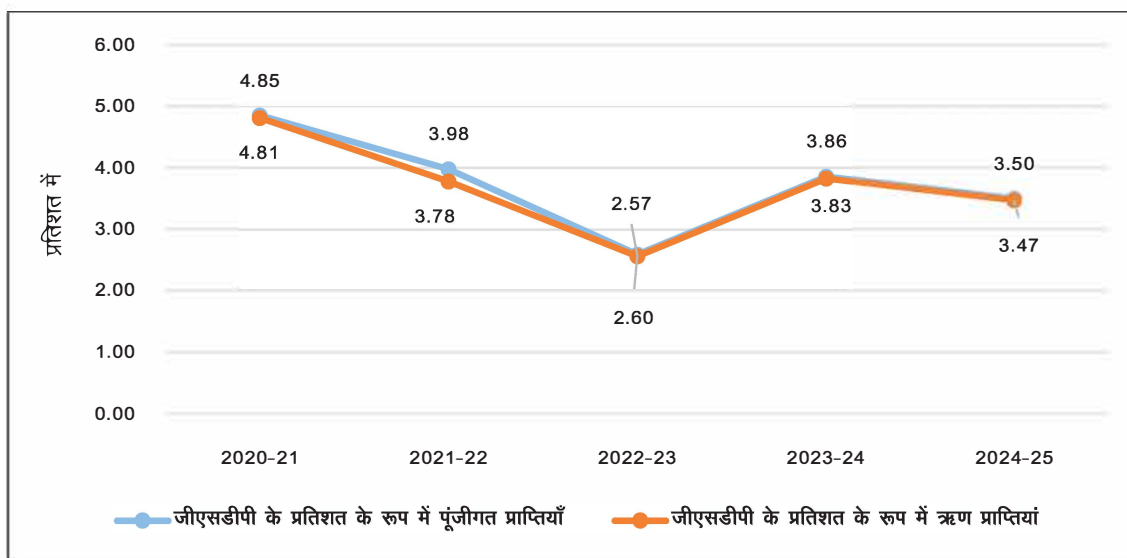
स्रोत : वित्त लेखे

\* मर्गोपाय अग्रिम ओवरड्राफ्ट/विशेष आहरण सुविधा के अंतर्गत शुद्ध आंकड़ों सहित

वर्ष 2024-25 में पूंजीगत प्राप्तियाँ अधिकांशतः ऋण-आधारित रहीं, जहाँ लगभग सम्पूर्ण प्रवाह शुद्ध सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों से प्राप्त हुआ, जबकि वसूली तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ नगण्य स्तर पर बनी रहीं। वर्ष 2023-24 में तीव्र उतार-चढ़ाव एवं अत्यधिक उधार वृद्धि के बाद, वर्ष 2024-25 में पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि उल्लेखनीय रूप से धीमे हुई और यह केवल 1.59 प्रतिशत रही, जबकि जीएसडीपी में 12.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह अस्थायी ऋण-संयम की प्रवृत्ति को इंगित करता है। आंतरिक ऋण अभी भी पूंजीगत वित्तपोषण का प्रमुख साधन बना हुआ है, जिसे भारत सरकार से प्राप्त बढ़ते ऋणों द्वारा पूरक समर्थन प्राप्त है। यह संरचना संकेत देती है कि पूंजी वित्तपोषण के लिए राज्य की निर्भरता मुख्य रूप से उधार पर आधारित है, जबकि आंतरिक पूंजी पुनर्चक्रण की क्षमता सीमित बनी हुई है।

पूंजीगत प्राप्तियों का जीएसडीपी से प्रतिशत चार्ट 1.16 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.16: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत प्राप्तियाँ



जैसाकि उपर्युक्त से स्पष्ट है, राज्य की पूंजीगत प्राप्तियों का प्रमुख स्रोत आंतरिक ऋण है, जो कुल पूंजीगत प्राप्तियों का 82.07 प्रतिशत है। पूंजीगत प्राप्तियों में 1.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2023-24 में ₹ 58,687 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 59,622 करोड़ हो गई।



राज्य सरकार वर्ष-दर-वर्ष बाजार ऋण को प्राथमिकता देती रही है, क्योंकि बाजार ऋण अनटाईड कोष की प्रकृति के होते हैं, जो राज्य सरकार को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार धन स्वर्च करने की स्वतंत्रता देते हैं, जबकि नाबार्ड आदि संस्थानों से लिए गए ऋणों को विशिष्ट क्षेत्रों में चिन्हित योजनाओं पर स्वर्च किया जाना होता है।

### 1.2.3 वित्त आयोग के अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े

पंद्रहवे वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए अनुमानित राजस्व, घाटे एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा उक्त अवधि के वास्तविक आंकड़े तालिका 1.13 में दिए गए हैं।

तालिका 1.13: 15वें वित्त आयोग के अनुमान के समक्ष वास्तविक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

|                                                  | 2020-21   |           | 2021-22   |           | 2022-23   |           | 2023-24   |           | 2024-25   |           |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                  | अनुमानित  | वास्तविक  | अनुमानित  | वास्तविक  | अनुमानित  | वास्तविक  | अनुमानित  | वास्तविक  | अनुमानित  | वास्तविक  |
| जीएसडीपी (2011-12 श्रृंखला- वास्तविक मूल्यों पर) | 11,28,180 | 10,17,917 | 10,50,408 | 11,95,641 | 11,43,069 | 13,56,480 | 12,54,154 | 15,21,510 | 13,83,163 | 17,04,339 |
| स्व-राजस्व प्राप्तियाँ                           | 99,750    | 73,936    | 84,704    | 93,563    | 93,662    | 1,07,911  | 1,04,577  | 1,12,766  | 1,17,481  | 1,26,812  |
| राज्य की स्व-कर राजस्व प्राप्तियाँ               | 80,422    | 60,283    | 63,384    | 74,808    | 71,370    | 87,346    | 79,902    | 94,086    | 90,014    | 1,03,310  |
| राज्य की स्व-गैर कर-राजस्व प्राप्तियाँ           | 19,327    | 13,653    | 20,320    | 18,755    | 22,292    | 20,565    | 24,675    | 18,680    | 27,467    | 23,502    |
| संघीय करों शुल्कों में/ राज्य का हिस्सा          | 51,131    | 35,576    | 39,687    | 54,031    | 44,148    | 57,231    | 49,677    | 68,063    | 56,438    | 77,548    |
| राजस्व घाटा* (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)    | (-) 0.01  | 4.59      | (-) 0.05  | 2.16      | (-) 0.08  | 2.23      | (-) 1.2   | 2.55      | (-) 1.7   | (-) 2.46  |
| राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)   | 4.50      | 6.20      | 4.00      | 4.03      | 3.50      | 3.61      | 3.00      | 4.29      | 3.00      | 4.25      |

\* ऋणात्मक मान अधिशेष को दर्शाते हैं तथा धनात्मक मान घाटे को दर्शाते हैं।

15वें वित्त आयोग के अनुमानों की वास्तविक आंकड़ों से तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि हाल के वर्षों में जीएसडीपी की वृद्धि, स्व-कर राजस्व और केंद्रीय हस्तांतरण अनुमानों से कहीं अधिक रहे, फिर भी राज्य अनुमानित राजस्व संतुलन या राजकोषीय समेकन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। मजबूत व्यापक आर्थिक प्रदर्शन और अधिक केंद्रीय हस्तांतरण के बावजूद राजस्व घाटे बने रहे, और अधिकांश वर्षों में राजकोषीय घाटा भी आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा।

### 1.2.4 व्यय

सरकारी व्यय को राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय में विभागों के रख-रखाव, मरम्मत एवं दैनिक कार्य संचालन से संबंधित स्वर्च शामिल होते हैं, जिनमें प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय भी सम्मिलित हैं। पूंजीगत व्यय का संबंध परियोजनाओं के प्रारंभिक निर्माण तथा परिसंपत्तियों में स्वीकृत सुधार या विस्तार से होता है। ऋण एवं अग्रिमों में सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य संस्थाओं को प्रदान की गई वह राशि शामिल होती है, जो समय के साथ वसूल की जाती है। व्यय का विवरण, कुल व्यय का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में विवरण तथा उसके घटकों का हिस्सा क्रमशः तालिका 1.14, चार्ट 1.17 और चार्ट 1.18 में दिया गया है।

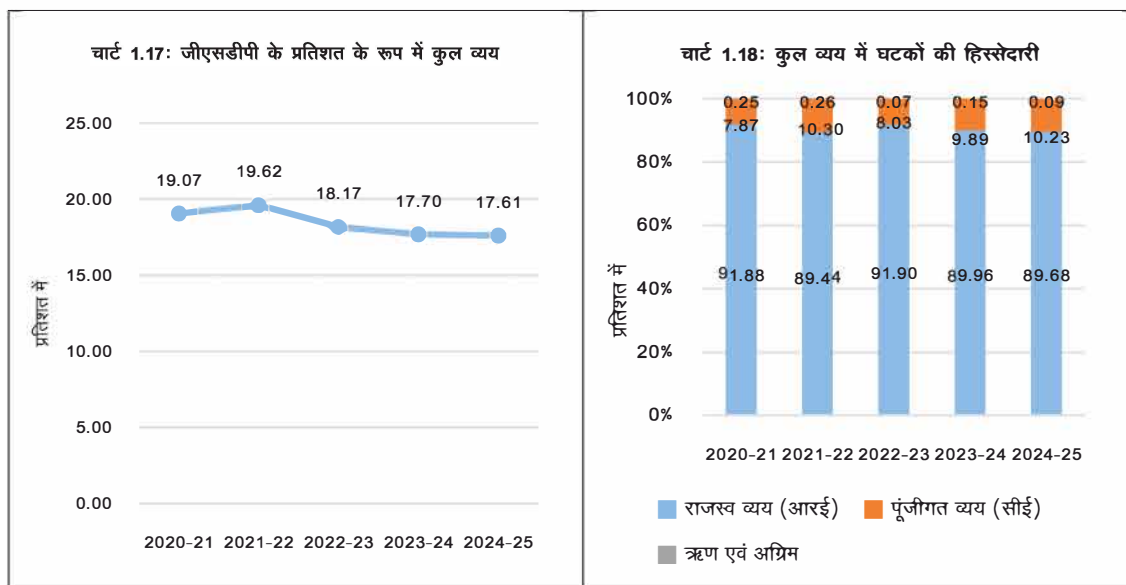


तालिका 1.14: कुल व्यय तथा उसके घटक

(₹ करोड़ में)

| मानदंड                    | 2020-21  | 2021-22  | 2022-23  | 2023-24  | 2024-25  |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| कुल व्यय (टीई)            | 1,94,071 | 2,34,563 | 2,46,452 | 2,69,275 | 3,00,194 |
| राजस्व व्यय (आरई)         | 1,78,309 | 2,09,790 | 2,26,479 | 2,42,231 | 2,69,200 |
| पूंजीगत व्यय (सीई)        | 15,270   | 24,152   | 19,798   | 26,646   | 30,727   |
| संवितरित ऋण एवं अग्रिम    | 491      | 621      | 175      | 398      | 267      |
| आकस्मिक निधि में विनियोजन | -        | -        | -        | -        | -        |

स्रोत: वित्त लेखे



स्रोत: वित्त लेखे

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य द्वारा किए गए कुल ₹ 3,00,194 करोड़ के व्यय में से, कुल ₹ 21,859.46 करोड़ की राशि पास-थ्रू लेनदेन से संबंधित थी, जिनमें वित्त आयोग अनुदान (₹ 6,677.06 करोड़) तथा सीएसएस के अंशदान की राशि (केंद्रीय अंश: ₹ 15,182.40 करोड़) शामिल हैं।

पूर्ण रूप से, कुल व्यय (टीई) में वृद्धि का रुझान देखा गया। कुल व्यय ₹ 1,06,123 करोड़ (54.68 प्रतिशत) की वृद्धि के साथ वर्ष 2020-21 के ₹ 1,94,071 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 3,00,194 करोड़ हो गया। वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल व्यय (टीई) पिछले वर्ष (₹ 2,69,275 करोड़) की तुलना में ₹ 30,919 करोड़ (11.48 प्रतिशत) बढ़ गया।

वर्ष 2024-25 में कुल व्यय में वृद्धि मुख्यतः राजस्व व्यय में ₹ 26,969 करोड़ (11.13 प्रतिशत) तथा पूंजीगत व्यय में ₹ 4,081 करोड़ (15.32 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई।

सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के अनुपात में राज्य का कुल व्यय में वर्ष 2021-22 में वृद्धि देखी गई, जिसके बाद यह 19.62 प्रतिशत से लगातार घटकर 17.61 प्रतिशत हो गया। इसका मुख्य कारण राजस्व और पूंजीगत व्यय में जीएसडीपी के सापेक्ष निरंतर कमी थी।

राजस्व व्यय, कुल व्यय का प्रमुख घटक रहा, जो पांच वर्षों (2020-2025) की अवधि में 89.44 प्रतिशत से 91.90 प्रतिशत के बीच रहा। वर्ष 2024-25 के दौरान, पूंजीगत व्यय का सापेक्षिक हिस्सा 10.23 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष की तुलना में मामूली रूप से 9.89 प्रतिशत बढ़ा था। पूंजीगत व्यय का पूंजीगत

व्यय के सापेक्ष उच्च अनुपात वांछनीय है, क्योंकि इससे अवसंरचना विकास को बढ़ावा मिलेगा और इस प्रकार अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में योगदान होगा।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान पूंजीगत व्यय में 101.21 प्रतिशत की वृद्धि राजस्व व्यय में 50.97 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है, जो दर्शाता है कि सरकार राज्य की अवसंरचना को सुदृढ़ करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है।

### क्षेत्रवार कुल व्यय

व्यय की क्षेत्रवार संरचना तालिका 1.15 में दी गई है तथा विभिन्न क्षेत्रों की कुल व्यय में सापेक्ष हिस्सेदारी चार्ट 1.19 में दर्शाई गई है।

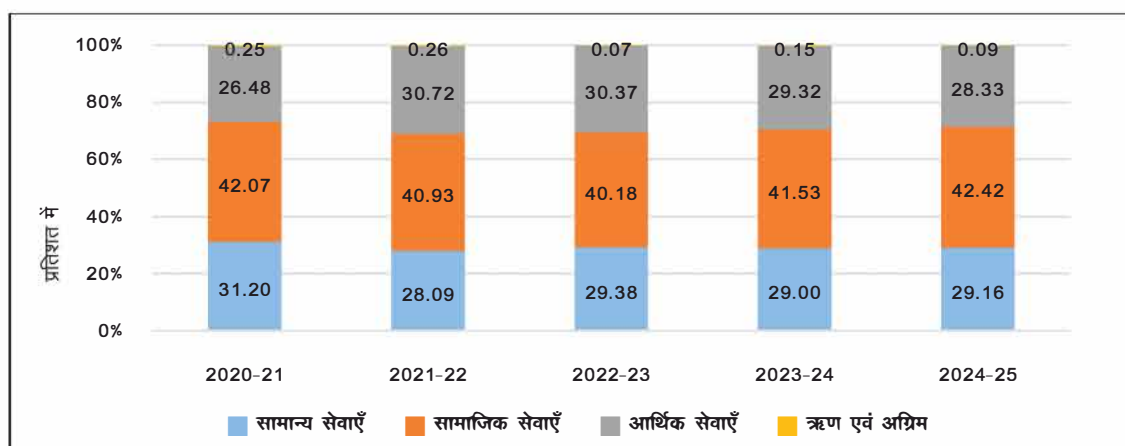
तालिका 1.15: क्षेत्रवार कुल व्यय

(₹ करोड़ में)

| मानदंड                    | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24  | 2024-25  |
|---------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| सामान्य सेवाएँ            | 60,542  | 65,890  | 72,417  | 78,085   | 87,539   |
| सामाजिक सेवाएँ            | 81,651  | 96,005  | 99,019  | 1,11,833 | 1,27,346 |
| आर्थिक सेवाएँ             | 51,387  | 72,047  | 74,841  | 78,959   | 85,042   |
| स्थानीय निकायों को अनुदान | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| ऋण एवं अग्रिम             | 491     | 621     | 175     | 398      | 267      |

स्रोत: वित्त लेख

चार्ट 1.19: कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों की सापेक्ष हिस्सेदारी



स्रोत: वित्त लेख

सामाजिक क्षेत्र सभी पांच वर्षों में प्रमुख क्षेत्र बना रहा, क्योंकि कुल व्यय में इसकी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक रही, जो दर्शाता है कि इस क्षेत्र के लिए अधिक संसाधन आवंटित किए गए हैं। सामाजिक क्षेत्र पर व्यय को प्राथमिकता देने से शिक्षा पर व्यय के लिए साक्षरता दर, नामांकन अनुपात आदि जैसे सामाजिक संकेतकों और स्वास्थ्य पर व्यय के लिए शिशु मृत्यु दर, बाल लिंग अनुपात, स्वास्थ्य अवसंरचना की उपलब्धता आदि की स्थिति में सुधार होता है।

हालांकि, ऊपर दिए गए चार्ट से स्पष्ट है कि कुल व्यय में आर्थिक क्षेत्र की सापेक्षिक हिस्सेदारी पिछले वर्ष की तुलना में 29.32 प्रतिशत से घटकर 28.23 प्रतिशत हो गई है, जो राज्य में अवसंरचना और रोजगार वृद्धि में योगदान देने वाली आर्थिक गतिविधियों के लिए कम संसाधनों के आवंटन को दर्शाता है।

**1.2.4.1 राजस्व व्यय**

राजस्व व्यय का उपयोग वर्तमान स्तर की सेवाओं को बनाए रखने तथा पूर्व दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इसलिए, इससे राज्य की अवसंरचना या सेवा नेटवर्क में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती। राजस्व व्यय की वृद्धि, उसका कुल व्यय, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) तथा राजस्व प्राप्तियों के साथ अनुपात को **तालिका 1.16** में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.16: राजस्व व्यय – मूलभूत मापदंड**

(₹ करोड़ में)

| मापदंड                                                     | 2020-21  | 2021-22  | 2022-23  | 2023-24  | 2024-25  |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| कुल व्यय (टीई)                                             | 1,94,071 | 2,34,563 | 2,46,452 | 2,69,275 | 3,00,194 |
| राजस्व व्यय (आरई)                                          | 1,78,309 | 2,09,790 | 2,26,479 | 2,42,231 | 2,69,200 |
| राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय (आरई) | 132.76   | 114.07   | 116.15   | 119.16   | 118.46   |
| कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आरई                         | 91.88    | 89.44    | 91.90    | 89.96    | 89.68    |
| आरई/जीएसडीपी (प्रतिशत)                                     | 17.52    | 17.55    | 16.70    | 15.92    | 15.79    |
| <b>साल-दर-साल वृद्धि (प्रतिशत में)</b>                     |          |          |          |          |          |
| राजस्व व्यय                                                | 1.03     | 17.66    | 7.96     | 6.96     | 11.13    |
| जीएसडीपी वृद्धि                                            | 1.79     | 17.46    | 13.45    | 12.17    | 12.02    |

स्रोत: वित्त लेख

वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व व्यय, कुल व्यय का 89.68 प्रतिशत रहा। यह वर्ष 2020-21 में ₹ 1,78,309 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 2,69,200 करोड़ हो गया। वर्ष 2024-25 के दौरान, राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 11.13 प्रतिशत (₹ 26,969 करोड़) की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय का अधिकांश हिस्सा सामाजिक सेवाओं (42.64 प्रतिशत) पर खर्च हुआ, इसके बाद सामान्य सेवाओं (32.33 प्रतिशत) पर हुआ, जिनमें प्रशासनिक सेवाएं (4.30 प्रतिशत), पेंशन देनदारियां (10.89 प्रतिशत) और ब्याज भुगतान (14.24 प्रतिशत) शामिल हैं।

राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के सभी वर्षों में 100 प्रतिशत से अधिक था, जो दर्शाता है कि राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व प्राप्तियां पर्याप्त नहीं थीं, जिसके परिणामस्वरूप घाटा उत्पन्न हुआ।

**अ. क्षेत्रवार राजस्व व्यय**

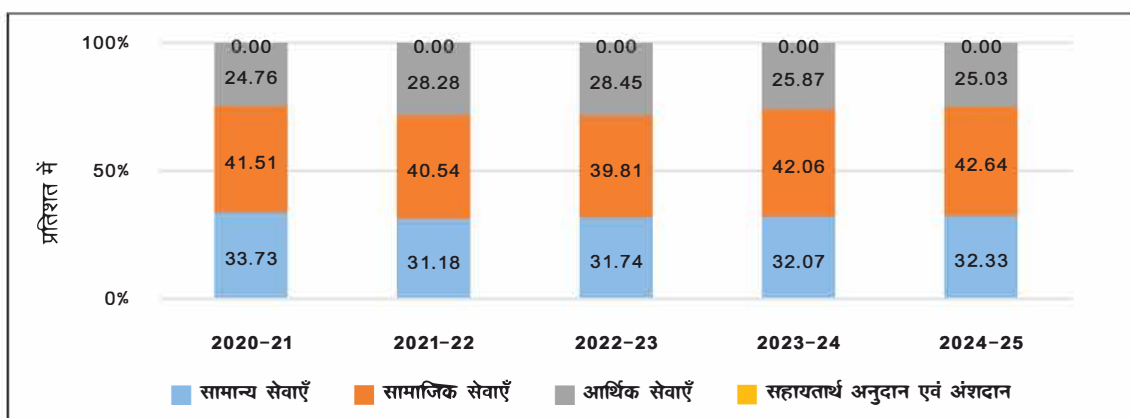
राजस्व व्यय की क्षेत्रवार संरचना **तालिका 1.17** में दी गई है तथा राजस्व व्यय में विभिन्न क्षेत्रों की सापेक्ष हिस्सेदारी **चार्ट 1.20** में दर्शाई गई है। विस्तृत क्षेत्रवार व्यय का विवरण **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है।

**तालिका 1.17: क्षेत्रवार राजस्व व्यय**

(₹ करोड़ में)

| मापदंड                      | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24  | 2024-25  |
|-----------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| सामान्य सेवाएँ              | 60,144  | 65,406  | 71,875  | 77,678   | 87,022   |
| सामाजिक सेवाएँ              | 74,009  | 85,054  | 90,168  | 1,01,884 | 1,14,789 |
| आर्थिक सेवाएँ               | 44,156  | 59,330  | 64,436  | 62,669   | 67,389   |
| सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान | 0.07    | 0.04    | 0.04    | 0.05     | 0.06     |

चार्ट 1.20: राजस्व व्यय में विभिन्न क्षेत्रों की सापेक्ष हिस्सेदारी



स्रोत: वित्त लेखे

राजस्व व्यय के क्षेत्रवार विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच सामान्य सेवा में ₹ 26,878 करोड़ (44.69 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं में ₹ 40,780 करोड़ (55.10 प्रतिशत) और आर्थिक सेवा में ₹ 23,233 करोड़ (52.62 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। सामाजिक सेवाओं की वृद्धि दर अन्य सेवाओं की तुलना में अधिक रही।

वर्ष 2024-25 के दौरान, सामान्य सेवा में ₹ 9,344 करोड़ (12.03 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं में ₹ 12,905 करोड़ (12.67 प्रतिशत) और आर्थिक सेवाओं में ₹ 4,720 करोड़ (7.53 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 26,969 करोड़ (11.13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

### राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्तमान वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष के राजस्व व्यय के संबंध में प्रमुख लेखा शीर्षों के अंतर्गत हुए परिवर्तनों का विवरण तालिका 1.18 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.18: पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में शीर्ष-वार परिवर्तन

| मुख्य लेखाशीर्ष                        | 2023-24   | 2024-25   | परिवर्तन  |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>वृद्धि</b>                          |           |           |           |
| <b>सामान्य क्षेत्र</b>                 |           |           |           |
| 2049 – ब्याज भुगतान                    | 34,127.77 | 38,344.64 | 4,216.87  |
| 2071 – पेंशन एवं अन्य देयताएँ          | 27,203.19 | 29,317.78 | 2,114.59  |
| 2055 – पुलिस                           | 8,438.14  | 9,072.80  | 634.66    |
| <b>सामाजिक क्षेत्र</b>                 |           |           |           |
| 2202 – सामान्य शिक्षा                  | 48,435.25 | 53,030.54 | 4,595.29  |
| 2210 – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य       | 14,931.41 | 17,852.00 | 2,920.59  |
| 2235 – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण      | 13,298.17 | 14,987.89 | 1,689.72  |
| 2217 – शहरी विकास                      | 6,842.94  | 7,632.82  | 789.88    |
| 2215 – जलापूर्ति एवं सफाई              | 4,643.38  | 5,376.31  | 732.93    |
| <b>आर्थिक क्षेत्र</b>                  |           |           |           |
| 2801 – विद्युत                         | 27,037.97 | 32,571.65 | 5,533.68  |
| 2425 – सहकारिता                        | 1,596.04  | 2,588.61  | 992.57    |
| 2515 – अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम    | 9,256.83  | 10,032.75 | 775.92    |
| <b>कमी</b>                             |           |           |           |
| <b>सामान्य क्षेत्र</b>                 |           |           |           |
| 2075- विविध सामान्य सेवाएँ             | 917.62    | 10.26     | -917.36   |
| <b>आर्थिक क्षेत्र</b>                  |           |           |           |
| 3454 – जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी | 2,615.11  | 724.99    | -1,890.12 |
| 3054 – सड़क एवं पुल                    | 4,553.35  | 3,221.39  | -1,331.96 |
| 2401 – फसल कृषि कर्म                   | 4,257.41  | 3,486.83  | -770.58   |

(₹ करोड़ में)

सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय की प्रमुख मदों की संरचना तालिका 1.19 में दी गई है।

तालिका 1.19: सामाजिक सेवाओं में राजस्व व्यय के अंतर्गत प्रमुख मदों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

| विवरण                      | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-23   | 2023-24   | 2024-25   |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| सामान्य शिक्षा             | 34,506.82 | 39,738.75 | 43,705.47 | 48,435.25 | 53,030.54 |
| चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य | 8,391.59  | 10,426.37 | 10,144.84 | 14,931.42 | 17,852.00 |
| सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 9,647.75  | 12,079.02 | 13,393.05 | 13,298.18 | 14,987.89 |
| जल आपूर्ति एवं सफाई        | 3,496.80  | 4,072.35  | 4,295.35  | 4,643.38  | 5,376.31  |
| शहरी विकास                 | 5,982.22  | 6,470.86  | 7,036.57  | 6,842.94  | 7,632.82  |

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान, सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में सामान्य शिक्षा का प्रमुख योगदान रहा, जिसके बाद चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण का स्थान रहा। वर्ष 2024-25 में, सामान्य शिक्षा, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण का योगदान क्रमशः 46.20 प्रतिशत, 15.55 प्रतिशत और 13.05 प्रतिशत रहा।

आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय की प्रमुख मदों की संरचना तालिका 1.20 में दी गई है।

तालिका 1.20: आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय के प्रमुख मदों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

| लेखा शीर्ष                   | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-23   | 2023-24   | 2024-25   |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| फसल कृषि कर्म                | 4,049.76  | 4,460.66  | 3,958.79  | 4,257.42  | 3,486.83  |
| सहकारिता                     | 5,166.31  | 4,355.17  | 1,679.37  | 1,595.04  | 2,588.61  |
| अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 6,216.41  | 10,502.45 | 8,475.87  | 9,256.83  | 10,032.75 |
| विद्युत                      | 14,264.26 | 22,644.27 | 24,515.16 | 27,037.97 | 32,571.65 |
| सड़क एवं पुल                 | 1,464.00  | 2,991.02  | 4,360.32  | 4,553.35  | 3,221.39  |
| पशुपालन                      | 1,605.96  | 1,717.49  | 2,133.85  | 2,798.79  | 2,708.21  |

आर्थिक सेवाओं के संदर्भ में, गत पांच वर्षों के दौरान विद्युत, सड़क और पुल, फसल कृषि कर्म और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रमुख योगदानकर्ता रहे हैं।

## ब. प्रतिबद्ध व्यय

राज्य सरकार का राजस्व खाते पर प्रतिबद्ध व्यय ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय तथा पेंशन पर व्यय से मिलकर बना होता है। इसका सरकारी संसाधनों पर प्रथम दावा होता है। प्रतिबद्ध व्यय के घटकों का विवरण तालिका 1.21 में दिया गया है तथा राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय एवं अन्य व्ययों के लिए शेष वित्तीय संभावना का विवरण चार्ट 1.21 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.21: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

| प्रतिबद्ध व्यय के घटक         | 2020-21  | 2021-22  | 2022-23  | 2023-24  | 2024-25  |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| वेतन एवं मजदूरी <sup>12</sup> | 56,303   | 63,757   | 67,242   | 74,408   | 80,601   |
| पेंशन पर व्यय                 | 22,440   | 23,391   | 25,381   | 27,203   | 29,318   |
| ब्याज भुगतान                  | 25,202   | 28,100   | 30,602   | 34,128   | 38,345   |
| कुल                           | 1,03,944 | 1,15,249 | 1,23,225 | 1,35,739 | 1,48,264 |

12. इसमें सहायतार्थ अनुदान (वेतन) शामिल है: वर्ष 2020-21 (₹ 4,684 करोड़); वर्ष 2021-22 (₹ 6,639 करोड़); वर्ष 2022-23 (₹ 7,468 करोड़); वर्ष 2023-24 (₹ 9,009 करोड़) और वर्ष 2024-25 (₹ 9,810 करोड़)।

| प्रतिबद्ध व्यय के घटक                              | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में प्रतिबद्ध व्यय | 58.29   | 54.94   | 54.41   | 56.04   | 55.08   |
| राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में प्रतिबद्ध व्यय    | 77.39   | 62.66   | 63.20   | 66.78   | 65.24   |

स्रोत: वित्त लेख

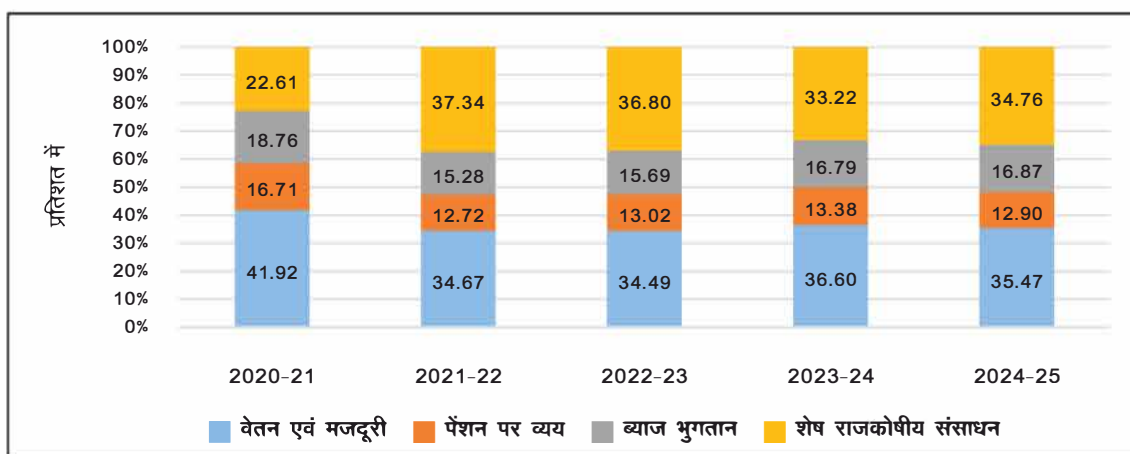
प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2020-21 के ₹1,03,944 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 1,48,264 करोड़ हो गया, जो ₹ 44,320 करोड़ (42.64 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। सही अर्थ में, वर्ष 2024-25 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 12,525 करोड़ की वृद्धि हुई।

राजस्व व्यय में निर्धारित व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 में 58.29 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 55.08 प्रतिशत हो गई और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें मामूली कमी (56.04 प्रतिशत) आयी। कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय की अधिक हिस्सेदारी दर्शाती है कि सरकार ने आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर कम व्यय किया।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि पिछले पांच वर्षों में प्रतिबद्ध व्यय राजस्व प्राप्तियों का लगभग 62.66 से 77.39 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2024-25 के दौरान, प्रतिबद्ध व्यय राजस्व प्राप्तियों का लगभग 65.24 प्रतिशत रहा, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक और सामाजिक कल्याण विकास गतिविधियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता कम रही।

पिछले पाँच वर्षों में, कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय की हिस्सेदारी तथा उपलब्ध राजकोषीय संभावना को चार्ट 1.21 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.21: राजस्व प्राप्तियों और उपलब्ध राजकोषीय संभावना के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय



स्रोत: वित्त लेख

मौद्रिक दृष्टि से, ब्याज भुगतान वर्ष 2020-21 में ₹ 25,202 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 38,345 करोड़ हो गया, जो ₹ 13,143 करोड़ (52.15 प्रतिशत) की वृद्धि को दर्शाता है। पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 4,217 करोड़ (12.36 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई। यह इंगित करता है कि राज्य के उधार एवं उससे संबंधित लागतों के संदर्भ में आवश्यक राजकोषीय अनुशासन बनाए नहीं रखा। हाल के वर्षों में सरकार द्वारा बाजार उधारी पर अधिक निर्भरता के कारण ब्याज भुगतान पर प्रतिबद्ध देनदारियाँ बढ़ी है।

पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि वेतन (₹ 6,193 करोड़), पेंशन पर व्यय (₹ 2,115 करोड़) और ब्याज भुगतान (₹ 4,217 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।



### ● राजस्थान सरकार की पेंशन देनदारियाँ

राज्य सरकार का राजस्व खाते पर प्रतिबद्ध व्यय ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी तथा पेंशन पर व्यय से मिलकर बनता है और इसका सरकारी संसाधनों पर प्रथम दावा होता है। व्यय पक्ष में भी राज्यों के पास सीमित लचीलापन होता है। वर्ष 2024-25 में ये तीनों घटक मिलकर राज्य के कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूंजी व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम वितरण सहित) का 49 प्रतिशत थे। इसके कारण अल्पकाल से मध्यम अवधि तक राज्य की राजकोषीय लचीलापन सीमित हो गया।

#### नीतिगत परिवर्तन का संदर्भ

राज्य ने 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) लागू की थी। एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारी मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करते हैं तथा राज्य सरकार द्वारा समान योगदान (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों (एआईएस) हेतु 14 प्रतिशत) किया जाता है। हालांकि, राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में वापसी की अधिसूचना जारी की, जिसके तहत 5,25,713 राज्य सरकारी कर्मचारियों (एआईएस अधिकारियों को छोड़कर) को एनपीएस से ओपीएस में स्थानांतरित कर दिया गया।

#### तत्काल राजकोषीय प्रभाव

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान, एनपीएस कर्मचारियों के लिए नियोक्ता के अंशदान पर व्यय क्रमशः ₹ 2,132 करोड़ और ₹ 1,911 करोड़ रहा। ओपीएस के तहत, राज्य को अब एनपीएस में नियोक्ता अंशदान करने की आवश्यकता नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप नकद व्यय में अल्पकालिक कमी आई है। इसके बावजूद, पेंशन व्यय में वृद्धि जारी है। पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय वर्ष 2020-21 में ₹ 22,440 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 29,318 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, पेंशन व्यय राजस्व व्यय का 10.89 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों का 12.90 प्रतिशत रहा। पेंशनभोगियों की संख्या वर्ष 2017-18 में 4.12 लाख से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 4.97 लाख हो गई, और हाल के वर्षों में पेंशन व्यय में वार्षिक वृद्धि सात से आठ प्रतिशत के बीच रही। ये प्रवृत्तियां संरचनात्मक रूप से बढ़ती हुई दीर्घकालिक प्रतिबद्ध देनदारियों को दर्शाती हैं।

#### भविष्य की देनदारियों का विस्तार

मार्च 2022 तक, राज्य में 4,73,811 मौजूदा पेंशनभोगी और 5,25,713 एनपीएस अंशदाता, जिन्हें ओपीएस में स्थानांतरित कर दिये गये थे। इस बदलाव से भविष्य में परिभाषित लाभ प्रणाली के तहत लाभार्थियों का आधार काफी बढ़ गया है। एफआरबीएम ढांचे (2024-25) के अंतर्गत, वर्ष 2025-26 से वर्ष 2034-35 तक की दस वर्षों की अवधि के लिए किये गए प्रेक्षणों के अनुसार पेंशन व्यय वर्ष 2026-27 तक लगभग ₹ 40,000 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है और उसके बाद ₹ 38,000 से ₹ 40,000 करोड़ के बीच रहने की सम्भावना है, जो दीर्घकालिक दायित्वों में निरन्तर वृद्धि को दर्शाता है।

#### एनपीवी जोखिम – मात्रात्मक राजकोषीय भार

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने अपने विश्लेषण (अक्टूबर 2025) में ओपीएस में वापस लौटने के दीर्घकालिक राजकोषीय प्रभावों पर प्रकाश डाला। छह प्रतिशत की छूट दर पर (1 अप्रैल 2025 तक) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के अनुमानों के अनुसार, राजस्थान के एनपीएस कर्मचारियों की पेंशन देनदारियों की एनपीवी ₹ 2,27,895 करोड़, यूपीएस के तहत ₹ 3,25,466 करोड़

और ओपीएस के तहत ₹ 10,29,201 करोड़ होगा। इस प्रकार, ओपीएस के तहत देनदारियों का वर्तमान मूल्य एनपीएस के तहत देनदारियों का 4.52 गुना है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि ओपीएस एक अवित्तपोषित परिभाषित लाभ प्रणाली है, जिसमें भविष्य की सभी पेंशन देनदारियाँ पूरी तरह राज्य के बजट संसाधनों पर निर्भर होंगी।

### संरचनात्मक राजकोषीय जोखिम

हालाँकि, ओपीएस की ओर वापसी से एनपीएस के अंतर्गत नियोक्ता योगदान में तात्कालिक कमी आती है, परिणामस्वरूप अस्थायी राजकोषीय राहत मिलती है। लगभग 2034 से, जब 2004 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारी सेवानिवृत्त होना शुरू करेंगे, पेंशन भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है और यह पूरी तरह राजस्व खाते पर भारित होगा, जिसमें देनदारियाँ मुद्रास्फीति से अनुक्रमित होंगी। अतः राजकोषीय प्रभाव समाप्त नहीं होता, बल्कि केवल स्थगित होता है। बीमांकिक मूल्यांकन, देनदारियों का आवधिक आकलन और एक समर्पित पेंशन कोष की स्थापना के अभाव में, ओपीएस की ओर यह बदलाव दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता और अंतर-पीढ़ीगत समानता के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है।

## अ. अर्थ-सहाय्य

वर्तमान वर्ष में अर्थ-सहाय्य पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 5,621.99 करोड़ (19.79 प्रतिशत) बढ़ गई। यह वृद्धि मुख्य रूप से विद्युत् अर्थ-सहाय्य में ₹ 5,533.68 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक विभागवार प्रमुख अर्थ-सहाय्य को तालिका 1.22 में दर्शाया गया है।

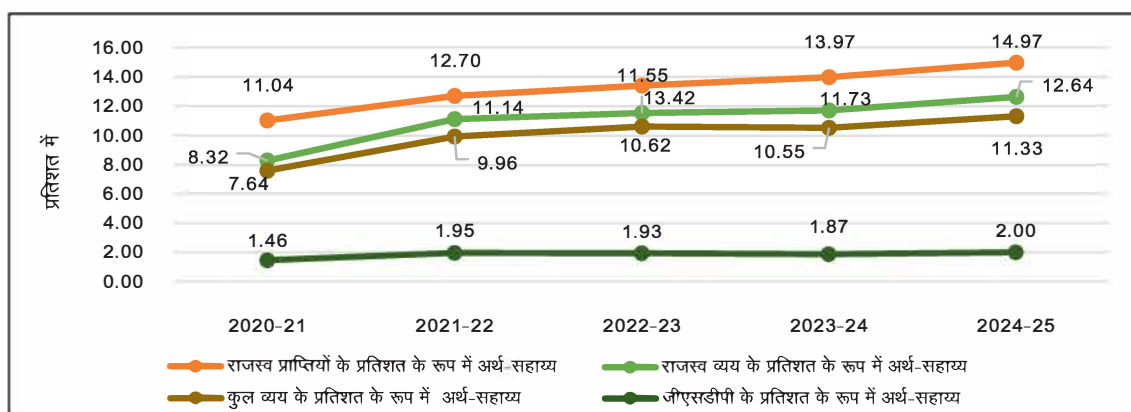
तालिका 1.22: वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान विभागवार अर्थ-सहाय्य

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं.         | विभाग – क्षेत्र                                          | 2020-21   | 2021-22   | 2022-23   | 2023-24   | 2024-25   |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | वित्त (मगोपाय)-विद्युत् क्षेत्र                          | 14,264.25 | 22,644.27 | 25,405.16 | 27,037.97 | 32,571.65 |
| 2               | उद्यानिकी                                                | 292.51    | 551.30    | 649.31    | 671.89    | 955.91    |
| 3               | स्वाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग, जयपुर | 210.90    | 113.64    | 68.23     | 616.86    | 407.20    |
| 4               | उद्योग ग्राम एवं लघु उद्योग –                            | 26.91     | 26.29     | 17.03     | 18.75     | 23.85     |
| 5               | जल संसाधन विभाग लघु सिंचाई –                             | 18.13     | 19.33     | 17.30     | 24.98     | 27.48     |
| 6               | महिला सशक्तिकरण                                          | 1.11      | 2.11      | 6.30      | 30.00     | 30.00     |
| 7               | नागरिक उड्डयन                                            | 14.68     | 6.97      | 2.80      | 1.98      | 8.33      |
| कुल अर्थ-सहाय्य |                                                          | 14,828.49 | 23,363.91 | 26,166.13 | 28,402.43 | 34,024.42 |

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख

चार्ट 1.22: अर्थ-सहाय्य का प्रवृत्ति विश्लेषण



अर्थ-सहाय्य की राशि निरपेक्ष रूप से तथा राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक निरंतर बढ़ी। वर्ष 2024-25 में, राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में अर्थ-सहाय्य 14.97 प्रतिशत तथा राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में 12.64 प्रतिशत रहा। वर्ष 2024-25 में अनुदान भुगतान ₹ 34,024 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष (₹ 28,402 करोड़) की तुलना में 19.79 प्रतिशत अधिक है।

राजस्थान सरकार की कुल अर्थ-सहाय्य व्यय का सबसे बड़ा घटक विद्युत क्षेत्र को दिया गया अर्थ-सहाय्य था, जो वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 95.73 प्रतिशत (₹ 32,572 करोड़) रहा। विद्युत क्षेत्र को दिया गया अर्थ-सहाय्य वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान कुल अनुदान का 95.20 प्रतिशत से 97.09 प्रतिशत के बीच रहा।

वर्ष 2024-25 के दौरान विद्युत क्षेत्र को मुख्यतः विद्युत दरों में वृद्धि न किए जाने के कारण: (₹ 22,820 करोड़), हानि अधिग्रहण हेतु अनुदान (₹ 2,682 करोड़) एवं राज्य सरकार से विद्युत वितरण कंपनियों को देय अनुदान (टैरिफ अनुदान) (₹ 6,880 करोड़) मदों में अर्थ-सहाय्य दी गई। वर्ष 2024-25 में अन्य प्रमुख अर्थ-सहाय्य मदों में फसल कृषि-कर्म (₹ 956 करोड़) तथा रसोई गैस सिलेंडर अर्थ-सहाय्य योजना (₹ 402 करोड़) शामिल रहे।

राजस्व घाटा लगातार बना हुआ है, और राजकोषीय संभावना कम हो गयी है क्योंकि राज्य अपने राजस्व व्यय का 12.64 प्रतिशत से ज्यादा अर्थ-सहाय्य पर स्वर्च कर रहे हैं, जबकि राजकोषीय संभावना (राज्य के पास प्रतिबद्ध व्यय के बाद उपलब्ध बजटीय संसाधन) घटकर राजस्व प्राप्तियों के 40 प्रतिशत से कम रह गया है। प्रतिबद्ध व्यय- वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान वर्तमान में राजस्व प्राप्तियों का 65.24 प्रतिशत से अधिक उपभोग कर रहे हैं। इससे विकासात्मक व्यय के लिए सीमित संसाधन शेष रहते हैं।

विद्युत क्षेत्र में सुधार अत्यंत आवश्यक हैं। बकाया विद्युत अर्थ-सहाय्य का संचय, प्रत्यक्ष अनुदानों को सार्वजनिक ऋण में परिवर्तित कर देता है, जिससे विद्युत क्षेत्र की व्यवहार्यता और राज्य की वित्तीय स्थिति दोनों प्रभावित होती हैं। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के क्रियान्वयन का अनुभव दर्शाता है कि जब तक अनुदान वितरण और लक्ष्यीकरण में मूलभूत सुधार नहीं किए जाते, केवल वित्तीय पुनर्गठन अस्थायी राहत ही प्रदान करता है।

## ब. राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को अनुदान के रूप में प्रदान की गई सहायता का विवरण तालिका 1.23 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.23: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

| संस्थाएँ                                                                             | 2020-21          | 2021-22          | 2022-23          | 2023-24          | 2024-25          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (अ) स्थानीय निकाय                                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| नगर निगम एवं नगरपालिकाएँ                                                             | 5,205.98         | 5,542.19         | 6,229.12         | 5,626.23         | 7,355.34         |
| नगर निगम एवं नगरपालिकाओं को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहाय्यार्थ अनुदान (i) | 5                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| जिला परिषदें एवं अन्य पंचायती राज संस्थान                                            | 14,543.19        | 21,585.50        | 20,766.58        | 17,536.45        | 20,253.14        |
| पंचायती राज संस्थाओं को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहाय्यार्थ अनुदान (ii)    | 153.85           | 348.11           | 241.09           | 247.06           | 245.83           |
| <b>कुल (अ)</b>                                                                       | <b>19,749.17</b> | <b>27,127.69</b> | <b>26,995.70</b> | <b>23,162.68</b> | <b>27,608.48</b> |

| संस्थाएँ                                                                            | 2020-21          | 2021-22          | 2022-23          | 2023-24          | 2024-25          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (ब) अन्य                                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| शैक्षणिक संस्थान (अनुदानित विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आदि)               | 1,267.73         | 1,393.81         | 1,892.14         | 2,213.56         | 2,405.14         |
| विकास प्राधिकरण                                                                     | 12.87            | 28.48            | 39.02            | 44.33            | 32.02            |
| अस्पताल एवं अन्य परोपकारी संस्थाएँ                                                  | 430.43           | 1,539.23         | 1,859.75         | 2,343.24         | 2,689.80         |
| अन्य संस्थाएँ <sup>13</sup>                                                         | 18,284.48        | 19,037.44        | 18,657.08        | 20,564.73        | 22,084.03        |
| अन्य लोगों के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहाय्यतार्थ अनुदान (iii)       | 835.87           | 230.58           | 26.26            | 303.88           | 451.47           |
| <b>कुल (ब) पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहाय्यतार्थ अनुदान को छोड़कर</b> | <b>19,995.51</b> | <b>21,998.96</b> | <b>22,447.99</b> | <b>25,165.86</b> | <b>27,210.99</b> |
| <b>कुल (अ+ब)</b>                                                                    | <b>39,744.68</b> | <b>49,126.65</b> | <b>49,443.69</b> | <b>48,328.54</b> | <b>54,819.47</b> |
| पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कुल सहाय्यतार्थ अनुदान (i)+(ii)+(iii)            | 989.72           | 578.69           | 267.35           | 550.94           | 697.30           |
| राजस्व व्यय                                                                         | 1,78,309         | 2,09,790         | 2,26,479         | 2,42,231         | 2,69,200         |
| राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता                                            | 22.29            | 23.42            | 21.83            | 19.95            | 20.36            |

वर्तमान वर्ष में स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 6,490.93 करोड़ (13.43 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः नगर निगमों एवं नगरपालिकाओं को दी गई सहायता (₹ 1,729.11 करोड़: 30.73 प्रतिशत) तथा पंचायती राज संस्थाओं को दी गई सहायता (₹ 2,716.69 करोड़: 15.49 प्रतिशत) के कारण हुई। वर्ष के दौरान नगर निगमों एवं नगरपालिकाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं को नई/अधिक सहायता मुख्यतः श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (शहरी), स्वच्छ भारत मिशन - अर्बन 2.0 (क्षमता निर्माण) आदि योजनाओं, वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अधिक अनुदानों तथा वैधानिक निगम (राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवरेज निगम) को अधिक अनुदान के कारण दी गई। वर्तमान वर्ष में स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को दी गई कुल वित्तीय सहायता, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, पिछले वर्ष के 19.95 प्रतिशत से बढ़कर 20.36 प्रतिशत हो गई।

### छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-आई और 243-वाई में प्रावधान है कि राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 के लागू होने के एक वर्ष के भीतर तथा उसके पश्चात प्रत्येक पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाए, ताकि पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जा सके। इन अनुच्छेदों में यह भी प्रावधान है कि राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) राज्य और पंचायतों/नगरपालिकाओं के बीच राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, टोल और फीस की शुद्ध आय के वितरण के सिद्धांतों की अनुशंसा करेगा। आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं को राज्य की समेकित निधि से अनुदान देने तथा स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने के उपायों की भी अनुशंसा करेगा। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए छठे एसएफसी की अंतरिम रिपोर्ट जून 2021 में राज्य सरकार को सौंपी गई थी और एसएफसी की सिफारिशों को राज्य सरकार ने सितंबर 2021 में स्वीकार कर लिया था।

13. इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए दिए गए अर्थ-सहाय्य शामिल थे: (i) सामान्य शिक्षा: ₹ 6,022.98 करोड़; (ii) परिवार कल्याण: ₹ 3,114.71 करोड़; (iii) फसल पालन: ₹ 1,249.81 करोड़; (iv) प्राकृतिक आपदाओं से राहत: ₹ 692.72 करोड़; (v) पशुपालन: ₹ 1,236.23 करोड़; (vi) सरकारी कंपनियाँ: ₹ 1,027.75 करोड़; (vii) सहकारी संस्थाएँ: ₹ 1,410.09 करोड़; (viii) वैधानिक निगम: ₹ 1,423.54 करोड़; (ix) श्रम, रोजगार और कौशल विकास: ₹ 761.14 करोड़ और (x) बिक्री, व्यापार आदि पर कर: ₹ 961.93 करोड़।



इसके अतिरिक्त, छठे एसएफसी की अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें 68 सिफारिशें और सुझाव शामिल थे, जिनमें स्थानीय निकायों को निधि हस्तांतरण से संबंधित 22 सिफारिशें भी थीं। कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने 20 सिफारिशें स्वीकार कर राज्यपाल को प्रस्तुत कर दीं।

छठी एसएफसी की अंतिम रिपोर्ट में वर्ष 2023-24 तक राज्य की स्व-कर राजस्व आय की शुद्ध आय का 6.75 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए। वर्ष 2024-25 के लिए यह बढ़ाकर 7.00 प्रतिशत किया जाए। राशि का वितरण वर्ष 2023-24 तक 75.1:24.9 के अनुपात में तथा वर्ष 2024-25 में 73.2:26.8 के अनुपात में किया जाए।

राज्य के स्व-कर राजस्व की शुद्ध आय, स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि और वर्ष 2020-25 की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा वास्तविक रूप से जारी राशि का विवरण तालिका 1.24 में दिया गया है।

तालिका 1.24: 2020-25 के दौरान स्थानीय निकायों को निधि हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण                                                             | वर्ष      |           |           |           |              |             |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|
|         |                                                                   | 2020-21   | 2021-22   | 2022-23   | 2023-24   | 2024-25      | योग         |
| 1.      | स्व-कर राजस्व                                                     | 60,283.44 | 74,807.98 | 87,346.38 | 94,085.94 | 1,103,309.97 | 4,19,833.71 |
| 2.      | घटाए:संग्रहण व्यय                                                 | 2,672.01  | 2,697.04  | 2,517.50  | 2,547.19  | 3,278.76     | 13,712.50   |
| 3.      | शुद्ध प्राप्तियां                                                 | 57,611.43 | 72,110.94 | 84,828.88 | 91,538.75 | 1,00,031.21  | 4,06,121.21 |
| 4.      | कुल निधि हस्तांतरण<br>शुद्ध स्व-कर राजस्व का —<br>6.75% एवं 7.00% | 3,888.77  | 4,867.49  | 5,725.94  | 6,178.88  | 7,002.18     | 27,663.26   |
| 5.      | कुल हस्तांतरण में पीआरआई का हिस्सा                                | 2,920.47  | 3,655.48  | 4,300.18  | 4,640.34  | 5,125.60     | 20,642.06   |
|         | (अ) जिला परिषद् (5%)                                              | 146.02    | 182.77    | 215.01    | 232.02    | 256.28       | 1,032.10    |
|         | (ब) पंचायत समिति (20%)                                            | 584.10    | 731.10    | 860.04    | 928.07    | 1,025.12     | 4,128.42    |
|         | (स) ग्राम पंचायत (75%)                                            | 2,190.35  | 2,741.61  | 3,225.13  | 3,480.25  | 3,844.20     | 15,481.54   |
| 6.      | कुल हस्तांतरण में यूएलबी का हिस्सा                                | 968.30    | 1,212.01  | 1,425.76  | 1,538.54  | 1,876.58     | 7,021.20    |
|         | (i) नगर निगम<br>(28.47% एवं 26.8%)                                | 275.71    | 345.06    | 405.91    | 438.02    | 534.26       | 1,998.93    |
|         | (ii) नगरपालिकाएँ/ नगर परिषदें<br>(71.53% एवं 73.2%)               | 692.59    | 866.95    | 1,019.85  | 1,100.52  | 1,342.32     | 5,022.27    |
| 7.      | वास्तव में हस्तांतरित अनुदान                                      | 4,203.81  | 5,678.27  | 5,207.48  | 3,385.61  | 5,761.05     | 24,236.22   |
|         | (अ) पीआरआई                                                        | 2,539.43  | 4,479.63  | 3,951.63  | 2,455.38  | 3,965.46     | 17,391.53   |
|         | (ब) यूएलबी                                                        | 1,664.38  | 1,198.64  | 1,255.85  | 930.23    | 1,795.59     | 6,844.69    |
| 8.      | अल्प हस्तांतरण (7-4)                                              | 315.04    | 810.78    | -518.47   | 2,793.26  | -1,241.13    | -3,427.04   |
|         | (अ) पीआरआई                                                        | -381.03   | 824.15    | -348.56   | -2,184.95 | -1,160.17    | -3,250.53   |
|         | (ब) यूएलबी                                                        | 696.07    | -13.37    | -169.91   | -608.31   | -80.99       | -176.51     |

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2020-25 के दौरान राज्य सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार देय कुल हस्तांतरण के विरुद्ध स्थानीय निकायों को ₹ 3,427.04 करोड़ की कम राशि हस्तांतरित की। यद्यपि वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान शुद्ध स्व-कर राजस्व में वृद्धि के अनुरूप स्थानीय निकायों को हस्तांतरण में वृद्धि हुई, फिर भी हाल के वर्षों में वास्तविक हस्तांतरण निर्धारित राशि से कम रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3,427 करोड़ का संचयी अल्प हस्तांतरण हुआ।

इसके अतिरिक्त, सात जिला परिषदों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, वर्ष 2020-25 के दौरान छठे एसएफसी आवंटन के तहत जिला परिषदों द्वारा प्राप्त और उपयोग किए गए धन की स्थिति की समीक्षा नीचे दी गई तालिका 1.25 में दी गई है:

तालिका 1.25: जिला परिषदों को हस्तांतरित एवं उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | जिला परिषद का नाम | वर्ष 2020-25 के दौरान                |                  |            | वर्तमान वर्ष अर्थात् 2024-25 के दौरान |                  |            |
|---------|-------------------|--------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------|------------------|------------|
|         |                   | राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित धनराशि | उपयोग की गई निधि | उपयोग का % | राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित धनराशि  | उपयोग की गई निधि | उपयोग का % |
| 1       | टोंक              | 347.53                               | 283.10           | 81.46      | 132.37                                | 74.91            | 56.59      |
| 2       | बारां             | 18.60                                | 12.03            | 64.68      | 5.87                                  | 1.66             | 28.28      |
| 3       | चित्तौड़गढ़       | 21.53                                | 16.14            | 74.97      | 6.97                                  | 4.40             | 63.13      |
| 4       | अलवर              | 31.46                                | 11.95            | 37.98      | 12.21                                 | 4.16             | 34.07      |
| 5       | बाड़मेर           | 42.73                                | 23.06            | 53.97      | 14.22                                 | 12.93            | 90.92      |
| 6       | भीलवाड़ा          | 625.69                               | 625.70           | 100.00     | 108.02                                | 108.02           | 100.00     |
| 7       | पाली              | 447.16                               | 414.31           | 92.66      | 105.92                                | 101.62           | 95.94      |

वर्ष 2020-25 के दौरान चयनित जिला परिषदों द्वारा निधि उपयोग में उल्लेखनीय अंतर-जिला भिन्नता पाई गई। भीलवाड़ा और पाली ने निरंतर उच्च स्तर का उपयोग प्रदर्शित किया, जबकि अलवर और बारां में अपेक्षाकृत कम उपयोग दर्ज हुआ। वर्ष 2024-25 में कई जिलों, विशेषकर टोंक, बारां और अलवर में उपयोग में तीव्र गिरावट देखी गई, जो संभावित रूप से क्रियान्वयन में विलंब या क्षमता संबंधी बाधाओं की ओर संकेत करती है।

राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित निधियों के विरुद्ध जिला परिषदों द्वारा निधि उपयोग का प्रतिशत वर्ष 2020-25 के दौरान 37.98 से 100 प्रतिशत के बीच रहा, जबकि वर्तमान वर्ष में यह 28.28 से 100 प्रतिशत के बीच रहा।

जिला परिषद चित्तौड़गढ़ और अलवर ने बताया कि स्वीकृतियाँ जारी की जा रही हैं और समायोजन प्रगति पर है। शेष जिला परिषदों द्वारा एसएफसी अनुदान का उपयोग (सितंबर 2025 तक) अभी प्रतीक्षित है।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान लैंगिक अनुकूल स्थानों (2%) और प्रोत्साहन अनुदान/प्रदर्शन अनुदान (3%) हेतु अनुदान प्रदान नहीं किया गया, जबकि ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा भी प्रोत्साहन अनुदान/प्रदर्शन अनुदान (3%) प्रदान नहीं किया गया।

हस्तांतरित निधियों का असमान उपयोग विकासात्मक कार्यक्रमों के समय पर क्रियान्वयन को प्रभावित कर सकता है और जिला स्तर पर अधिक सघन निगरानी एवं क्षमता सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता को इंगित करता है। अतः राज्य सरकार/विभागाध्यक्ष को आवश्यक कदम उठाते हुए एसएफसी निधि की निगरानी और समयबद्ध उपयोग हेतु संरचित व्यवस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए।

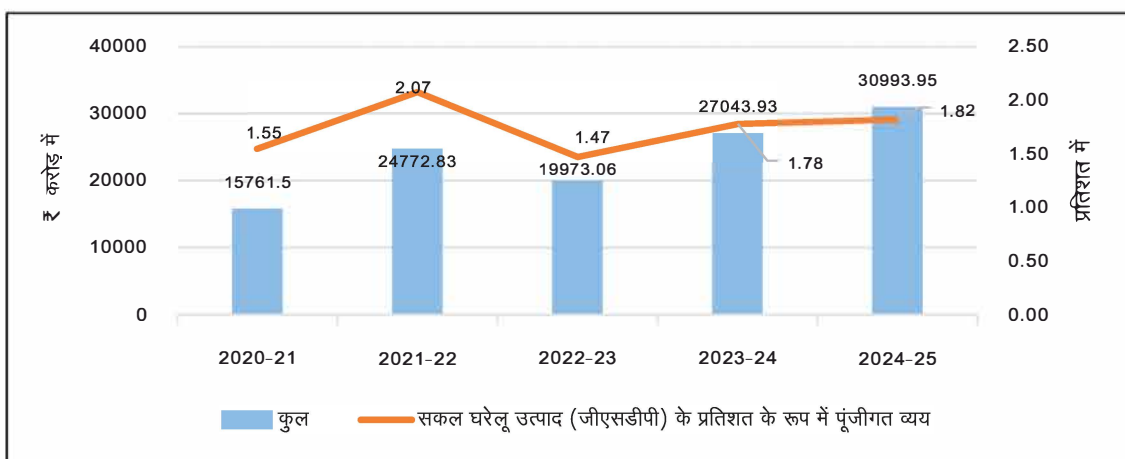
#### 1.2.4.2 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय मुख्यतः स्थायी आधारभूत संरचना परिसंपत्तियों—जैसे सड़क, भवन आदि के सृजन पर किया जाने वाला व्यय है। केंद्र एवं राज्य, दोनों स्तरों पर पूंजीगत व्यय का वहन बजटीय सहायता तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों/बजट से इतर उधारों से किया जाता है। इसमें राज्य सरकार द्वारा कंपनियों/निगमों में किए गए निवेश भी सम्मिलित होते हैं।

पूंजीगत व्यय में राज्य द्वारा किए गए ऋण और अग्रिमों का संवितरण तथा पूंजीगत व्यय सम्मिलित होता है। पिछले पांच वर्षों (अर्थात् वर्ष 2020-25) के दौरान राज्य में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति चार्ट 1.23 में दी गई है।



चार्ट 1.23: राज्य में पूंजीगत व्यय



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं वार्षिक वित्तीय विवरण

वर्ष 2020-25 के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय 7.87 प्रतिशत से 10.30 प्रतिशत के बीच रहा। वर्ष 2024-25 में यह 10.24 प्रतिशत था।

₹ 30,993.95 करोड़ के पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु ₹ 697.30 करोड़ (राज्य निधि से ₹ 631.23 करोड़ तथा केंद्रीय सहायता से ₹ 66.07 करोड़) अनुदान के रूप में हस्तांतरित किए। इसके अलावा, कुल ऋण और अन्य देनदारियों देयता प्राप्तियों (₹ 4,02,564 करोड़) की तुलना में पूंजीगत व्यय का प्रतिशत मात्र 7.70 प्रतिशत रहा, जो दर्शाता है कि उधारी का अनुपातिक रूप से अवसंरचनात्मक विकास में रूपांतरण नहीं हुआ।

पिछले पांच वर्षों (वर्ष 2020-21 से 2024-25) में पूंजीगत व्यय की सीएजीआर 18.42 प्रतिशत रही, जो राजस्व व्यय (10.85 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि में पूंजीगत व्यय लगभग दोगुना हो गया, जो विशेष रूप से पिछले दो वर्षों में परिसंपत्ति निर्माण पर बढ़ते ध्यान को दर्शाता है। हालांकि, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय में उतार-चढ़ाव आया है, यह 2021-22 में उच्चतम स्तर पर पहुँचा और 2022-23 में गिरावट के बाद 2024-25 में 1.82 प्रतिशत तक पुनः बढ़ा। यद्यपि पूंजीगत व्यय में निरपेक्ष वृद्धि विकासात्मक दृष्टिकोण से सकारात्मक है, परंतु जीएसडीपी में इसका सापेक्ष हिस्सा मध्यम पूंजीगत तीव्रता को दर्शाता है, जो यह रेखांकित करता है कि विकासोन्मुखी व्यय और राजकोषीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

## अ. क्षेत्र-वार पूंजीगत व्यय

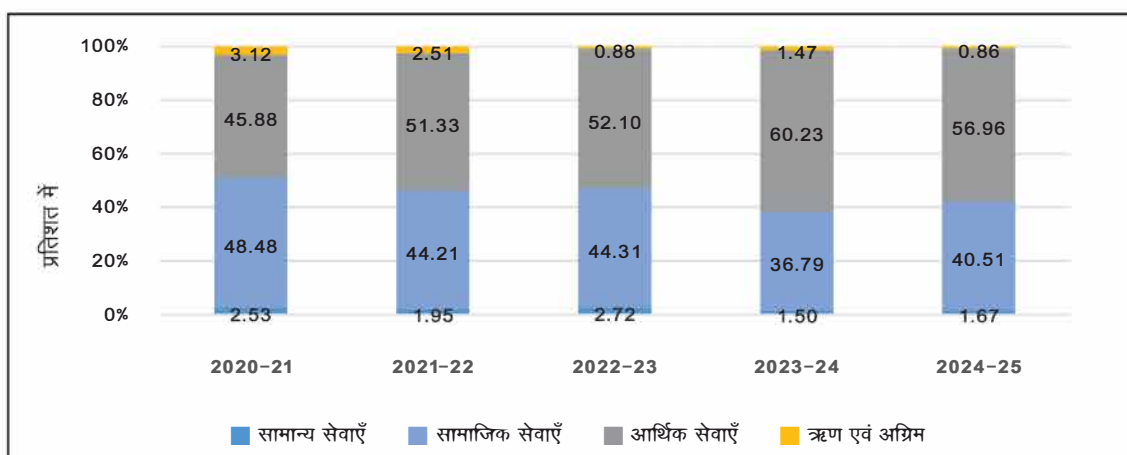
पूंजीगत व्यय की क्षेत्रवार संरचना तालिका 1.26 में दी गई है। क्षेत्रवार विस्तृत व्यय का विवरण परिशिष्ट 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.26: क्षेत्रवार पूंजीगत व्यय

| मापदंड         | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| सामान्य सेवाएँ | 398     | 484     | 542     | 407     | 517     |
| सामाजिक सेवाएं | 7,642   | 10,951  | 8,851   | 9,950   | 12,556  |
| आर्थिक सेवाएँ  | 7,231   | 12,717  | 10,405  | 16,289  | 17,653  |
| ऋण एवं अग्रिम  | 491     | 621     | 175     | 398     | 267     |

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.24: पूंजीगत व्यय में विभिन्न क्षेत्रों संगत अंश



स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजीगत परव्यय (₹ 30,727 करोड़) में पिछले वर्ष (₹ 26,646 करोड़) की तुलना में ₹ 4,081 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि सामान्य क्षेत्र में ₹ 110.30 करोड़, सामाजिक क्षेत्र में ₹ 2,606.78 करोड़ तथा आर्थिक क्षेत्र में ₹ 1,363.81 करोड़ के व्यय में वृद्धि के कारण हुई। पाँच वर्षीय अवधि के दौरान आर्थिक क्षेत्र पूंजीगत व्यय में प्रमुख योगदानकर्ता रहा। विगत पाँच वर्षों में पूंजीगत व्यय में सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्रों की हिस्सेदारी में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई। पूंजीगत व्यय में आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों की उच्च हिस्सेदारी से राज्य की आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिला तथा सामाजिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख योगदानकर्ता लोक निर्माण विभाग (₹ 103.50 करोड़) रहा। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर व्यय में ₹ 1,240.07 करोड़, शहरी विकास पर ₹ 196.58 करोड़ और जल आपूर्ति एवं सफाई पर ₹ 1,978.08 करोड़ की वृद्धि हुई।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024-25 के दौरान, आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों (₹ 157.85 करोड़), प्रमुख सिंचाई (₹ 601.73 करोड़) और सड़क एवं पुलों (₹ 3,148.30 करोड़) पर पिछले वर्ष की तुलना में अधिक पूंजीगत व्यय हुआ। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पेट्रोलियम और सड़क परिवहन पर कोई व्यय नहीं हुआ।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान क्षेत्रवार पूंजीगत व्यय से यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक सेवाओं पर विशेष जोर दिया गया है, जिन्हें निरंतर सबसे अधिक हिस्सेदारी प्राप्त हुई और वर्ष 2023-24 में यह 60 प्रतिशत से अधिक पर पहुँच गई, जबकि वर्ष 2024-25 में इसमें हल्की कमी आई। हाल के वर्षों में सामाजिक सेवाओं की हिस्सेदारी में कमी आई, परंतु वर्ष 2024-25 में आंशिक सुधार देखा गया। वहीं, सामान्य सेवाओं तथा ऋण एवं अग्रिमों पर आवंटन न्यूनतम रहा। समग्र प्रवृत्ति विकासोन्मुख पूंजीगत व्यय की ओर संकेत करती है, साथ ही सामाजिक क्षेत्र में निवेश की प्राथमिकताओं में समय-समय पर समायोजन किया गया।

### पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्तमान वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 4,080.92 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। तालिका 1.27 में वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में पिछले वर्ष की तुलना में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि के मामलों को दर्शाया गया है।

तालिका 1.27: वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

| मुख्य शीर्ष लेखा शीर्ष                                   | 2023-24  | 2024-25  | परिवर्तन     |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| <b>वृद्धि</b>                                            |          |          |              |
| 5054 — सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय              | 6,472.88 | 9,621.18 | 3,148.30     |
| 4215 — जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय             | 3,176.16 | 5,154.24 | 1,978.08     |
| 4210 — चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय     | 2,002.84 | 3,242.91 | 1,240.07     |
| 4700 — प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय                  | 3,465.45 | 4,067.18 | 601.73       |
| 4217 — शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय                     | 2,033.00 | 2,229.58 | 196.58       |
| 4515 — अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | 842.18   | 1,000.03 | 157.85       |
| <b>कमी</b>                                               |          |          |              |
| 4802 — पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय                     | 1,196.00 | 0.00     | (-) 1,196.00 |
| 4202 — शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय  | 1,942.48 | 1,135.78 | (-) 806.70   |
| 5055 — सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय                    | 648.49   | 0.00     | (-) 648.49   |

पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में वृद्धि ग्रामीण एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों, जल आपूर्ति योजनाओं, नए चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण, विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं, अमृत 2.0 योजना, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि पर अधिक व्यय के कारण हुई।

इसके अलावा, व्यय में कमी का कारण एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में निवेश न किया जाना, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्माण कार्यों में कमी तथा समर्पित सड़क सुरक्षा निधि से व्यय की कम प्रतिपूर्ति रहा।

वर्ष 2020-2025 की पाँच वर्षीय अवधि से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित मदों पर प्रमुख पूंजीगत व्यय हुआ, जैसाकि तालिका 1.28 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.28: 2020-25 के दौरान सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में पूंजीगत व्यय का प्रमुख योगदान

(₹ करोड़ में)

| लेखा शीर्ष                   | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-23  | 2023-24  | 2024-25  |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>सामाजिक क्षेत्र</b>       |           |           |          |          |          |
| सामान्य शिक्षा               | 1,280.49  | 627.20    | 1,446.63 | 1,942.48 | 1,303.27 |
| चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य   | 631.85    | 1,961.64  | 2,300.49 | 2,002.84 | 3,242.91 |
| जलापूर्ति एवं सफाई           | 3,832.74  | 4,917.78  | 2,372.73 | 3,176.16 | 5,154.24 |
| शहरी विकास                   | 1,483.67  | 3,067.98  | 1,945.62 | 2,033.00 | 2,229.58 |
| <b>आर्थिक क्षेत्र</b>        |           |           |          |          |          |
| अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 239.15    | 1,000.65  | 1,033.20 | 842.18   | 1,000.03 |
| मुख्य सिंचाई                 | 1,878.99  | 2,820.89  | 2,394.81 | 3,465.45 | 4,067.18 |
| लघु सिंचाई                   | 372.02    | 445.37    | 586.57   | 986.91   | 1,131.15 |
| सड़क एवं पुल                 | 3004.93   | 4,161.86  | 2,596.28 | 6,472.88 | 9,621.18 |

### अनुपातिक प्रभार

अनुपातिक प्रभार वे व्यय होते हैं, जो किसी पूंजीगत परियोजना पर तब लगाए जाते हैं जब किसी नियमित स्थापना द्वारा संबंधित कार्य की निगरानी की जाती है, कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है तथा विभागीय संयंत्र और मशीनरी का उपयोग किया जाता है। राज्य बजट नियमावली तथा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार, पूंजीगत लेखा शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक पूंजीगत परियोजना/लेन-देन पर ठेकेदार के दावे के अतिरिक्त 13 प्रतिशत प्रभार किया जाना निर्धारित है। इसमें 8 प्रतिशत स्थापना व्यय, 3 प्रतिशत कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के लिए तथा 2 प्रतिशत विभागीय संयंत्र एवं मशीनरी के उपयोग के लिए शामिल हैं। पूंजीगत परियोजनाओं पर अनुपातिक प्रभार के रूप में लगाए गए इस योग को संबंधित राजस्व

लेखा शीर्ष के अंतर्गत व्यय में घटाव (माइनस व्यय) के रूप में दर्शाया जाता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान अनुपातिक प्रभार तथा उसके समायोजन की स्थिति तालिका 1.29 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.29: अनुपातिक प्रभारों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

| लेखा शीर्ष<br>(राजस्व पक्ष) | संबंधित उप-लेखा शीर्ष<br>जिसमें अनुपातिक<br>प्रभार काटे गए हैं | स्थापना/ संयंत्र एवं<br>मशीनरी/ कर्मचारियों<br>पर वास्तविक व्यय | पूँजीगत व्यय के<br>अंतर्गत पूँजीगत कार्यों<br>पर 13% की दर से<br>वसूले गए अनुपातिक<br>प्रभार | अनुपातिक प्रभारों के<br>समायोजन के बाद राजस्व<br>शीर्ष के अंतर्गत शुद्ध व्यय |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                         | (2)                                                            | (3)                                                             | (4)                                                                                          | (5) = (3) - (4)                                                              |
| 2059                        | 80-001 एवं 052                                                 | 434.66                                                          | 691.42                                                                                       | (-) 256.76                                                                   |
| 3054                        | 03-337                                                         | 66.11                                                           | 207.43                                                                                       | (-) 141.32                                                                   |
| 2700                        | 02-001                                                         | 18.04                                                           | 32.49                                                                                        | (-) 14.45                                                                    |
| 2701                        | 80-001                                                         | 203.88                                                          | 470.55                                                                                       | (-) 266.67                                                                   |
| योग                         |                                                                | 722.69                                                          | 1,401.89                                                                                     | (-) 679.20                                                                   |

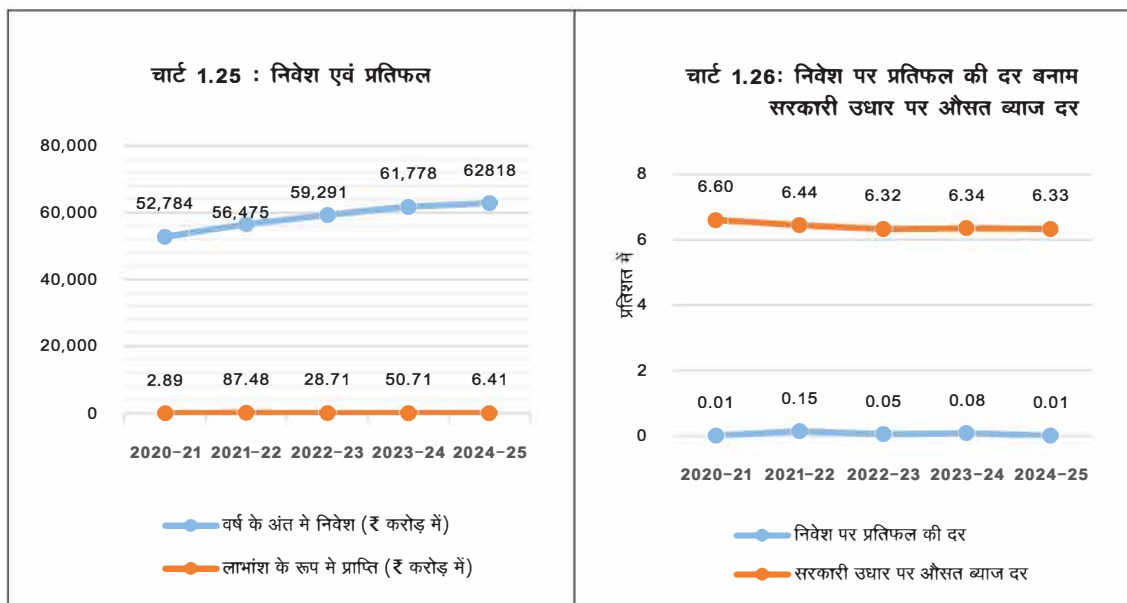
लेखापरीक्षा में पाया गया कि संबंधित राजस्व लेखा शीर्ष के अंतर्गत वास्तव में किए गए व्यय की राशि की परवाह किए बिना, पूँजीगत व्यय का 13 प्रतिशत अनुपातिक प्रभार अधिक मात्रा में समायोजित किया गया। इसके परिणामस्वरूप संबंधित राजस्व शीर्षों में ऋणात्मक व्यय दर्शित हुआ, जिससे लेखों में व्यय की सही एवं वास्तविक स्थिति प्रतिबिंबित नहीं हो पाई।

इस प्रकार, अतः संबंधित राजस्व शीर्षों में ऋणात्मक व्यय यह संकेत करते हैं कि अनुपातिक प्रभार वास्तविक व्यय आंकड़ों के अनुरूप प्रभारित नहीं किए गए।

#### ब. कंपनियों, निगमों तथा अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

31 मार्च 2025 तक राज्य सरकार का कंपनियों, निगमों तथा अन्य निकायों में निवेश ₹ 62,818.06 करोड़ था, जिसमें सरकारी कंपनियाँ (₹ 53,962.64 करोड़), सहकारी समितियाँ (₹ 541.13 करोड़), वैधानिक निगम (₹ 3,805.94 करोड़), संयुक्त उद्यम कंपनियाँ (₹ 4,334.22 करोड़), अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ एवं साझेदारियाँ (₹ 100.44 करोड़) तथा ग्रामीण बैंक (₹ 73.69 करोड़) शामिल हैं।

वर्ष के अंत में कंपनियों, निगमों तथा सहकारी बैंकों और समितियों में निवेश की प्रवृत्तियों तथा इस निवेश पर प्राप्त प्रतिफल को चार्ट 1.25 में दर्शाया गया है। सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल की दर की तुलना में सरकारी उधारी पर औसत ब्याज दर को चार्ट 1.26 में प्रदर्शित किया गया है।



वर्ष 2024-25 के दौरान, निवेश पर प्रतिफल ₹ 6.41 करोड़<sup>14</sup> (0.01 प्रतिशत) था (ऐतिहासिक लागत के आधार पर और शुद्ध वर्तमान मूल्य के आधार पर नहीं)। वर्ष 2020-25 के दौरान प्रतिफल सिर्फ 0.01 प्रतिशत से 0.15 प्रतिशत के बीच था, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपने उधार पर दिया गया औसत ब्याज दर 6.32 प्रतिशत और 6.60 प्रतिशत के बीच था। पिछले पाँच सालों में, सरकारी उधार की लागत और सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश पर प्रतिफल के बीच ₹18,585.64 करोड़ का अंतर था।

वित्तीय वर्ष 2024-25 तक, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 62,818 करोड़ का निवेश किया गया, जिसमें से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान मात्र ₹ 6.41 करोड़ का प्रतिफल प्राप्त हुआ, जो कुल निवेश का मात्र 0.1 प्रतिशत था। हालांकि, सरकार ने औसतन 6.33 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण लिया।

भारी सार्वजनिक निवेश के बावजूद अत्यंत कम प्रतिफल से यह संकेत मिलता है कि राज्य स्वामित्व वाली संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय प्रतिफल है, तथा सार्वजनिक धन के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निवेश निष्पादन की आवधिक समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। निवेश पर प्राप्त प्रतिफल और उधारी लागत के बीच लगातार नकारात्मक अंतर यह दर्शाता है कि उधार लिए गए धन से पर्याप्त वित्तीय लाभ उत्पन्न नहीं हो रहा है, जिससे सार्वजनिक निवेशों की दक्षता तथा राजकोषीय स्थिरता पर उनके प्रभाव को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

### लाभांश नीति और उसका प्रभाव

लाभ कमाने वाले उद्यमों से न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित करने वाली एक सुव्यवस्थित लाभांश नीति राज्य सरकार को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में किए गए निवेश से प्रतिफल को अधिकतम करने में सक्षम बनाती है तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन की प्रभावी निगरानी को सुदृढ़ करती है। यह देखा गया कि राज्य सरकार ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए वर्ष 2004 में एक लाभांश नीति का निर्माण/प्रवर्तन किया है। मौजूदा राज्य नीति के अनुसार, लाभ कमाने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों

14. सरकारी कंपनियाँ (₹ 3.58 करोड़); वैधानिक निगम (₹ 0.21 करोड़); तथा सहकारी बैंक एवं समितियाँ (₹ 2.62 करोड़)।



को सरकार को प्रदत्त शेयर अंश पूंजी पर न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रतिफल अथवा कर पश्चात लाभ का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, लाभांश के रूप में भुगतान करना अनिवार्य है

### लाभांश की प्राप्ति न होने से छोड़ा गया राजस्व

राज्य सरकार ने 35 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (एसपीएसयू) में इक्विटी निवेश किया है। पूर्व वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान इन 35 में से 22 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया।

तथापि, राज्य सरकार ने इन संस्थाओं से लाभांश की समय पर और पूर्ण वसूली सुनिश्चित नहीं कर सकी। 22 लाभ कमाने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम से ₹ 118.45 करोड़ के कुल पात्र लाभांश के मुकाबले, केवल पाँच राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम से वास्तव में ₹ 41.64 करोड़ ही प्राप्त हुए। इनमें से, एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (आरएसएससीएल) ने निर्धारित सीमा से कम लाभांश घोषित किया, जबकि चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (रीको, आरएमएससीएल आरपीआईडीसीएल एवं आरएसएमएमएल) ने लाभांश नीति के अनुसार लाभांश घोषित किया।

कुल 35 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से तीन उपक्रम निष्क्रिय थे (राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड एवं राजस्थान सिविल एविएशन कॉरपोरेशन लिमिटेड अप्रचालनशील हैं तथा राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड परिसमापन की स्थिति में है), जिनमें किया गया ₹ 11.77 करोड़ का निवेश अब तक अप्रत्यावर्तित रहा। शेष 32 सक्रिय उपक्रमों में से 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश जारी नहीं किया।

राज्य सरकार को वर्तमान लाभांश नीति का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी लाभकारी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार लाभांश घोषित करने एवं उसे सरकार को प्राप्त कराने के निर्देश देने चाहिए। अनुपालन की निगरानी तथा लाभांश के न होने अथवा कम घोषित किए जाने के मामलों के समाधान हेतु एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किया जा सकता है। सुदृढ़ पर्यवेक्षण से सार्वजनिक निवेश पर प्रतिफल में वृद्धि होगी तथा राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

### स. राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कंपनियों में किए गए निवेश के अतिरिक्त, राज्य सरकार विभिन्न संस्थानों/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती रही है। तालिका 1.30 में 31 मार्च 2025 की स्थिति में बकाया ऋण एवं अग्रिमों की स्थिति तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपनी उधारियों पर किए गए ब्याज भुगतान की तुलना में प्राप्त ब्याज आय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.30: वर्ष 2020-25 के दौरान संवितरित किये गए और वसूले गए ऋणों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

| विवरण                                            | 2020-21 | 2021-22  | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|--------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| बकाया ऋण का प्रारम्भिक शेष                       | 9,848   | 9,966    | 8,213   | 7,968   | 7,962   |
| वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि                  | 491     | 621      | 175     | 398     | 267     |
| वर्ष के दौरान वसूली गयी राशि                     | 373     | 2374     | 420     | 405     | 517     |
| बकाया ऋण का अंतिम शेष                            | 9,966   | 8,213    | 7,968   | 7,962   | 7,712   |
| शुद्ध वृद्धि                                     | 118     | (-)1,753 | (-)245  | (-)7    | (-)250  |
| ब्याज की प्राप्ति                                | 1,253   | 55       | 238     | 59      | 124     |
| सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज दर | 12.65   | 0.61     | 2.94    | 0.74    | 1.56    |



| विवरण                                                           | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25  |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| सरकारी उधारों पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत) <sup>15</sup>           | 6.60    | 6.44    | 6.32    | 6.34    | 6.33     |
| प्राप्त ब्याज दर और भुगतान गई ब्याज दर के बीच का अंतर (प्रतिशत) | 6.05    | (-)5.83 | (-)3.38 | (-)5.60 | (-) 4.77 |

स्रोत: वित्त लेखे

31 मार्च 2025 की स्थिति में सरकार द्वारा प्रदान किए गए ऋण एवं अग्रिमों के शेष (₹ 7,712 करोड़) में से ₹ 3,877 करोड़ (50.27 प्रतिशत) की राशि विद्युत परियोजनाओं को दिए गए ऋण एवं अग्रिमों की थी। वर्ष 2020-21 से ऋण वितरण की प्रवृत्ति असमान रही। वर्ष 2023-24 में ₹ 398 करोड़ से घटकर वर्ष 2024-25 में ऋण एवं अग्रिमों का वितरण ₹ 267 करोड़ रह गया। वर्ष के दौरान अग्रिम दिए गए कुल ₹ 267 करोड़ में से अधिकांश ऋण आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत पर्यटन, फसल कृषि-कर्म, स्वाद्य भंडारण एवं वेयरहाउसिंग तथा सहकारिता क्षेत्रों के लिए प्रदान किए गए। ऋण एवं अग्रिमों की वसूली में वर्ष 2023-24 के ₹ 405 करोड़ की तुलना में वर्ष 2024-25 में 27.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह बढ़कर ₹ 517 करोड़ हो गई।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान ऋण एवं अग्रिमों की बकाया राशि में कमी आई, जिसका कारण नए ऋण प्रदान किए जाने के बजाय ऋणों की अधिक वसूली रहा। तथापि, ब्याज की प्राप्ति में अस्थिरता बनी रही तथा अधिकांश वर्षों में यह राज्य सरकार द्वारा उधारियों पर वहन की गई औसत लागत की तुलना में काफी कम रही। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न नकारात्मक ब्याज अंतर यह दर्शाता है कि ऋण प्रदान करने की यह प्रक्रिया राज्य के लिए एक अंतर्निहित राजकोषीय लागत को दर्शाती है।

### ऋण खातों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी का गैर-प्रकटीकरण

राज्य सरकार के ऋण खातों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि बकाया ऋणों में ₹ 2,248.61 करोड़ के ऐसे ऋण शामिल हैं, जिसके संबंध में ऋणग्राही संस्थाओं द्वारा पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य सरकार को कोई भी पुनर्भुगतान नहीं किया गया है। इसके बावजूद, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भी इस प्रकार की संस्थाओं (कुल पाँच) को ₹ 85.24 करोड़ के नए ऋण प्रदान किए गए। राशि ₹ 2,248.61 करोड़ की बकाया ऋण राशि में मुख्य रूप से राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल फंड योजना को चिकित्सीय बिलों के भुगतान हेतु तथा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को पेंशन भुगतान हेतु दिए गए ऋण शामिल हैं। इन संस्थाओं को दिए गए अधिकांश ऋण आवर्ती प्रकृति के व्यय की पूर्ति के लिए थे। इसके अतिरिक्त, वितरित किए गए ऋणों की शर्तों एवं नियमों का संपूर्ण विवरण वित्त लेखों में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण ऋण की अतिदेयता अथवा मूलधन एवं ब्याज की वसूली न होने के वित्तीय प्रभाव का सही-सही आकलन नहीं किया जा सका।

## 1.3 आकस्मिकता निधि

राजस्थान सरकार की आकस्मिकता निधि का उद्देश्य राज्य विधानमंडल की स्वीकृति लंबित रहने तक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु अग्रिम राशि उपलब्ध कराना है। विधानमंडल द्वारा अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात इस निधि की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। इस निधि का कोष ₹ 1,000 करोड़ है।

15. सरकारी उधार पर औसत ब्याज दर = ब्याज भुगतान / [पिछले वर्ष की वित्तीय देनदारियाँ + (चालू वर्ष की वित्तीय देनदारियाँ ÷ 2)] × 100

वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि से कोई भी लेन-देन नहीं हुआ। 31 मार्च 2025 को आकस्मिकता निधि में ₹ 1,000 करोड़ का शेष उपलब्ध था।

## 1.4 लोक लेखा

कुछ संव्यवहारों जैसे अल्प बचतें, भविष्य निधि, आरक्षित निधियाँ, जमा, उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित वे प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो समेकित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं और ये राज्य विधानमंडल के मत के अधीन नहीं होते। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात शेष राशि सरकार के पास विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपलब्ध निधि को दर्शाती है।

### 1.4.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा में विभिन्न घटकों के अनुसार शुद्ध शेष की स्थिति तालिका 1.31 में दी गई है।

तालिका 1.31: लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष\*

(₹ करोड़ में)

| क्षेत्र                             | उप-क्षेत्र                              | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23  | 2023-24 | 2024-25   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|----------|---------|-----------|
| अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि | अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि     | 4,857   | 2,461   | 5,337    | 6,097   | 5,762     |
| आरक्षित निधियाँ                     | (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ          | 697     | 188     | 628      | 1046    | 2,195     |
|                                     | (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ     | 664     | 1,156   | 1,843    | 2,342   | (-) 1,898 |
| जमा एवं अग्रिम                      | (क) ब्याज वाली जमायें                   | 3,604   | 2,181   | 4,853    | 1,466   | 2,402     |
|                                     | (ख) बिना ब्याज वाली जमायें              | (-)733  | 5,280   | (-)3,405 | (-)877  | 4,316     |
|                                     | (ग) अग्रिम                              | -       | -       | -        | -       | (-)1      |
| उचंत एवं विविध                      | (क) उचंत                                | 125     | (-)72   | (-)41    | 126     | 45        |
|                                     | (ख) अन्य लेखे                           | (-)9    | (-)9    | (-)11    | (-)6    | (-)13     |
|                                     | (ग) विदेशी देशों की सरकारों के साथ लेखे | -       | -       | -        | -       | -         |
|                                     | (घ) विविध                               | -       | -       | -        | -       | -         |
| प्रेषण                              | (क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण              | -       | -       | (-)1     | (-)9    | (-)2      |
|                                     | (ख) अंतर-सरकारी समायोजन लेखा            | 12      | -       | -        | -       | -         |
| योग                                 |                                         | 9,217   | 11,185  | 9,203    | 10,185  | 12,806    |

स्रोत: वित्त लेखे

नोट: धनात्मक आंकड़े डेबिट शेष और ऋणात्मक आंकड़े क्रेडिट शेष दर्शाते हैं।

\* निवल शेष का अर्थ वर्ष के दौरान सम्बंधित घटकों के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरणों के बीच का अन्तर है।

राज्य की शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ वर्ष 2020-21 में ₹ 9,217 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 12,806 करोड़ हो गई। हालांकि, वर्ष 2024-25 में इनमें पिछले वर्ष (₹ 2,621 करोड़) की तुलना में 38.94 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप सरकार की देनदारी में वृद्धि हुई। वर्ष 2024-25 में लोक लेखे के अंतर्गत शुद्ध शेष में उल्लेखनीय वृद्धि होकर यह ₹ 12,806 करोड़ तक पहुँच गया, जिसका मुख्य कारण जमा एवं आरक्षित निधियों में हुए परिवर्तन रहे। यद्यपि लघु बचत और आरक्षित निधियों के अंतर्गत शेष राशि पर्याप्त स्तर पर बनी रही, तथापि जमाओं, विशेषकर ब्याज रहित जमाओं में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया। यद्यपि उचंत तथा प्रेषण खातों के अंतर्गत शेष तुलनात्मक रूप से कम रहे, फिर भी इनमें समय-समय पर होने वाले उतार-चढ़ाव यह दर्शाते हैं कि समय पर समायोजन तथा वित्तीय नियंत्रण को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

### 1.4.2 आरक्षित निधियां

आरक्षित निधियां राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत विशिष्ट एवं परिभाषित उद्देश्यों के लिए गठित की जाती हैं। इन निधियों की पूर्ति समेकित कोष से किए गए अंशदान या अनुदानों अथवा बाह्य एजेंसियों से प्राप्त सहायता से की जाती है। इनमें ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ तथा ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ शामिल होती हैं।

31 मार्च 2025 को, तीन ब्याज सहित निधियाँ तथा आठ ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ विद्यमान थीं। इन आरक्षित निधियों में 31 मार्च 2025 को उपलब्ध निधि शेष का विवरण तालिका 1.32 में दिया गया है:

तालिका 1.32: प्रमुख आरक्षित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | आरक्षित निधि का नाम                      | प्रारम्भिक शेष | वर्ष के दौरान प्राप्ति | ब्याज प्राप्ति | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | 31 मार्च 2025 को शेष |
|----------|------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| अ        | ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ               | 6,391.14       | 2,670.92               | 486.33         | 961.90                    | 8,586.49             |
| 1.       | राज्य आपदा मोचन निधि                     | 3,493.98       | 1,828.80               | 311.31         | 837.21                    | 4,796.88             |
| 2.       | राज्य आपदा शमन निधि                      | 1,533.12       | 675.00                 | 130.73         | 0.00                      | 2,338.85             |
| 3.       | राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि              | 1,364.04       | 167.12                 | 44.29          | 124.69                    | 1,450.76             |
| ब        | ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ               | 12,055.07      | 5,909.00               | 707.62         | 8,514.94                  | 10,156.75            |
| 1        | सिन्किंग फण्ड                            | 0.00           | 1,834.51               | 0.00           | 0.00                      | 1,834.51             |
| 2        | गारंटी विमोचन निधि                       | 8,968.62       | 0.00                   | 707.62         | 3,426.00                  | 6,250.24             |
| 3        | राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि       | 1,475.05       | 0.00                   | 0.00           | 1,185.24                  | 289.81               |
| 4        | जल संरक्षण उपकर निधि                     | 541.08         | 319.98                 | 0.00           | 67.55                     | 793.51               |
| 5        | समर्पित सड़क सुरक्षा निधि                | 400.73         | 33.00                  | 0.00           | 60.86                     | 372.87               |
| 6        | राजस्थान गौ-संरक्षण एवं संवर्धन निधि     | 232.21         | 1,114.60               | 0.00           | 1,216.89                  | 129.93               |
| 7        | प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत कोष | 135.87         | 595.48                 | 0.00           | 568.62                    | 162.72               |
| 8        | राज्य सड़क एवं सेतु निधि                 | 7.92           | 1,650.00               | 0.00           | 1,628.51                  | 29.41                |
| 9        | अन्य आरक्षित निधियाँ                     | 293.59         | 361.43                 | 0.00           | 361.27                    | 293.75               |
|          | महा योग                                  | 18,446.21      | 8,579.92               | 1,193.95       | 9,476.84                  | 18,743.24            |

स्रोत: वित्त लेखे

31 मार्च 2025 को, लोक लेखों में 25 आरक्षित निधियों के अंतर्गत में ₹ 18,743.24 करोड़ थे, जिसमें तीन ब्याज वाली निधियों में ₹ 8,586.49 करोड़ शामिल थे।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य की आरक्षित निधियों (ब्याज प्राप्ति सहित) में ₹ 9,773.87 करोड़ जमा किए गए, जिसमें मुख्य रूप से राज्य सड़क एवं सेतु निधि (₹ 1,650.00 करोड़), राज्य आपदा मोचन निधि (₹ 2,140.11 करोड़), गारंटी मोचन निधि (₹ 707.62 करोड़), राजस्थान गौ-संवर्धन एवं संरक्षण निधि (₹ 1,114.60 करोड़) और राज्य आपदा शमन निधि (₹ 805.73 करोड़) शामिल थे।

वर्ष 2024-25 के वित्त लेखे के अनुसार, बिना ब्याज वाली दो<sup>16</sup> आरक्षित निधियां (₹ 3.27 करोड़) सात साल से ज्यादा समय से निष्क्रिय थीं।

16. (i) परिवर्तित आवासीय/शहरी भूमि के विकास हेतु विशेष शुल्क (परिधीय) की जमा राशि: ₹ 324.59 लाख, (ii) पूंजी साते से/में अंतरण – जल आपूर्ति योजना, पीएमसी चूरू के लिए केएफडब्ल्यू जर्मनी से प्राप्त राशि: ₹ 2.22 लाख।

31 मार्च 2025 को आरक्षित निधियों में कुल शेषराशि लगभग ₹ 18,743 करोड़ पर व्यापक रूप से स्थिर रही। इस दौरान, विशेष रूप से आपदा-संबंधी ब्याज-अर्जित निधियों में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि गारंटी विमोचन निधि तथा अवसंरचना-संबंधी निधियों जैसी कुछ गैर-ब्याज-अर्जित निधियों में उल्लेखनीय कमी देखी गई। सिंकिंग फंड के गठन तथा आपदा शमन आरक्षित निधियों के सुदृढ़ीकरण से सक्रिय राजकोषीय प्रबंधन का संकेत मिलता है, वहीं पर्याप्त पुनर्भुगतान से निर्दिष्ट निधियों के उद्देश्यपरक उपयोग की पुष्टि होती है। समग्रतः, वर्ष के दौरान आगत और निर्गत के संतुलन के साथ सक्रिय आरक्षित निधि प्रबंधन परिलक्षित होता है।

### राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि

पन्द्रहवें वित्त आयोग ने अप्रैल 2020 से राज्य आपदा शमन निधि तथा राज्य आपदा मोचन निधि को सम्मिलित करते हुए राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि के गठन की अनुशंसा की थी। इस निधि में योगदान का अंशदान अनुपात केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच 75:25 निर्धारित किया गया है। राजस्थान सरकार में आपदा प्रबंधन, राहत एवं नागरिक सुरक्षा विभाग इस निधि के लिए नोडल विभाग है। पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि का कार्यक्षेत्र, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर गठित राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि तथा राज्य स्तर पर गठित राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरफ) की परिधि से विस्तृत है। राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि में दो घटक सम्मिलित हैं, अर्थात् राज्य आपदा मोचन निधि एवं राज्य आपदा शमन निधि, जिनका आवंटन अनुपात क्रमशः 80 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

केंद्रांश की प्राप्ति के उपरांत राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि में योगदान की राशि को 15 दिवस के भीतर लोक लेखा में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। निर्धारित अवधि के बाद अंतरण की स्थिति में, विलंब की अवधि के लिए ब्याज (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंक दर पर) को निधि में जमा कराया जाना आवश्यक है।

निधि के प्रशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, निधि में होने वाली सभी प्राप्तियां तथा निधि के निवेश से अर्जित आय को केन्द्रीय सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम की गई कोषागार बिलों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज-अर्जित जमाओं में निवेश किया जाना चाहिए। निवेश न की गई राशि पर राज्य सरकार को आरबीआई की ओवरड्राफ्ट विनियमन मार्गदर्शिका के अंतर्गत लागू ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान करना होता है, जिसे अर्द्धवार्षिक आधार पर स्वाते में जमा किया जाना चाहिए।

आपदा प्रबंधन, राहत एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचनाओं की जाँच से निम्न दृष्टिगत हुए:

- पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) में ₹ 1828.80 करोड़ (केन्द्रांश: ₹ 1,372.20 करोड़ तथा राज्यांश: ₹ 456.80 करोड़) की राशि हस्तांतरित की गई।
- पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर, आपदा शमन कार्यों हेतु परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) का 03 मई 2021 को गठन किया गया। राज्य सरकार द्वारा

वर्ष 2024-25 के दौरान, एसडीएमएफ को राशि ₹ 675.00<sup>17</sup> करोड़ (केन्द्रांश: ₹ 506.40 करोड़ तथा राज्यांश: ₹ 168.60 करोड़) की राशि अंतरित की गई।

- भारत सरकार (14 जनवरी 2025) ने एसडीएमएफ की दूसरी किस्त के तौर पर राशि ₹171.50 करोड़ की स्वीकृति जारी की थी, जिसे राज्य सरकार ने अपने हिस्से (₹ 57.10 करोड़) के साथ 14 फरवरी 2025 को सोलह दिन के विलम्ब के बाद अंतरित किया गया।
- वर्ष 2024-25 के दौरान, एसडीआरएफ तथा एसडीएमएफ में निवेश न की गई राशि पर क्रमशः ₹ 287.26 करोड़ एवं ₹106.67 करोड़ का ब्याज राज्य सरकार द्वारा अदा किया गया। निधि के अप्रयुक्त शेष को निर्धारित निवेश साधनों में निवेश न किए जाने के कारण राज्य सरकार को संभावित राजस्व हानि हुई।
- वर्ष 2024-25 के दौरान, 'प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत' बजट शीर्ष के अंतर्गत ₹ 841.97 करोड़ (₹ 9.45 करोड़ के प्रशासनिक व्यय को छोड़कर) का व्यय किया गया, जिसे एसडीआरएफ से वहन किया गया। इसका विवरण तालिका 1.33 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.33: राज्य आपदा मोचन निधि पर भारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | मुख्य लेखा शीर्ष                                             | लघु लेखा शीर्ष                                                                         | राशि          |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | 2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत<br>01-सूखा                  | 102-पेयजल आपूर्ति                                                                      | 6.76          |
|          |                                                              | 104-चारे की आपूर्ति                                                                    | (-)0.01       |
|          |                                                              | 800-अन्य व्यय                                                                          | 281.82        |
|          |                                                              | <b>उप-योग</b>                                                                          | <b>288.57</b> |
| 2.       | 2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत<br>02-बाढ़, चक्रवात इत्यादि | 101-आनुग्रहिक राहत                                                                     | 2.93          |
|          |                                                              | 106-स्वराब सड़कों एवं पुलों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार                                   | 144.83        |
|          |                                                              | 107-सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार                                     | 22.63         |
|          |                                                              | 111-शोकाकुल परिवारों को अनुग्रह भुगतान                                                 | 1.45          |
|          |                                                              | 113-घर की मरम्मत /पुनर्निर्माण के लिए सहायता                                           | 4.73          |
|          |                                                              | 114-कृषि आगतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता                                        | 374.61        |
|          |                                                              | 117-पशु धन क्रय हेतु किसानों को सहायता                                                 | 0.30          |
|          |                                                              | 122-स्वराब सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण संबंधी निर्माण कार्यों की-मरम्मत तथा पुनः स्थापना | 3.86          |
|          |                                                              | 282-लोक स्वास्थ्य                                                                      | (-)1.94       |
|          |                                                              | <b>उप-योग</b>                                                                          | <b>553.40</b> |
|          |                                                              | <b>योग</b>                                                                             | <b>841.97</b> |
| 3.       | 2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत<br>80-सामान्य               | 800-अन्य व्यय (प्रशासनिक व्यय)                                                         | 9.45          |
|          |                                                              | <b>उप-योग</b>                                                                          | <b>9.45</b>   |
|          |                                                              | <b>महायोग</b>                                                                          | <b>851.42</b> |

स्रोत: वित्त लेख

वर्ष 2024-25 के दौरान, एसडीआरएफ का कुल व्यय ₹ 851.42 करोड़ रहा, जिसमें से अधिकांश राशि बाढ़ से संबंधित राहत उपायों, विशेष रूप से किसानों को सहायता और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण पर आवंटित की गई। सूखा सम्बन्धी व्यय भी महत्वपूर्ण रहा, हालांकि इसे मुख्य रूप से "अन्य व्यय" शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। प्रशासनिक व्यय कुल व्यय का अत्यंत अल्प अनुपात रहा। कुछ मदों के अंतर्गत ऋणात्मक प्रविष्टियों की उपस्थिति अप्रयुक्त शेषराशि की वापसी/समायोजन को दर्शाती है। समग्रतः, व्यय की प्रवृत्ति प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिक्रिया में कृषि सुधार एवं अवसंरचना के पुनर्स्थापन पर केंद्रित रही।

17. इस राशि में वर्ष 2023-24 की द्वितीय किस्त से संबंधित ₹ 217.80 करोड़ (केन्द्रांश ₹ 163.40 करोड़ एवं राज्यांश ₹ 54.40 करोड़) भी शामिल है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 मार्च 2024 को स्थानांतरित किया गया तथा राज्य सरकार द्वारा 09 अप्रैल 2024 को अग्रतर निर्गत किया गया।



## प्रत्याभूति मोचन निधि

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 में प्रत्याभूति मोचन निधि (निधि) की स्थापना, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा अन्य निकायों द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों एवं अन्य उधारी के संबंध में सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के कारण उत्पन्न भुगतान दायित्वों की पूर्ति हेतु की गई थी, जब ऐसी प्रत्याभूतियां लाभार्थियों द्वारा आहूत की जाती हैं।

वित्त (मार्गोपाय) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश (दिसंबर 2007) के अनुसार, इस निधि में संचित राशि तथा निवेश से अर्जित ब्याज को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से भारत सरकार के 364-दिवसीय ट्रेजरी बिलों में निवेश किया जाना अपेक्षित है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित इस निधि के लिए जारी मार्गदर्शिका के अनुसार, निधि के कोष को क्रमिक रूप से बकाया प्रत्याभूति के 5 प्रतिशत के वांछित स्तर तक बढ़ाया जाना था। 31 मार्च 2025 को प्रत्याभूति मोचन निधि में ₹ 6,250.24 करोड़ का शेष था, जो ₹ 1,16,800.35 करोड़ की बकाया प्रत्याभूतियों का 5.35 प्रतिशत था।

1 अप्रैल 2024 को निधि में प्रारंभिक शेष राशि ₹ 8,968.62 करोड़ थी। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति कमीशन<sup>18</sup> की कोई राशि निधि में हस्तांतरित नहीं की गई तथा वर्ष के दौरान कोई प्रत्याभूति आहूत नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, निधि से किए गए निवेश पर ₹ 707.62 करोड़ की ब्याज राशि राज्य सरकार को वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त हुई। इसके अलावा, राज्य सरकार ने फरवरी 2025 में निधि से ₹ 3,426.00 करोड़ (वांछित स्तर से अधिक पाई गई राशि) की निकासी कर उसे मुख्य शीर्ष 0075-800 (विविध प्राप्तियाँ) में जमा कराया।

31 मार्च 2025 को निधि का अंतिम शेष ₹ 6,250.24 करोड़ था, जिसमें से ₹ 5,394.29 करोड़ 364-दिवसीय ट्रेजरी बिलों में निवेशित थे, जबकि शेष ₹ 855.95 करोड़ की राशि निवेश रहित रही।

## समेकित सिंकिंग फंड

राजस्थान सरकार द्वारा ऋणों के परिशोधन के उद्देश्य से वर्ष 2024-25 में समेकित सिंकिंग फंड की स्थापना की गई। निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को समेकित सिंकिंग फंड के कार्पस को क्रमशः बकाया दायित्वों (आंतरिक ऋण तथा लोक लेखा दायित्वों सहित) के 5 प्रतिशत के वांछित स्तर तक निर्मित करना अपेक्षित है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा इस निधि में केवल ₹ 1,834.51 करोड़ का योगदान किया गया। 31 मार्च 2025 को निधि में कुल संचय ₹ 1,834.51 करोड़ था, जो वर्ष 2024-25 के दौरान कुल बकाया दायित्वों का मात्र 0.32 प्रतिशत था।

### 1.4.3 रोकड़ शेष

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ किए गए समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक/आरबीआई के पास ₹ 2.34 करोड़ का न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखना आवश्यक है। यदि नकद शेष इस न्यूनतम स्तर से नीचे चला जाता है, तो कमी की पूर्ति मार्गोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)/विशेष मार्गोपाय अग्रिम

18. शीर्ष '0075-108' के अंतर्गत ₹ 944.80 करोड़ की देय गारंटी शुल्क के सापेक्ष ₹ 944.54 करोड़ की प्राप्ति दर्ज की गई।



(एसडब्ल्यूएमए)/विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) अथवा ओवरड्राफ्ट (ओडी) जैसे साधनों के माध्यम से की जाती है। मार्गोपाय अग्रिम की सीमा समय-समय पर आरबीआई द्वारा संशोधित की जाती है।

राज्य सरकार अधिशेष नकद शेष, जिसमें आरक्षित/नामित निधियों से संबंधित अधिशेष राशि भी सम्मिलित है, को भारत सरकार की प्रतिभूतियों तथा कोषागार बिलों में निवेश करती है। इन निवेशों से अर्जित आय को '0049-ब्याज प्राप्तियाँ' शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त नकद शेष रखते हुए बाजार उधार लेना अवांछनीय है, क्योंकि इससे धन का उत्पादक उपयोग न होकर इसकी निष्क्रियता को बढ़ावा मिलता है। वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लिए नकद शेष तथा निवेश से संबंधित विवरण तालिका 1.34 में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.34: रोकड़ शेष तथा उनका निवेश**

(₹ करोड़ में)

|                                                                         | 1 अप्रैल 2024 को<br>प्रारम्भिक शेष | 31 मार्च 2025 को<br>अंतिम शेष |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>अ. सामान्य रोकड़ शेष</b>                                             |                                    |                               |
| भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा                                           | 10.75                              | 18.75                         |
| रोकड़ शेष निवेश खाते में रखे गये निवेश                                  | 627.51                             | 799.68                        |
| कोषालयों में रोकड़                                                      | 0.06                               | 0.06                          |
| मार्गस्थ प्रेषण-स्थानीय                                                 | (-) 8.42                           | (-) 19.72                     |
| <b>योग (अ)</b>                                                          | <b>629.90</b>                      | <b>798.77</b>                 |
| <b>ब. अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश</b>                                      |                                    |                               |
| विभागीय अधिकारियों यथा सार्वजनिक निर्माण एवं वन अधिकारियों के पास रोकड़ | 0.51                               | 0.50                          |
| विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम             | 23.86                              | 23.87                         |
| चिह्नित निधियों में निवेश                                               | 9,890.55                           | 9,206.15                      |
| <b>योग (ब)</b>                                                          | <b>9,914.92</b>                    | <b>9,230.52</b>               |
| <b>योग (अ + ब)</b>                                                      | <b>10,544.82</b>                   | <b>10,029.29</b>              |
| <b>प्राप्त ब्याज</b>                                                    | <b>(-)1.10*</b>                    | <b>0.17</b>                   |

स्रोत : वित्त लेखे

\* ऋणात्मक (माइनस) आंकड़ा निवेश की परिपक्वता से पूर्व उसके पुनःडिस्काउंटिंग के कारण है।

राज्य सरकार का नकद शेष ₹ 172.17 करोड़ की वृद्धि के साथ वर्ष 2023-24 के ₹ 627.51 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 799.68 करोड़ हो गया। लेखा वर्ष 2024-25 के अंत में, महालेखाकार द्वारा गणना किए गए सामान्य नकद शेष (₹ 18.75 करोड़ (डेबिट)) और आरबीआई द्वारा रिपोर्ट किए गए ₹ 16.86 करोड़ (क्रेडिट) के बीच ₹ 1.89 करोड़ (क्रेडिट) का शुद्ध अंतर था। 31 जुलाई 2025 को ₹ 17,541 का शुद्ध अंतर था, जिसका मिलान अभी जारी है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान नकद शेष निवेश खाते का विवरण तालिका 1.35 में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.35: रोकड़ शेष निवेश खाता (मुख्य शीर्ष-8673)**

| वर्ष    | प्रारम्भिक शेष | अंतिम शेष | वृद्धि (+)/कमी (-) | अर्जित ब्याज |
|---------|----------------|-----------|--------------------|--------------|
| 2020-21 | 5,807.73       | 4,440.13  | (-)1,367.60        | 23.38        |
| 2021-22 | 4,440.13       | 8,218.92  | 3,778.79           | 43.69        |
| 2022-23 | 8,218.92       | 103.30    | (-)8,115.62        | 14.08        |
| 2023-24 | 103.30         | 627.51    | 524.21             | (-)1.10      |
| 2024-25 | 627.51         | 799.68    | 172.17             | 0.17         |

स्रोत : वित्त लेखे

राज्य सरकार के अधिशेष नकद शेष को स्वतः ही 14-दिवसीय कोषागार बिलों तथा आंशिक रूप से भारत सरकार के 91, 182 एवं 364 दिवसीय कोषागार बिलों में निवेश किया जाता है। 31 मार्च 2025 की स्थिति

के अनुसार, ₹ 799.51 करोड़ की राशि भारत सरकार के कोषागार बिलों में निवेशित थी। ऐसे निवेशों से अर्जित ब्याज को '0049-ब्याज प्राप्तियाँ' शीर्ष के अंतर्गत लेखांकन किया जाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, इन निवेशों पर ₹ 0.17 करोड़ का ब्याज प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 9,206.15 करोड़ की राशि चिन्हित निधियों में निवेशित की गई, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा आरक्षित निधियाँ सम्मिलित हैं।

सामान्य मार्गोपाय अग्रिम की सीमा 01 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक ₹ 3,585 करोड़ थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के गिरवी रखे जाने के विरुद्ध विशेष मार्गोपाय अग्रिम की सुविधा भी प्रदान की गई। 01 अप्रैल 2024 को विशेष मार्गोपाय अग्रिम की सीमा ₹ 9,357.51 करोड़ थी, जो 31 मार्च 2025 को घटकर ₹ 3,975.32 करोड़ रह गई।

नकद शेष निवेश खाते के अंतर्गत शेष राशि में वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव देखा गया। यह वर्ष 2021-22 में ₹ 8,218.92 करोड़ से तेजी से घटकर वर्ष 2022-23 में ₹ 103.30 करोड़ रह गई, तत्पश्चात वर्ष 2024-25 में बढ़कर ₹ 799.68 करोड़ हो गई। इसके बावजूद, ब्याज आय न्यूनतम बनी रही, जो अस्थायी नकद निवेशों से सीमित प्रतिफल को दर्शाती है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास निर्धारित न्यूनतम नकद शेष बनाए रखने की स्थिति निम्नानुसार रही:

*(i) विशेष मार्गोपाय अग्रिम:* 1 अप्रैल 2024 को विशेष मार्गोपाय अग्रिम के अंतर्गत शेष शून्य था। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा 133 अवसरों पर 271 दिनों के लिए ₹ 91,250.55 करोड़ की राशि भारतीय रिजर्व बैंक से विशेष मार्गोपाय अग्रिम के रूप में प्राप्त की गई। इस पर ₹ 160.58 करोड़ का ब्याज भुगतान किया गया। वर्ष 2024-25 की समाप्ति पर इस मद के अंतर्गत शेष शून्य रहा।

*(ii) सामान्य मार्गोपाय अग्रिम:* 1 अप्रैल 2024 तक सामान्य मार्गोपाय अग्रिम के तहत शेष शून्य था। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा 57 अवसरों पर 101 दिनों के लिए ₹ 31,028.90 करोड़ की राशि सामान्य मार्गोपाय अग्रिम के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त की गई तथा इस पर ₹ 19.43 करोड़ का ब्याज अदा किया गया। इन 101 दिनों की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा विशेष मार्गोपाय अग्रिम भी प्राप्त किए गए। वर्ष 2024-25 के अंत में इस मद के अंतर्गत शेष शून्य रहा।

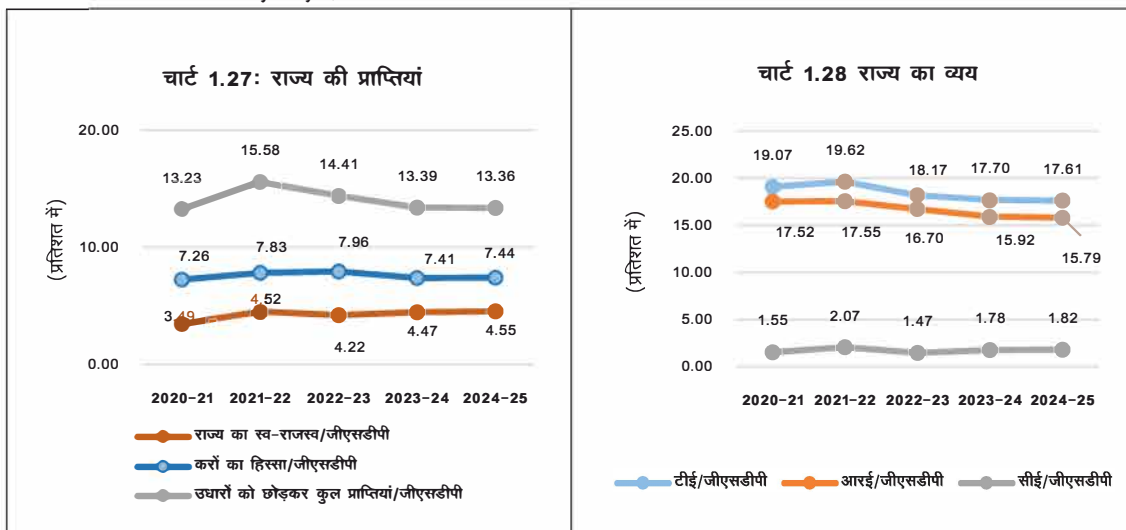
*(iii) ओवरड्राफ्ट:* पिछले वर्ष अर्थात् 2023-24 के अंत में ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत कोई शेष नहीं था। वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई ओवरड्राफ्ट नहीं लिया गया, तथा वर्ष 2024-25 के अंत में भी शेष शून्य रहा।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा 133 अवसरों पर कुल 271 दिनों के लिए मार्गोपाय सुविधाओं का उपयोग किया गया तथा इस पर ₹ 180.01 करोड़ का ब्याज भुगतान किया गया। यह स्थिति राज्य सरकार के अपर्याप्त नकद प्रबंधन को दर्शाती है।

## 1.5 राजकोषीय स्थिरता

राजकोषीय स्थिरता से तात्पर्य सरकार की उस क्षमता से है जिसके अंतर्गत वह अपने राजस्व एवं व्यय का प्रबंधन इस प्रकार कर सके कि वह वर्तमान तथा भावी दायित्वों-जैसे सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति, अवसंरचना विकास एवं ऋणों की अदायगी को बिना अत्यधिक उधारी या अस्थिर ऋण भार के पूरा कर सके। इसका तात्पर्य दीर्घावधि में राजस्व सृजन एवं व्यय के मध्य संतुलित भुगतान क्षमता को बनाए रखने से है।

चार्ट 1.27 और चार्ट 1.28 में वित्त वर्ष 2020-25 के दौरान, जीएसडीपी के प्रतिशत के तौर पर राज्य की प्राप्तियाँ और व्यय दर्शाए गए हैं।

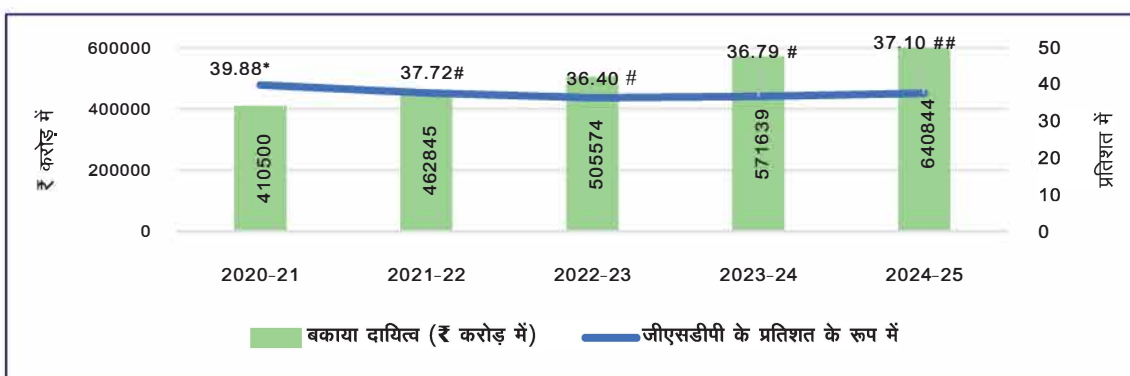


ऊपर दिए गए ग्राफ़ दर्शाते हैं कि राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ उसके राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं, क्योंकि सभी पाँच वर्षों में कुल प्राप्तियों और सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत तथा कुल व्यय और जीएसडीपी के प्रतिशत में लगभग चार प्रतिशत का अंतर बना रहा। यद्यपि, जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व जुटाना लगभग स्थिर रहा और केंद्रीय अन्तरणों में सुधार हुआ, फिर भी हाल के वर्षों में कुल प्राप्तियों (ऋण को छोड़कर) में कुछ संयम परिलक्षित हुआ। व्यय के मामले में, कुल व्यय और राजस्व व्यय का जीएसडीपी से अनुपात घटा है, जबकि पूंजीगत व्यय का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है। यह प्रवृत्ति क्रमिक राजकोषीय समेकन के साथ-साथ पूंजीगत व्यय की तीव्रता में क्रमिक वृद्धि को दर्शाती है।

### 1.5.1 सार्वजनिक दायित्व प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सरकार अपनी देयताओं के प्रबंधन हेतु एक रणनीति का निर्धारण एवं क्रियान्वयन करती है, ताकि आवश्यक वित्तपोषण की व्यवस्था की जा सके, जोखिम एवं लागत संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके तथा विधायी प्रावधानों अथवा वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान, राज्य की बकाया देयताओं तथा उनका सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुपात चार्ट 1.29 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.29: बकाया सार्वजनिक दायित्व और जीएसडीपी में इसका प्रतिशत



स्रोत: वित्त लेखा

- \* कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत एक-के-बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹4,604 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति को घटाने के उपरांत यह निर्धारित आंकड़ा सामने आया है।
- # कुल बकाया देनदारियों में से ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत एक के बाद एक ऋण के तौर पर मिले ₹11,872 करोड़ के जीएसटी मुआवजे को घटाने के उपरांत यह आंकड़ा सामने आया है।
- ## कुल बकाया देनदारियों में से ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत एक के बाद एक ऋण के तौर पर मिले ₹8,518.91 करोड़ के जीएसटी मुआवजे को घटाने के बाद यह आंकड़ा सामने आया है (जिसमें भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्तमान वर्ष के दौरान की गई ₹3,353.38 करोड़ की प्रोफार्मा कमी का समायोजन सम्मिलित है)।

राज्य सरकार की कुल देयताएँ वर्ष 2020-21 में ₹4,05,896 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹6,32,326 करोड़ हो गईं। वर्ष 2024-25 के दौरान, यह देयताएँ पिछले वर्ष की तुलना में 12.96 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं। वर्ष 2024-25 में ये देयताएँ राजस्व प्राप्तियों (₹2,27,250 करोड़) की लगभग तीन गुना तथा राज्य के स्वयं के संसाधनों (₹1,26,812 करोड़) की पाँच गुना से अधिक रहीं थीं।

बकाया सार्वजनिक देयताओं में वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान परिलक्षित रूप से निरंतर वृद्धि दर्ज की गई। जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋणों को अपवर्जित करने के उपरांत, वर्ष 2024-25 में यह अनुपात जीएसडीपी का 37.10 प्रतिशत रहा, जो यद्यपि वर्ष 2020-21 के स्तर से कम है, तथापि हाल के वर्षों में इसमें वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। यह स्थिति ऋण स्थिरता की निरंतर निगरानी की आवश्यकता को दर्शाती है।

### 1.5.1.1 देयताओं की रूपरेखा: घटक

राज्य सरकार की कुल देयताएँ सामान्यतः राज्य का आंतरिक ऋण (जिसमें बाजार उधार, भारतीय रिज़र्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि के लिए जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण आदि सम्मिलित हैं), केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, तथा लोक लेखा दायित्वों से मिलकर बनती हैं। वर्ष 2020-21 से प्रारंभ होकर पाँच वर्षों की अवधि के दौरान राज्य की देयताओं की घटक-वार प्रवृत्ति तालिका 1.36 में प्रदर्शित की गई हैं।

तालिका 1.36: घटक-वार देयताओं की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

| राजकोषीय दायित्व के घटक                    | 2020-21   | 2021-22   | 2022-23   | 2023-24   | 2024-25   |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| कुल बकाया देयताएँ*                         | 4,05,896  | 4,50,973  | 4,93,702  | 5,59,767  | 6,32,326  |
| लोक ऋण                                     | 3,03,717  | 3,41,684  | 3,76,512  | 4,34,780  | 4,93,878  |
| आंतरिक ऋण                                  | 2,84,789  | 3,21,807  | 3,50,962  | 3,99,858  | 4,48,790  |
| भारत सरकार से ऋण**                         | 18,928    | 19,877    | 25,550    | 34,922    | 45,088    |
| लोक लेखा दायित्व                           | 1,02,179  | 1,09,289  | 1,17,190  | 1,24,987  | 1,38,448  |
| अल्प बचत, प्रावधानी निधि, आदि              | 56,326    | 58,786    | 64,123    | 70,220    | 75,981    |
| ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ                 | 4,529     | 3,345     | 4,668     | 5,039     | 6,651     |
| बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ            | 4,610     | 2,984     | 2,776     | 3,516     | 2,886     |
| ब्याज वाली जमाएँ                           | 11,270    | 13,451    | 18,304    | 19,770    | 22,172    |
| बिना ब्याज वाली जमाएँ                      | 25,444    | 30,723    | 27,319    | 26,442    | 30,758    |
| बकाया समग्र देयताओं की वृद्धि दर (प्रतिशत) | 15.08     | 11.11     | 9.47      | 13.38     | 12.96     |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद                     | 10,17,917 | 11,95,641 | 13,56,480 | 15,21,510 | 17,04,339 |
| बकाया कुल देयताओं/ जीएसडीपी (प्रतिशत)      | 39.88     | 37.72     | 36.40     | 36.79     | 37.10     |
| उधार और अन्य देयताये                       |           |           |           |           |           |
| कुल प्राप्तियाँ                            | 2,68,770  | 3,02,174  | 2,90,718  | 3,64,764  | 4,02,564  |
| कुल पुनर्भुगतान                            | 2,10,972  | 2,49,829  | 2,47,990  | 2,98,699  | 3,30,004  |
| उपलब्ध शुद्ध निधियाँ                       | 57,798    | 52,345    | 42,728    | 66,065    | 72,560    |
| पुनर्भुगतान/ प्राप्तियाँ (प्राप्तियाँ)     | 78.50     | 82.68     | 85.30     | 81.89     | 81.98     |

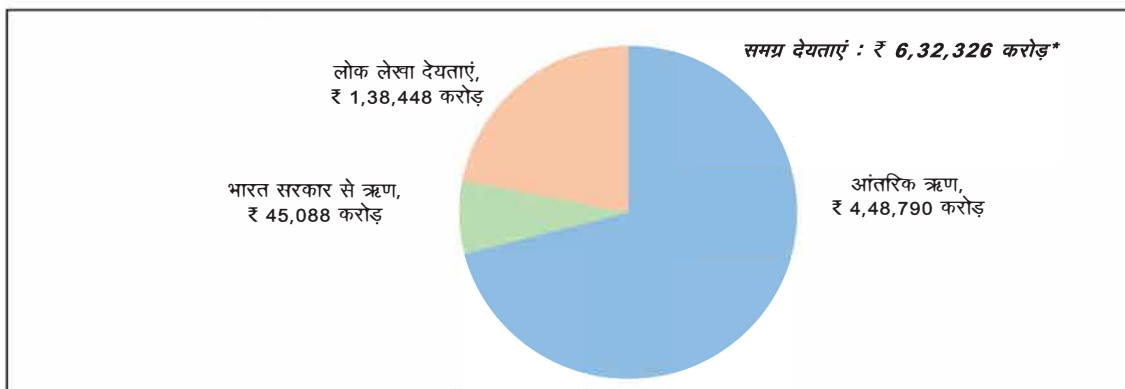
स्रोत : वित्त लेख

- \* वर्ष 2019-20 के लिए बकाया उदय ऋण सहित: ₹44,730 करोड़, वर्ष 2020-21: ₹37,825 करोड़, वर्ष 2021-22: ₹30,919 करोड़, वर्ष 2022-23: ₹24,013 करोड़, वर्ष 2023-24: ₹17,107 करोड़ और वर्ष 2024-25: ₹10,202 करोड़

\*\* वर्ष 2020-21, 2022-24 और 2024-25 के दौरान, इसमें जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से लिए गए एक के बाद एक ऋण के तौर पर क्रमशः ₹4,604 करोड़, ₹11,872.29 करोड़ (₹ 4,604 करोड़ + ₹ 7,268.29 करोड़) और ₹ 8,518.91 करोड़ शामिल नहीं हैं, जिसका पुनर्भुगतान राज्य को अपने संसाधनों से नहीं करना है।

वर्ष 2024-25 के अंत में कुल बकाया देयताओं का घटक-वार विभाजन चार्ट 1.30 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.30: वर्ष 2024-25 के अंत में बकाया कुल देनदारियों का घटक-वार विभाजन

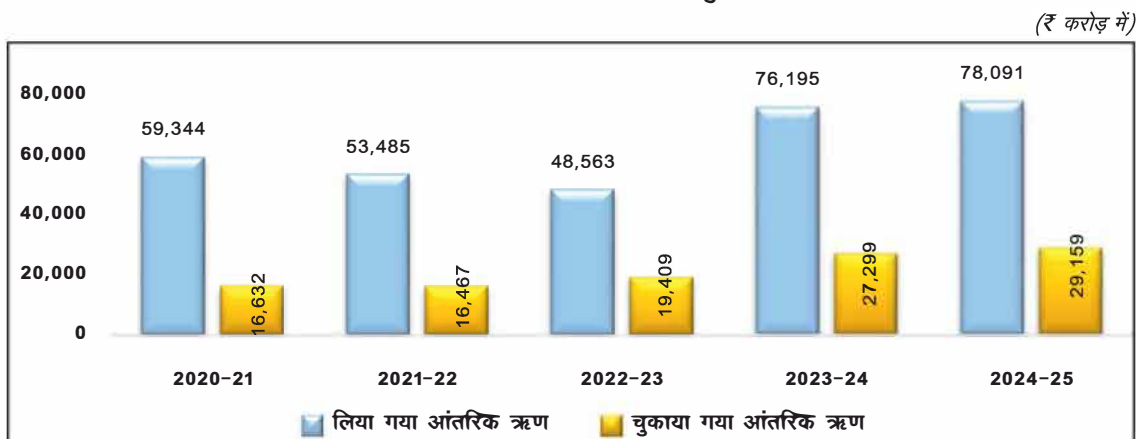


स्रोत: वित्त लेखा

\* इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी की पूर्ति के एवज में प्राप्त ₹ 8,518.91 करोड़ की बेक-टू-बेक ऋण राशि शामिल नहीं है, जिसे राज्य सरकार को ऋण प्राप्ति के रूप में दर्शाया गया है तथा जिसके पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य पर नहीं है।

वर्ष 2020-25 की पाँच वर्षीय अवधि के दौरान लिए गए तथा चुकाए गए आंतरिक ऋण की मात्रा को चार्ट 1.31 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.31: लिया गया आंतरिक ऋण बनाम चुकाया गया ऋण



स्रोत: वित्त लेखा

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार की कुल देयताओं में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 72,559 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका प्रमुख कारण लोक ऋण में 13.59 प्रतिशत (₹ 59,098 करोड़) की वृद्धि रही।

कुल देयता-जीएसटीपी अनुपात वर्ष 2023-24 में 36.79 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 37.10 प्रतिशत हो गया, हालांकि, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के तहत निर्धारित लक्ष्य सीमा (38.20 प्रतिशत) के भीतर है।

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण वर्ष 2020-21 में ₹ 2,84,789 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 4,48,790 करोड़ हो गया, जिसमें ₹ 1,64,001 करोड़ (57.59 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त,



वर्ष 2024-25 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 31,010 करोड़ की राशि ब्याज भुगतान के रूप में चुकाई गई।

आंतरिक ऋण से प्राप्तियाँ वर्ष 2020-21 में ₹ 59,344 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 78,091 करोड़ हो गया, जो 7.10 प्रतिशत की सीएजीआर वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि, चुकाए गए आंतरिक ऋण में 15.07 प्रतिशत की उच्च सीएजीआर वृद्धि हुई, जो वर्ष 2020-21 में ₹ 16,632 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 29,159 करोड़ हो गया। इससे पता चलता है कि ऋण चुकाने की देनदारी साल दर साल बढ़ती जा रही है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि ऋणों के पुनर्भुगतान से संबंधित देयता वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है। साथ ही, यह भी परिलक्षित होता है कि वर्ष 2024-25 में किए गए नए उधार का 37.34 प्रतिशत हिस्सा पुराने ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान (ब्याज भुगतान को छोड़कर) में प्रयुक्त हुआ, जबकि शेष ₹ 48,932 करोड़ की नई आंतरिक उधारी राज्य सरकार के पास अन्य प्रयोजनों के लिए उपलब्ध रही।

### 1.5.1.2 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का आदर्शतः उपयोग पूंजी सृजन तथा विकासात्मक गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु किया जाना चाहिए। उधार की गई राशि का उपयोग वर्तमान उपभोग व्यय की पूर्ति अथवा बकाया ऋणों पर ब्याज भुगतान के लिए किया जाना स्वस्थ वित्तीय प्रवृत्ति नहीं मानी जाती। वर्ष 2020-25 की अवधि के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग तथा इसकी प्रवृत्तियों को क्रमशः तालिका 1.37 एवं चार्ट 1.32 में प्रदर्शित किया गया है।

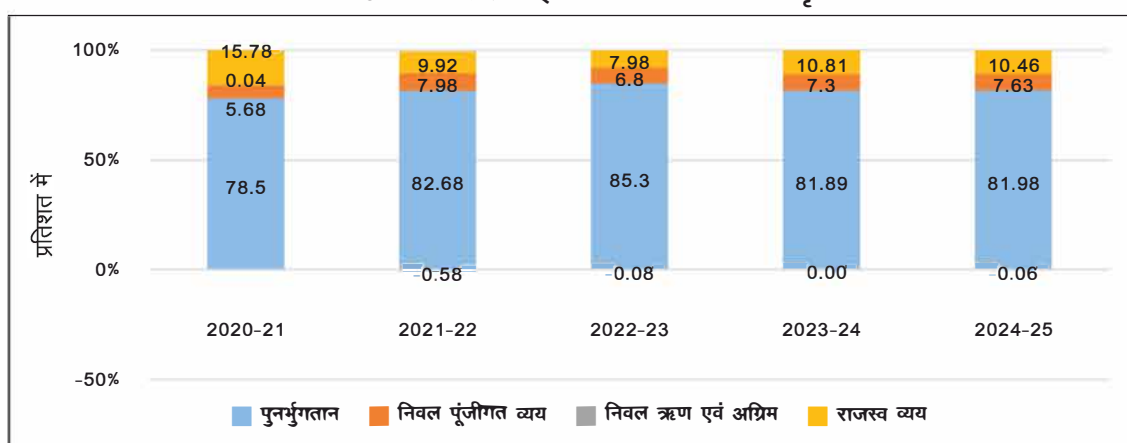
तालिका 1.37: उधार ली गई निधियों का उपयोग एवं अन्य दायित्व

| क्र.सं. | वर्ष                                                      | 2020-21  | 2021-22  | 2022-23  | 2023-24  | 2024-25  |
|---------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.      | कुल उधार (वर्ष के दौरान लोक ऋण एवं अन्य दायित्व)*         | 2,68,770 | 3,02,174 | 2,90,718 | 3,64,764 | 4,02,564 |
| 2.      | पूर्व के अन्य दायित्वों एवं उधारों (मूलधन) का पुनर्भुगतान | 2,10,972 | 2,49,829 | 2,47,990 | 2,98,699 | 3,30,004 |
| 3.      | निवल पूंजीगत व्यय                                         | 15,257   | 24,121   | 19,782   | 26,632   | 30,720   |
| 4.      | निवल ऋण एवं अग्रिम                                        | 118      | -1753    | -245     | -7       | -250     |
| 5.      | उपलब्ध निवल उधारों से पूरा किया गया राजस्व व्यय का हिस्सा | 42,423   | 29,977   | 23,191   | 39,440   | 42,090   |

स्रोत: वित्त लेख

\* वर्ष के दौरान मार्गोपाय अग्रिम के अलावा

चार्ट 1.32 : उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: वित्त लेख

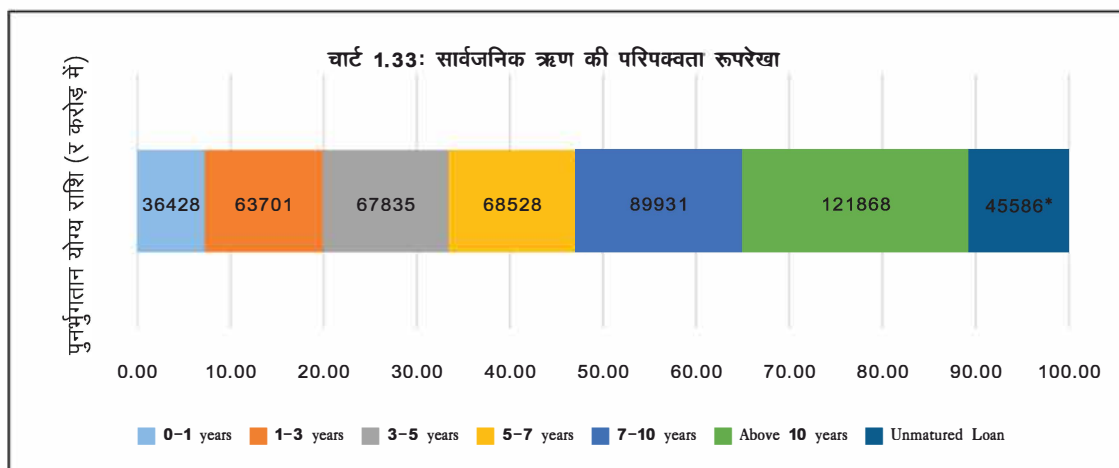
वर्ष 2020-21 में कुल उधारी (सार्वजनिक ऋण एवं अन्य दायित्व) के सापेक्ष पूर्ववर्ती उधारियों (मूलधन) के पुनर्भुगतान तथा अन्य दायित्वों का प्रतिशत 78.50 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 81.98 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि उधार का एक महत्वपूर्ण भाग पूंजी सृजन के स्थान पर पूर्ववर्ती ऋणों के पुनर्भुगतान में प्रयुक्त किया गया। वर्ष 2024-25 में, कुल उधार (सार्वजनिक ऋण एवं अन्य दायित्व) का 81.98 प्रतिशत भाग पूर्ववर्ती उधारियों (मूलधन) के पुनर्भुगतान तथा अन्य दायित्वों की पूर्ति में उपयोग किया गया, जिससे विकासात्मक व्यय हेतु उपलब्ध राजकोषीय गुंजाइश सीमित रह गया। इसके अतिरिक्त, ₹ 42,090 करोड़ की उधारी का उपयोग राजस्व व्यय की पूर्ति हेतु किया गया, जो यह दर्शाता है कि पूंजीगत प्राप्तियों का प्रयोग वर्तमान उपभोग व्यय के वित्तपोषण में किया गया।

यह प्रवृत्ति पूर्ववर्ती देयताओं एवं वर्तमान व्ययों के प्रबंधन हेतु ऋण पर बढ़ती निर्भरता को इंगित करती है, जबकि शुद्ध पूंजीगत व्यय के लिए अपेक्षाकृत सीमित संसाधन उपलब्ध कराए गए। इस प्रकार का उपयोग राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता को कमजोर करता है, उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश को सीमित करता है तथा दीर्घकालीन राजकोषीय संवहनीयता के लिए जोखिम उत्पन्न करता है। नियमित व्यय की पूर्ति हेतु उधार पर निरंतर निर्भरता संरचनात्मक ऋण चक्र को जन्म दे सकती है, जिससे व्यय संरचना में सुधार एवं राजस्व सृजन को सुदृढ़ करने हेतु सुधारात्मक राजकोषीय उपायों की आवश्यकता प्रतिपादित होती है।

### 1.5.1.3 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान रूपरेखा सरकार द्वारा ऋण पुनर्भुगतान या ऋण सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राज्य की ऋण परिपक्वता रूपरेखा चार्ट 1.33 में दर्शाई गई है।



स्रोत : वित्त लेखे

\* इसमें भारत सरकार से जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले बेक-टू-बेक गए ऋण के ₹8,519 करोड़ के शामिल नहीं हैं, जिन्हें राज्य को अपने संसाधनों से चुकाना नहीं है।

31 मार्च 2025 तक सार्वजनिक ऋण के बकाया स्टॉक की परिपक्वता रूपरेखा से पता चलता है कि ₹ 4,93,878 करोड़ के बकाया सार्वजनिक ऋण में से 47.88 प्रतिशत (₹ 2,36,492 करोड़) अगले सात वर्षों के भीतर देय है, जबकि 42.88 प्रतिशत (₹ 2,11,799 करोड़) सात वर्षों से अधिक की परिपक्वता अवधि में है और शेष राशि (₹ 45,586 करोड़) की पुनर्भुगतान कार्यक्रम उपलब्ध नहीं है।

अल्प से मध्यम अवधि की परिपक्वता रूपरेखा का संकेंद्रण संभावित रोलओवर जोखिम और तरलता दबाव का संकेत देता है। यद्यपि वर्तमान परिपक्वता तरीका तत्काल पुनर्भुगतान दबाव को कम करता है, परंतु कुल ऋण में निरंतर वृद्धि भविष्य में पुनर्भुगतान और ब्याज दायित्वों को बढ़ाएगी। यह सावधानीपूर्वक ऋण प्रबंधन और नियंत्रित उधारी की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

#### 1.5.1.4 राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण स्वरूप

तालिका 1.38 में 2020-25 तक के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्वरूप को दर्शाया गया है:

तालिका 1.38: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इनके वित्त पोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

| विवरण                                                        | 2020-21       | 2021-22       | 2022-23       | 2023-24       | 2024-25       |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>राजकोषीय घाटा</b>                                         | <b>59,376</b> | <b>48,238</b> | <b>51,028</b> | <b>65,580</b> | <b>72,420</b> |
| 1 राजस्व घाटा                                                | 44,001        | 25,870        | 31,491        | 38,955        | 41,950        |
| 2 निवल पूंजीगत व्यय                                          | 15,257        | 24,121        | 19,782        | 26,632        | 30,720        |
| 3 निवल ऋण और अग्रिम                                          | 118           | (-)1,753      | (-)245        | (-)7          | (-)250        |
| <b>राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण स्वरूप</b>                     |               |               |               |               |               |
| 1 बाजार से उधार                                              | 51,179        | 45,149        | 37,016        | 56,624        | 56,385        |
| 2 भारत सरकार से ऋण                                           | 6229          | 8217          | 5673          | 9,372         | 10,166        |
| 3 राष्ट्रीय लघु बचत निधियों को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ | (-)1584       | (-)1585       | (-)1585       | (-)1585       | (-)1585       |
| 4 वित्तीय संस्थानों से ऋण                                    | (-)6882       | (-)6546       | (-)6277       | (-)6143       | (-)5868       |
| 5 अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि                                 | 4,857         | 2,461         | 5337          | 6097          | 5,762         |
| 6 जमा तथा अग्रिम                                             | 2871          | 7461          | 1,448         | 589           | 6,717         |
| 7 उच्यंत तथा विविध                                           | 116           | (-)81         | (-)52         | 120           | 32            |
| 8 प्रेषण                                                     | 12            | 0             | (-)1          | (-)9          | (-)2          |
| 9 आरक्षित निधियां                                            | 1361          | 1344          | 2471          | 3388          | 297           |
| <b>10 समग्र घाटा</b>                                         | <b>58,159</b> | <b>56,420</b> | <b>44,030</b> | <b>68,453</b> | <b>71,904</b> |
| 11 नकद शेष में वृद्धि/कमी                                    | 1217          | (-)8182       | 6998          | (-)2873       | 516           |
| <b>12 सकल राजकोषीय घाटा</b>                                  | <b>59,376</b> | <b>48,238</b> | <b>51,028</b> | <b>65,580</b> | <b>72,420</b> |

स्रोत: वित्त लेख

\* शेष राशि वर्ष के दौरान किए गए वितरणों और प्राप्तियों के शुद्ध परिणाम को दर्शाती है।

राजकोषीय घाटा राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्तियों के बीच का अंतर है। राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप यह दर्शाता है कि राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों से अधिक धन की आवश्यकता को पूरा करने हेतु राज्य ने किस सीमा तक विभिन्न उधार साधनों का सहारा लिया है।

राजकोषीय घाटा वर्ष 2020-21 में ₹ 59,376 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 72,420 करोड़ हो गया, जिसमें पिछले दो वर्षों में वृद्धि का रुझान देखा गया। घाटे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राजस्व घाटे से उत्पन्न हुआ, जो यह इंगित करता है कि उधारी का उपयोग केवल पूंजी निर्माण के लिए ही नहीं, बल्कि वर्तमान व्यय को वित्तपोषित करने के लिए भी किया गया था।

पूरे अवधि के दौरान बाजार से उधारी वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत रहे, इसके बाद भारत सरकार से लिए गए ऋणों का स्थान रहा। कुछ वर्षों में लघु बचत, जमा और आरक्षित निधियों से प्राप्त योगदान ने वित्तपोषण में पूरक भूमिका का निर्वाहन किया। वित्तीय संस्थानों से ऋण और एनएसएसएफ को विशेष प्रतिभूतियों के अंतर्गत ऋणों में नकारात्मक प्रविष्टियाँ उन मदों के अंतर्गत शुद्ध पुनर्भुगतान को दर्शाती हैं।

बाजार उधारी पर बढ़ती निर्भरता और सतत राजस्व घाटा सार्वजनिक वित्त पर संरचनात्मक दबाव का संकेत देता है। वित्तपोषण का यह स्वरूप राजकोषीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण साधनों पर निर्भरता को इंगित करता है, जो भविष्य में राजकोषीय दबाव को नियंत्रित करने के लिए राजस्व जुटाने को सुदृढ़ करने और व्यय की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

### 1.5.2 लेखापरीक्षा पश्चात घाटे के संकेतक

वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के वित्तीय लेखा के अनुसार, राज्य का राजस्व घाटा ₹ 41,950 करोड़ (जीएसडीपी का 2.46 प्रतिशत), राजकोषीय घाटा ₹ 72,420 करोड़ (जीएसडीपी का 4.25 प्रतिशत) और प्राथमिक घाटा ₹ 34,075 (जीएसडीपी का 2.00 प्रतिशत) हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2024-25 के दौरान राज्य सरकार ने राजस्व संबंधी ₹ 931.66 करोड़ की राशि को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया (विवरण अध्याय-II के अनुच्छेद 2.5.6 में दिया गया है)। इसके अलावा, उपकर/अधिभार और ब्याज के कम/अधिक हस्तांतरण का भी पता चला, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे में कमी/अधिकता हुई, जैसा कि तालिका 1.39 में दिए गए विवरण में बताया गया है।

तालिका 1.39: लेखापरीक्षा के बाद राजस्व और राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं.                                             | विवरण                                                                      | राजस्व घाटे पर प्रभाव          |             | राजकोषीय घाटे पर प्रभाव      |             |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
|                                                      |                                                                            | अधिक आँका गया                  | कम आँका गया | अधिक आँका गया                | कम आँका गया |
| अन्य हस्तांतरण                                       |                                                                            |                                |             |                              |             |
| 1.                                                   | राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण (पैरा 2.5.6)                    | -                              | 931.66      | -                            | -           |
| 2.                                                   | ब्याज समायोजन (पैरा 3.2.1)                                                 | -                              | 84.69       | -                            | 84.69       |
|                                                      | योग                                                                        | कम आँका गया<br>1,016.35        |             | कम आँका गया<br>84.69         |             |
| उपकर/अधिशुल्क का आरक्षित निधि/जमा निधि में हस्तांतरण |                                                                            |                                |             |                              |             |
| 3.                                                   | भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर के लिए अल्प हस्तांतरण (पैरा 3.2.3) | -                              | 24.44       | -                            | 24.44       |
| 4.                                                   | राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन कोष में अल्प हस्तांतरण (पैरा 3.2.5)        | -                              | 318.91      | -                            | 318.91      |
| 5.                                                   | राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि का अतिरिक्त हस्तांतरण (पैरा 3.2.6)          | 22.52                          | -           | 22.52                        | -           |
| 6.                                                   | जल संरक्षण उपकर का कम हस्तांतरण (पैरा 3.2.7)                               | -                              | 9.00        | -                            | 9.00        |
| 7.                                                   | शहरी विकास उपकर निधि की अतिरिक्त हस्तांतरित राशि (पैरा 3.2.8)              | 54.28                          | -           | 54.28                        | -           |
|                                                      | कुल (उपकर/अधिशुल्क)                                                        | (निवल) कम आँका गया<br>275.55   |             | (निवल) कम आँका गया<br>275.55 |             |
|                                                      | महायोग                                                                     | (निवल) कम आँका गया<br>1,291.90 |             | (निवल) कम आँका गया<br>360.24 |             |

स्रोत: वर्ष 2024-25 के वित्तीय खाते और उसका विश्लेषण

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य सरकार का राजस्व घाटा (₹ 41,950 करोड़) ₹ 1,291.90 करोड़ से कम बताया गया था और राजकोषीय घाटा (₹ 72,420 करोड़) ₹ 360.24 करोड़ से कम बताया गया था।

### 1.5.3 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, राज्य सरकार ने 'राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005' अधिनियमित किया, ताकि राजकोषीय प्रबंधन में विवेकशीलता और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। इसका उद्देश्य राजस्व घाटे में क्रमिक कमी, राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, सरकार की राजकोषीय कार्यवाहियों में अधिक पारदर्शिता तथा मध्यम-अवधि राजकोषीय ढाँचे में राजकोषीय नीति का संचालन करना और उससे संबंधित अन्य विषयों का प्रावधान करना था।

राजस्थान के एफआरबीएम अधिनियम और 15वें वित्त आयोग के अनुरूप इसके संशोधनों के अनुसार, राज्य का लक्ष्य है:

- राजस्व घाटे को उन्मूलन करना;
- राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर बनाए रखना, जिसमें सुधारात्मक लक्ष्यों को पूरा करने पर अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत की अनुमति के साथ।
- बकाया देनदारी-जीएसडीपी अनुपात को 38.20 प्रतिशत से नीचे रखना।

राज्य की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

(i) एफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम 2011 की धारा 6(क) में निहित प्रावधान के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाए रखना या राजस्व अधिशेष प्राप्त करना था। हा लांकि, राज्य सरकार केवल वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान ही राजस्व अधिशेष बनाए रख सकी और उसके बाद वर्ष 2024-25 तक पिछले बारह लगातार वर्षों में राजस्व घाटा रहा है।

पिछले पांच वर्षों के बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक राजस्व घाटे का सारांश तालिका 1.40 में दिया गया है।

तालिका 1.40: बीई/आरई और वास्तविक के संदर्भ में राजस्व घाटे/अधिशेष की स्थिति

| (₹ करोड़ में) |                |            |            |            |            |               |
|---------------|----------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| क्र.सं.       | विवरण          | 2020-21    | 2021-22    | 2022-23    | 2023-24    | 2024-25       |
| 1.            | बजट अनुमान     | (-) 12,346 | (-) 23,750 | (-) 23,489 | (-) 24,896 | (-) 25,758.11 |
| 2.            | संशोधित अनुमान | (-) 41,722 | (-) 35,689 | (-) 32,310 | (-) 30,072 | (-) 31,939.15 |
| 3.            | वास्तविक       | (-) 44,001 | (-) 25,870 | (-) 31,491 | (-) 38,955 | (-) 41,950.04 |

स्रोत: वित्त लेखा एवं बजट दस्तावेज

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि राजस्व घाटा ₹ 41,950.04 करोड़ था, जो बजट अनुमान (₹ 25,758.11 करोड़) से ₹ 16,192 करोड़ और संशोधित अनुमान (₹ 31,939.15 करोड़) से ₹ 10,011 करोड़ अधिक था।

वास्तविक राजस्व प्राप्ति ₹ 2,27,250 करोड़ रही, जो बजट अनुमान ₹ 2,64,461 करोड़ की तुलना में ₹ 37,211 करोड़ (14.07 प्रतिशत) कम थी, जबकि वास्तविक राजस्व व्यय ₹ 2,69,200 करोड़ रहा, जो बजट अनुमान ₹ 2,90,219 करोड़ की तुलना में अपेक्षाकृत कम कमी के साथ ₹ 21,019 करोड़ (7.24 प्रतिशत) घटा।



(ii) एफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम 2011 की धारा 6(बी) के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटा प्राप्त करना था और उसके बाद इस अनुपात को बनाए रखना अथवा घटाना था। इसके अतिरिक्त, एफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम<sup>19</sup>, 2021 के अनुसार, राज्य को 2021-22 से 2024-25 की अवधि के लिए, विद्युत क्षेत्र में कुछ प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करने पर, केंद्रीय सरकार द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त 0.50 प्रतिशत की उधारी की अनुमति दी गई। तथापि, यद्यपि अधिनियम में अतिरिक्त 0.50 प्रतिशत उधारी का प्रावधान किया गया, परंतु राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में संशोधन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य को भारत सरकार द्वारा सामान्य सीमा से अधिक ₹ 9,139.21 करोड़ (जीएसडीपी का 0.5362 प्रतिशत) ब्याज-मुक्त पूंजी ऋण 50 वर्षों के लिए प्रदान किया गया। इस प्रकार, 2024-25 के लिए राज्य को दी गई राजकोषीय गुंजाइश या उधार लेने की अधिकतम सीमा जीएसडीपी का 4.04 प्रतिशत थी।

निम्न तालिका में पिछले तीन वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटा जीएसडीपी अनुपात की प्रवृत्ति दर्शाई गई है:

तालिका 1.41: बीई/आरई और वास्तविक के संदर्भ में राजकोषीय घाटे की स्थिति

(प्रतिशत में)

| क्र. सं. | वर्ष    | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक |
|----------|---------|------------|----------------|----------|
| 1.       | 2022-23 | 4.36       | 4.33           | 3.76     |
| 2.       | 2023-24 | 3.98       | 4.26           | 4.31*    |
| 3.       | 2024-25 | 3.93       | 4.11           | 4.25     |

स्रोत: बजट दस्तावेजों से प्राप्त बीई और आरई

\* प्रतिशत परिवर्तन संशोधित जीएसडीपी अनुमानों के कारण है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2024-25 में राज्य का राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का 4.25 प्रतिशत) एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य (जीएसडीपी का 3.50 प्रतिशत, विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए सकल घरेलू उत्पाद मूल्य के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा सहित) उधार सीमा से अधिक था। यह केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दी गई कुल राजकोषीय संभावना (जीएसडीपी का 4.04 प्रतिशत) से भी अधिक था। राजकोषीय घाटा ₹ 72,420 करोड़ (जीएसडीपी का 4.25 प्रतिशत) रहा, जो बीई (₹ 70,009 करोड़) और आरई (₹ 70,091 करोड़) दोनों अनुमानों से अधिक था।

(iii) राज्य सरकार ने मार्च 2021 में राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) की धारा 6(सी) के प्रावधानों में संशोधन किया और कुल बकाया ऋण (देयता) की सीमा को जीएसडीपी के 38.20 प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया, जिसे 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले छह वर्षों की अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना था और उसके बाद, उक्त अनुपात को बनाए रखना या कम करना था। वर्ष 2024-25 के दौरान देयता-जीएसडीपी अनुपात 37.10 प्रतिशत<sup>20</sup> था, जो राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर था।

लेखापरीक्षा के पश्चात, वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धियों का विवरण तालिका 1.42 में

19. धारा 6 (फ) का प्रावधान 25 सितम्बर 2021 को अधिनियमित किया गया।

20. जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी हेतु प्राप्त ₹ 8,519 करोड़ ऋण को बकाया देनदारियों से बाहर करने के उपरांत गणना की गई।

दिया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख राजकोषीय एवं आर्थिक मानदंडों का दस वर्षीय विश्लेषण **परिशिष्ट 1.4** में प्रस्तुत किया गया है।

**तालिका 1.42: एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | राजकोषीय मापदंड                                                        | अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य | उपलब्धि          |                  |                  |                  |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                        |                                       | 2015-16          | 2016-17          | 2017-18          | 2018-19          | 2019-20          | 2020-21             | 2021-22             | 2022-23             | 2023-24             | 2024-25             |
| 1.       | राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)                                            | राजस्व अधिशेष                         | (-) 5,954        | (-)9,114         | (-) 6,535        | (-) 16,900       | (-) 36,371       | (-)44,001           | (-)25,870           | (-)31,491           | (-)38,955           | (-)41,950           |
|          |                                                                        |                                       | X                | X                | X                | X                | X                | X                   | X                   | X                   | X                   | X                   |
| 2.       | राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)         | तीन प्रतिशत*                          | 63.070<br>(9.25) | 46.318<br>(6.09) | 25.342<br>(3.04) | 34.473<br>(3.78) | 37.654<br>(3.77) | (-)59,376<br>(5.83) | (-)48,238<br>(4.03) | (-)51,028<br>(3.76) | (-)65,580<br>(4.31) | (-)72,420<br>(4.25) |
|          |                                                                        |                                       | X                | X                | X                | X                | X                | X                   | X                   | X                   | X                   | X                   |
| 3.       | कुल बकाया देयता और सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात (प्रतिशत में) | लक्ष्य                                | 36.50            | 36.50            | 35.50            | 35.00            | 34.00            | 38.20               | 38.20               | 38.20               | 38.20               | 38.20               |
|          |                                                                        | उपलब्धि                               | 30.72            | 33.53            | 33.77            | 34.16            | 35.27            | 39.88               | 37.72               | 36.40               | 36.79               | 37.10               |
|          |                                                                        |                                       | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | X                   | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ✓                   |

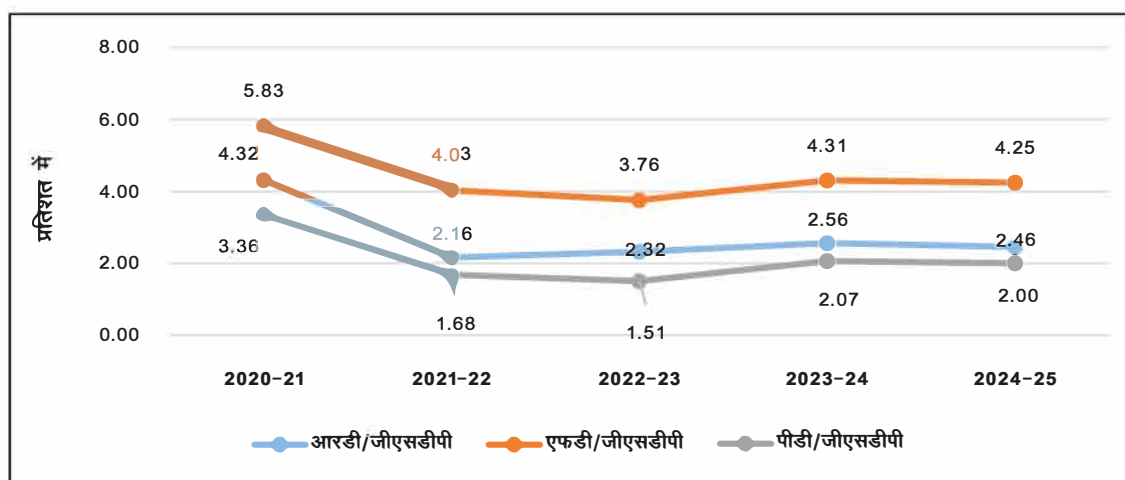
\* विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए वर्ष 2021-22 से 2024-25 की अवधि के लिए सकल घरेलू उत्पाद मूल्य (जीएसडीपी) के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई थी।

राज्य ने वर्ष 2015-16 से 2024-25 के दौरान राजस्व संतुलन और राजकोषीय घाटे के संबंध में एफआरबीएम अधिनियम के तहत निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया। अधिनियम में राजस्व अधिशेष बनाए रखने का प्रावधान है; हालांकि, राज्य ने वर्ष 2015-16 से 2024-25 के दौरान सभी वर्षों में राजस्व घाटा दर्ज किया, जो यह इंगित करता है कि राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए लगातार उधारी पर निर्भरता रही।

इसी प्रकार, पिछले दस वर्षों में प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा से अधिक रहा और यह 3.04 प्रतिशत से 9.25 प्रतिशत के बीच रहा।

कुल बकाया देनदारियों और जीएसडीपी के अनुपात के संबंध में, राज्य ने वर्ष 2015-16 से 2024-25 के दौरान सभी वर्षों में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया, वर्ष 2020-21 को छोड़कर जब यह अनुपात निर्धारित लक्ष्य से अधिक था। यद्यपि हाल के वर्षों में ऋण अनुपात लक्ष्य के भीतर रहा है, लेकिन सतत राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे की सीमा का उल्लंघन संरचनात्मक राजकोषीय तनाव और एफआरबीएम ढांचे के तहत परिकल्पित समेकन मार्ग का अपूर्ण अनुपालन दर्शाता है।

**चार्ट 1.34: घाटे की प्रवृत्तियों का विश्लेषण**



पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-एफसी) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और राज्य बजट में अनुमानित लक्ष्यों के सापेक्ष, वर्ष 2024-25 के दौरान जीएसडीपी के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों के संबंध में उपलब्धियों तालिका 1.43 में दी गई हैं।

तालिका 1.43: वर्ष 2024-25 के लिए प्रमुख राजकोषीय समष्टियों के संबंध में लक्ष्य बनाम उपलब्धियां

| राजकोषीय चर<br>(1)                       | 15 वें वित्त<br>आयोग द्वारा<br>निर्धारित लक्ष्य<br>(2) | बजट में लक्ष्य<br>(3) | वास्तविक<br>(4)    | वास्तविक से प्रतिशत भिन्नता               |                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
|                                          |                                                        |                       |                    | 15 वें वित्त आयोग<br>का लक्ष्य<br>(4-2=5) | बजट में लक्ष्य<br>(4-3=6) |
| राजस्व घाटा/ जीएसडीपी (प्रतिशत)          | (-) 1.7                                                | (-) 1.51              | (-) 2.46           | (-) 4.16                                  | (-) 0.95                  |
| राजकोषीय घाटा/ जीएसडीपी<br>(प्रतिशत)     | (-) 3.5*                                               | (-) 3.93              | (-) 4.25           | (-) 0.75                                  | (-) 0.32                  |
| कुल बकाया देनदारी/ जीएसडीपी<br>(प्रतिशत) | 38.9                                                   | 35.97                 | 37.10 <sup>§</sup> | (-) 1.8                                   | 1.13                      |

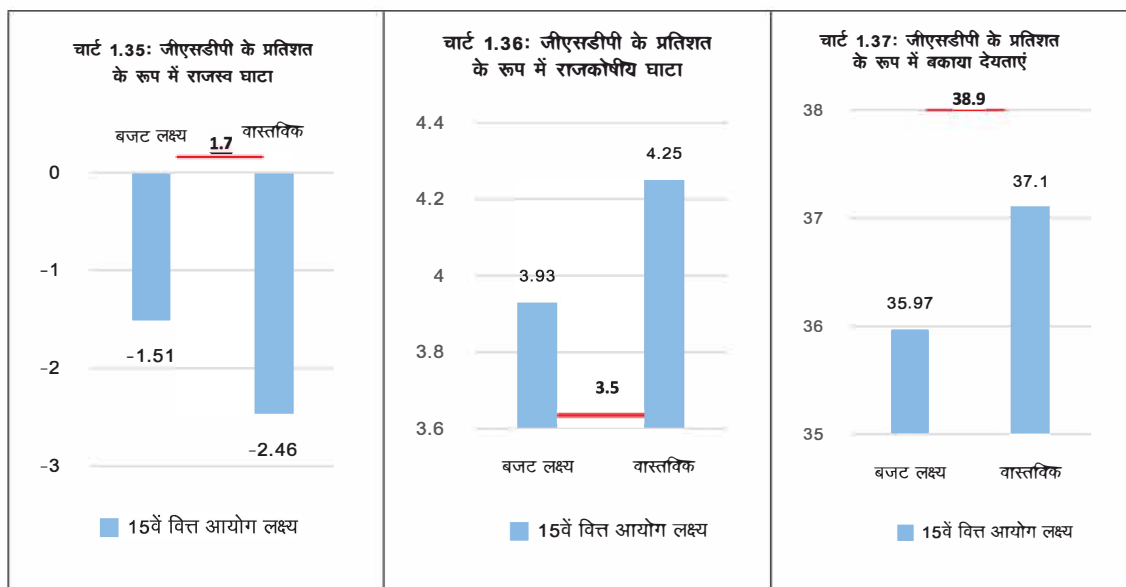
स्रोत: पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें, बजट और वित्त लेखा

नोट: घाटे के आंकड़े ऋणात्मक दर्शाए गए हैं।

§ जीएसटी मुआवजे के बदले भारत सरकार से ₹ 8,519 करोड़ के एक के बाद एक प्राप्त ऋण को छोड़कर

\* विद्युत सुधार के लिए जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा सहित

15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और राज्य बजट में अनुमानित लक्ष्यों की तुलना में, वर्ष 2024-25 के दौरान जीएसडीपी के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों के संबंध में प्राप्त उपलब्धियां, चार्ट 1.35, चार्ट 1.36 और चार्ट 1.37 में दी गई हैं।



स्रोत: वित्त लेखा एवं बजट दस्तावेज

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार राजस्व घाटा-जीएसडीपी और राजकोषीय घाटा-जीएसडीपी अनुपात को 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स्तरों और बजट अनुमानों में अनुमानित स्तरों के भीतर रखने में असमर्थ रही, लेकिन कुल बकाया ऋण-जीएसडीपी अनुपात निर्धारित स्तरों के भीतर ही रहा।

राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किये गये मध्यम अवधि राजकोषीय योजना (एमटीएफपी) में अनुमानित राजकोषीय मापदंडों के लक्ष्यों की तुलना वर्तमान वर्ष के वास्तविक आंकड़ों से तालिका 1.44 में दी गई है।

तालिका 1.44: वर्ष 2024-25 के लिए एमटीएफपी में अनुमानित आंकड़ों की तुलना में वास्तविक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | राजकोषीय चर                                     | एमटीएफपी के अनुसार अनुमान | वास्तविक (2024-25) | भिन्नता (प्रतिशत में) |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1        | स्व कर राजस्व                                   | 12,5525                   | 1,03,310           | (-) 17.70             |
| 2        | गैर-कर राजस्व                                   | 22,665                    | 23,502             | 3.70                  |
| 3        | केंद्रीय करों का हिस्सा                         | 79,587                    | 77,548             | (-) 2.56              |
| 4        | भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान          | 36,684                    | 22,890             | (-) 37.60             |
| 5        | राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)                    | 2,64,461                  | 2,27,250           | (-) 14.07             |
| 6        | पूँजीगत प्राप्ति                                | 326                       | 524                | 60.74                 |
| 7        | राजस्व व्यय                                     | 2,90,219                  | 2,69,200           | (-) 7.24              |
| 8        | राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (5-6)                | (-)25,758                 | (-) 41,950         | 62.86                 |
| 9        | राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+)                    | (-)70,009                 | (-) 72,420         | 3.44                  |
| 10       | प्राथमिक घाटा                                   | (-)32,472                 | (-) 34,075         | 4.94                  |
| 11       | ऋण (देयता)-जीएसडीपी अनुपात (प्रतिशत)            | 35.97                     | 37.10              | 3.14                  |
| 12       | वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत) | 12.02                     | 12.02              | 0.00                  |

स्रोत: वित्त लेखा और बजट दस्तावेज

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वास्तविक राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और वास्तविक देयता-जीएसडीपी अनुपात एमटीएफपी के प्रक्षेपित अनुमानों से अधिक रहे।

राज्य सरकार को व्यय पक्ष पर मध्यम अवधि के सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि व्यय को संयमित किया जा सके और साथ ही राज्य के राजस्व को संगठित कर ऋण स्तर को कम किया जा सके।

#### 1.5.4 ऋण स्थिरता विश्लेषण (डीएसए)

ऋण स्थिरता का विश्लेषण राजकोषीय एवं ऋण मानकों तथा संबंधित एफआरबीएम लक्ष्यों के अनुपालन के आधार पर किया गया है।

ऋण स्थिरता से तात्पर्य राज्य की वर्तमान और भविष्य में अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता से है। ऋण स्थिरता संकेतकों में भिन्नताओं का विश्लेषण तालिका 1.45 में दिया गया है।

तालिका 1.45: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | ऋण स्थिरता संकेतक                                   | 2020-21   | 2021-22   | 2022-23   | 2023-24   | 2024-25   |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1        | कुल प्रभावी देनदारियाँ या कुल ऋण*, जिसमें से        | 405896.00 | 450973.00 | 493702.00 | 559767.00 | 632325.54 |
| 2        | कुल ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)                       | 15.08     | 11.11     | 9.47      | 13.38     | 12.96     |
| 3        | जीएसडीपी (सांकेतिक रूप में)                         | 1017917   | 1195641   | 1356480   | 1521510   | 1704339   |
| 4        | सांकेतिक जीएसडीपी वृद्धि (प्रतिशत)                  | 1.79      | 17.46     | 13.45     | 12.17     | 12.02     |
| 5        | कुल ऋण/जीएसडीपी (प्रतिशत)##                         | 39.88     | 37.72     | 36.40     | 36.79     | 37.10     |
| 6        | सकल उधारों का पुनर्भुगतान (प्रतिशत)                 | 87.87     | 91.98     | 95.83     | 91.24     | 91.50     |
| 7        | सकल उधारों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध शुद्ध उधार# | 12.13     | 8.02      | 4.17      | 8.76      | 8.50      |
| 8        | समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान                            | 25202.00  | 28100.00  | 30602.00  | 34128.00  | 38344.64  |
| 9        | कुल ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत) <sup>21</sup>  | 7.23      | 7.11      | 7.02      | 7.03      | 7.05      |

21. समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर की गणना, आरक्षित निधियों, बिना ब्याज वाले जमा तथा पूँजीगत व्यय हेतु राज्य को प्रदान की गई 50 वर्षों की अवधि के लिए ब्याज-मुक्त केंद्रीय सहायता को समायोजित कर की गई है।

प्रभावी ब्याज दर = (ब्याज भुगतान ÷ ऋण की उद्धाटन एवं समापन शेष राशि का औसत [बिना ब्याज वाली देनदारियों को छोड़कर]) × 100

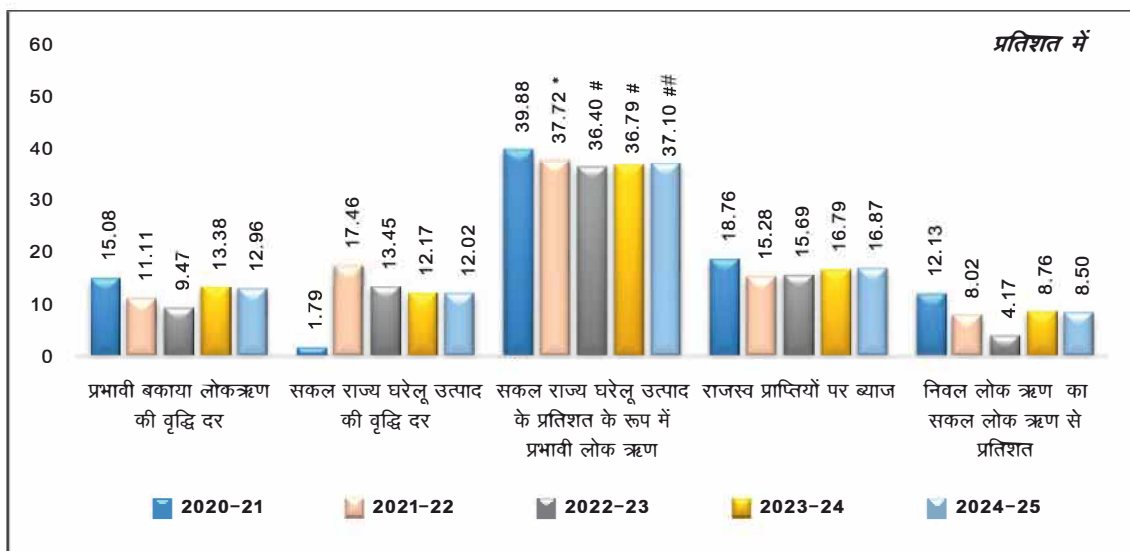
| क्र. सं. | ऋण स्थिरता संकेतक                                                                                      | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10       | राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान (प्रतिशत)                                                           | 18.76   | 15.28   | 15.69   | 16.79   | 16.87   |
| 11       | प्राथमिक राजस्व शेष (पीआरबी)                                                                           | -18799  | 2230    | -889    | -4827   | -3605   |
| 12       | राजकोषीय घाटा                                                                                          | -59376  | -48238  | -51028  | -65580  | -72420  |
| 13       | प्राथमिक शेष/घाटा (पीबी)                                                                               | -34174  | -20138  | -20426  | -31452  | -34075  |
| 14       | पीबी/जीएसडीपी (प्रतिशत)                                                                                | -3.36   | -1.68   | -1.51   | -2.07   | -2.00   |
| 15       | तरलता प्रबंधन (भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उपलब्ध वित्तीय सुविधा साधनों का उपयोग) (घटनाओं की संख्या में) | 50      | 71      | 133     | 170     | 190     |
| 16       | निवेश पर प्रतिफल (आरओआई)                                                                               | 12.65   | 0.61    | 2.94    | 0.74    | 1.58    |
| 17       | आरओआई और कुल देयता पर प्रभावी ब्याज दर <sup>22</sup> के बीच अंतर                                       | 5.42    | -6.51   | -4.08   | -6.29   | -5.47   |
| 18       | ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड <sup>23</sup> + प्राथमिक शेष)                                            | -54570  | 22871   | 8926    | -5075   | -5583   |
| 19       | डोमर गैप                                                                                               |         |         |         |         |         |
| A        | जीएसडीपी (स्थिर रूप में)                                                                               | 665963  | 725464  | 779196  | 840599  | 906294  |
| B        | वास्तविक वृद्धि (स्थिर रूप में)                                                                        | -1.82   | 8.93    | 7.41    | 7.88    | 7.82    |
| C        | सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत)                                                                | 3.69    | 4.86    | 6.91    | 6.39    | 4.32    |
| D        | समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (क्रम संख्या 9 में दर्शाई गई)                                             | 7.23    | 7.11    | 7.02    | 7.03    | 7.05    |
| E        | वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (प्रभावी ब्याज दर - मुद्रास्फीति) (19d-19c)                                  | 3.54    | 2.25    | 0.11    | 0.64    | 2.73    |
| F        | वृद्धि-ब्याज अंतर (वास्तविक वृद्धि - वास्तविक प्रभावी ब्याज दर) (19b-19c)                              | -5.36   | 6.68    | 7.30    | 7.24    | 5.08    |
| G        | प्राथमिक संतुलन (पीबी)                                                                                 | -34174  | -20138  | -20426  | -31452  | -34075  |

स्रोत: वित्त लेखा एवं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

\* बकाया देनदारियाँ, मद 6003—‘आंतरिक ऋण’ तथा 6004—‘केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम’ के अंतर्गत बकाया शेष राशि तथा सार्वजनिक स्थाता शेष का योग होती हैं। वर्ष 2020-21, 2021-24 और 2024-25 के दौरान, क्रमशः ₹ 4,604 करोड़, ₹ 11,872 करोड़ (₹ 4,604 करोड़ + ₹ 7,268 करोड़) तथा ₹ 8,519 करोड़ को भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के स्थान पर प्राप्त एक-के-बाद एक ऋण के रूप में बाहर रखा गया, जिन्हें राज्य को अपने स्रोतों से चुकाना नहीं है।

# राज्य सरकार के लिए उपलब्ध शुद्ध ऋण की गणना, कुल ऋण प्राप्तियों में से कुल ऋण पुनर्भुगतान तथा सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान को घटाकर की जाती है।

चार्ट 1.38: ऋण स्थिरता संकेतकों में प्रवृत्तियाँ



22. निवेश पर प्रतिफल (RoI) को प्रभावी ब्याज प्राप्तियों की दर से मापा गया है।

आरओआई = (ब्याज प्राप्तियाँ ÷ वितरित ऋण एवं अग्रिमों की उद्धाटन एवं समापन शेष राशि का औसत) × 100

23. क्वांटम स्प्रेड = ब्याज स्प्रेड × ऋण (बिना ब्याज वाली देनदारियों को छोड़कर)



- \* कुल बकाया देनदारियों में से ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत लगातार ऋणों के रूप में प्राप्त ₹4,604 करोड़ के जीएसटी मुआवजे को घटाने के बाद प्राप्त राशि।
- # कुल बकाया देनदारियों में से ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत लगातार ऋणों के रूप में प्राप्त ₹11,872 करोड़ के जीएसटी मुआवजे को घटाने के बाद प्राप्त राशि।
- ## कुल बकाया देनदारियों में से ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत लगातार ऋणों के रूप में प्राप्त ₹8,518.91 करोड़ के जीएसटी मुआवजे को घटाने के बाद प्राप्त राशि।

**तालिका 1.45 और चार्ट 1.38** में दर्शाए गए विभिन्न ऋण स्थिरता संकेतकों के विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष निकले:

- **ऋण का जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में आंकलन:** पिछले पाँच वर्षों के दौरान ऋण जीएसडीपी अनुपात 35 प्रतिशत से अधिक रहा। राज्य का राजकोषीय घाटा भी पिछले पाँच वर्षों में लक्षित तीन प्रतिशत जीएसडीपी से अधिक रहा। पिछले पाँच वर्षों में 88 प्रतिशत से अधिक उधारी का उपयोग बकाया ऋण (ब्याज सहित) के पुनर्भुगतान हेतु किया गया। उच्च ऋण— जीएसडीपी अनुपात यह दर्शाता है कि राज्य का बोझ उसकी आर्थिक उत्पादन क्षमता की तुलना में पर्याप्त है तथा यह वित्तीय असुरक्षा और सीमित राजकोषीय लचीलापन दर्शाता है।
- **जीएसडीपी की नाममात्र वृद्धि दर और ऋण वृद्धि दर:** वर्ष 2021-22 और 2022-23 को छोड़कर, नाममात्र जीएसडीपी वृद्धि दर कुल ऋण वृद्धि दर से कम रही। इसका तात्पर्य यह है कि वर्ष 2020-21, 2023-24 और 2024-25 में ऋण वृद्धि नाममात्र वृद्धि से अधिक रही, जिससे इन वर्षों में राज्य पर ऋण का बोझ और बढ़ गया।
- **प्राथमिक संतुलन और प्राथमिक राजस्व संतुलन:** सभी पाँच वर्षों में प्राथमिक संतुलन एवं प्राथमिक राजस्व संतुलन नकारात्मक रहे (सिवाय वर्ष 2021-22 में सकारात्मक प्राथमिक राजस्व संतुलन के)। प्राथमिक संतुलन वर्ष 2021-22 में ₹ 20,138 करोड़ से निरंतर बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 34,075 करोड़ तक पहुँच गया, जो यह इंगित करता है कि ऋण अस्थिर मार्ग पर है।
- **राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान:** समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान का बोझ, राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में, सभी पाँच वर्षों में 15 प्रतिशत से अधिक रहा। यह वर्ष 2021-22 में 15.28 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 16.87 प्रतिशत तक पहुँच गया। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में भी यह पिछले पाँच वर्षों में 13 प्रतिशत से अधिक रहा तथा पिछले चार वर्षों में वृद्धि का रुझान प्रदर्शित किया। यह प्रवृत्ति ऋण की अस्थिर दिशा को इंगित करती है।
- **परिपक्वता रुपरेखा और उधार की लागत:** राज्य के बाजार ऋण की परिपक्वता प्रोफ़ाइल से यह स्पष्ट होता है कि 31 मार्च 2025 को कुल बाजार ऋण का 65.99 प्रतिशत (₹ 3,25,914 करोड़) पाँच वर्षों से अधिक अवधि के बाद देय है, जो ऋण की लंबी अवधि को इंगित करता है। इससे आगामी अल्पकालिक एवं मध्यम अवधि में पुनर्वित्त जोखिम सीमित हो जाता है।
- **तरलता:** वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 91,250.55 करोड़ विशेष तरीकों एवं साधनों की अग्रिम राशि तथा ₹ 31,028.90 करोड़ सामान्य तरीकों एवं साधनों की अग्रिम राशि प्राप्त की। भारतीय रिज़र्व बैंक से लिए गए मार्गोपाय अग्रिमों के अवसरों की संख्या वर्ष 2019-20 में तीन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 190 बार हो गई। वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा मार्गोपाय अग्रिम पर ₹180.01 करोड़ ब्याज का भुगतान किया गया। बड़े पैमाने पर मार्गोपाय अग्रिम का निरंतर उपयोग कमजोर तरलता प्रबंधन को दर्शाता है, जो कमजोर राजकोषीय प्रबंधन का संकेत है तथा अल्पकालिक स्थिरता में बाधा उत्पन्न करता है।

- **राजकोषीय असंतुलन:** वर्ष 2024-25 के दौरान समग्र ऋण का जीएसडीपी के अनुपात में स्तर पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गया। यह इंगित करता है कि राज्य के पास उधारी के माध्यम से राजकोषीय विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है। चूंकि राज्य का प्राथमिक संतुलन पिछले तीन वर्षों में लगातार बढ़ता रहा है, जो यह दर्शाता है कि ऋण स्थिर नहीं है।
- **डोमार मॉडल - सकल घरेलू उत्पाद की (स्थिर कीमतों पर) वास्तविक वृद्धि दर और समग्र ऋण पर प्रभावी वास्तविक ब्याज दर:** वर्ष 2021-22 से 2024-25 के दौरान वास्तविक वृद्धि दर, वास्तविक प्रभावी ब्याज दर से अधिक रही। अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के साथ, जीएसडीपी की वास्तविक वृद्धि दर वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण -1.82 प्रतिशत के संकुचन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 8.93 प्रतिशत हो गई तथा वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में 7 प्रतिशत से अधिक स्थिर रही, जिससे इन वर्षों में उधारी की लागत को वहन किया जा सका। तथापि, राज्य का प्राथमिक संतुलन पिछले पाँच वर्षों में नकारात्मक ही रहा। प्राथमिक घाटा अस्थिर प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। राज्य की उधारी पर बढ़ते ब्याज दायित्वों को देखते हुए यह निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी कि ऋण राज्य के लिए स्थिर है।

(ब) एमटीएफपी में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों का विवरण तालिका 1.46 में दिखाया गया है।

तालिका 1.46: एमटीएफपी में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियाँ

| राजकोषीय मापदंड                                                      |    | एमटीएफपी/एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                      |    | 2020-21                                                             | 2021-22             | 2022-23             | 2023-24             | 2024-25             |
| राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+) (प्रतिशत में) | टी | (-) 7.12                                                            | (-) 12.88           | (-) 10.93           | (-) 10.64           | (-) 9.74            |
|                                                                      | ए  | (-) 32.76                                                           | (-) 14.07           | (-) 16.15           | (-) 19.16           | (-) 18.46           |
| जीएसडीपी के सापेक्ष राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) (प्रतिशत में)      | टी | (-) 2.99                                                            | (-) 3.98            | (-) 4.36            | (-) 3.98            | (-) 3.93            |
|                                                                      | ए  | (-) 5.83                                                            | (-) 4.03            | (-) 3.76            | (-) 4.31            | (-) 4.25            |
| कुल बकाया देयता से जीएसडीपी का अनुपात (प्रतिशत में)                  | टी | 33.12                                                               | 38.15               | 39.80               | 36.78               | 35.97               |
|                                                                      | ए  | 39.88 <sup>24</sup>                                                 | 37.72 <sup>25</sup> | 36.40 <sup>25</sup> | 36.79 <sup>25</sup> | 37.10 <sup>26</sup> |

स्रोत: वित्त लेखा एवं बजट दस्तावेज

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य सरकार पिछले पांच वर्षों से लगातार राजस्व घाटे का राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही। राज्य सरकार वर्ष 2020-21 से 2021-22 तथा 2023-24 और 2024-25 के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे के एमटीएफपी लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सकी। बकाया देनदारियों का जीएसडीपी के अनुपात में एमटीएफपी लक्ष्य वर्ष 2020-21 और 2024-25 में हासिल नहीं किया जा सका।

### 1.5.5 प्रत्याभूतियों की स्थिति – आकस्मिक देनदारियाँ

ऋणकर्ता द्वारा ऋण चुकाने में चूक होने की स्थिति में प्रत्याभूति समेकित निधि पर आकस्मिक देनदारी होती है। राज्य वैधानिक निगमों, बोर्डों, स्थानीय निकायों और सहकारी संस्थाओं जैसी संस्थाओं द्वारा लिए गए

24. कुल बकाया देनदारियों में से ऋण प्राप्तियों के तहत 2020-21 में बैंक-टू-बैंक ऋणों के रूप में प्राप्त ₹ 4,604 करोड़ के जीएसटी मुआवजे को छोड़कर यह आंकड़ा निकाला गया है।
25. कुल बकाया देनदारियों में से ऋण प्राप्तियों के तहत 2020-21 और 2021-22 के दौरान बैंक-टू-बैंक ऋणों के रूप में प्राप्त ₹ 11,872 करोड़ के जीएसटी मुआवजे को छोड़कर यह आंकड़ा निकाला गया है।
26. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रोफोर्मा में कमी आने के बाद ऋण प्राप्तियों के तहत, ₹ 8,519 करोड़ के जीएसटी मुआवजे को, जो कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान बैंक-टू-बैंक ऋणों के रूप में प्राप्त हुआ था, कुल बकाया देनदारियों से बाहर रखा गया है।

ऋणों के लिए प्रत्याभूति प्रदान करता है। एफआरबीएम अधिनियम, 2005 (अप्रैल 2016 में संशोधित) के अनुसार, 31 मार्च 2017 को कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूति वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य की समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूति उस वित्तीय वर्ष में राज्य की समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। पिछले पांच वर्षों के लिए प्रत्याभूतियों का विवरण और कुल प्राप्तियों के मुकाबले बकाया प्रत्याभूतियों की स्थिति तालिका 1.47 में दी गई है।

सारणी 1.47: राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटीयां

(₹ करोड़ में)

| गारंटीयां                                                                                              | 2020-21  | 2021-22  | 2022-23  | 2023-24  | 2024-25  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियाँ                                                                   | 2,19,467 | 2,46,909 | 3,38,075 | 3,82,674 | 4,86,805 |
| बकाया प्रत्याभूतियों की राशि पर लागू सीमा (अर्थात् समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों का 60 प्रतिशत) | 1,31,680 | 1,48,145 | 2,02,845 | 2,29,604 | 2,92,083 |
| वर्ष के प्रारंभ में बकाया प्रत्याभूतियों की बकाया राशि                                                 | 80,631   | 82,612   | 95,868   | 1,04,832 | 1,10,918 |
| वर्ष के अंत में बकाया प्रत्याभूतियों की बकाया राशि                                                     | 82,612   | 95,868   | 1,04,832 | 1,10,918 | 1,16,800 |

स्रोत: वित्त लेख और वार्षिक वित्तीय विवरण

बकाया प्रत्याभूति वर्ष 2023-24 में ₹ 1,10,918 करोड़ की 5.30 प्रतिशत की वृद्धि की दर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 1,16,800 करोड़ हो गई, जो राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,27,250 करोड़) का 51.40 प्रतिशत है।

31 मार्च 2025 तक ₹ 1,16,800 करोड़ की बकाया प्रत्याभूति विद्युत (₹ 86,748.84 करोड़); सहकारी समितियों (₹ 3,134.09 करोड़); सड़क एवं परिवहन (₹ 6,011.69 करोड़); राज्य वित्त निगम/कंपनियों (₹ 1,332.50 करोड़); शहरी विकास एवं आवास (₹ 6,782.85 करोड़) से संबंधित और अन्य (₹ 12,790.39 करोड़) थी। बिजली कंपनियों को दी गई प्रत्याभूतियां ऋण/ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान, बॉन्ड/डेबेंचर जारी कर जुटाई गई राशि तथा निर्धारित दरों पर ब्याज भुगतान हेतु थी।

वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार ने एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित सीमा के भीतर प्रत्याभूतियां प्रदान कीं। बकाया प्रत्याभूति का अनुमानित प्राप्तियों के अनुपात में स्तर (23.99 प्रतिशत) वर्ष 2024-25 में एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा (60 प्रतिशत) के भीतर रहा।

बकाया प्रत्याभूति पूरे वर्षों में अनुमेय सीमा के भीतर रही, जो राजकोषीय विवेकशीलता को दर्शाती है।

### 1.5.6 राजकोषीय स्थिरता के मार्ग

घाटों में सुधार राजस्व वृद्धि एवं व्यय का युक्तिकरण करके किया जा सकता है। इसमें कर अनुपालन को सुदृढ़ करना, कर आधार का विस्तार करना, उपभोक्ता शुल्कों का पुनरीक्षण करना तथा निष्क्रिय सरकारी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण शामिल है। व्यय पक्ष पर, अर्थ-सहाय्यों का बेहतर लक्ष्यीकरण, वेतन एवं पेंशन वृद्धि पर नियंत्रण तथा व्यय का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करना प्रमुख कारक हैं। उत्पादक पूंजी निवेश को प्राथमिकता देना तथा पारदर्शी एवं दक्ष उधारी के माध्यम से ऋण प्रबंधन में सुधार करना राजकोषीय दबाव को और कम कर सकता है। ये उपाय सामूहिक रूप से राजकोषीय स्थान उत्पन्न करते हैं तथा राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटों को स्थायी रूप से कम करने में सहायक होते हैं। इन पर आगे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

**1.5.6.1 राज्य के राजस्व में सुधार**

अप्रयुक्त राजस्व क्षमता, यदि प्रभावी रूप से उपयोग की जाए, तो राजकोषीय स्थान को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकती है और ऋण पर निर्भरता को कम कर सकती है। मूल्यांकन में अक्षमताएँ, कम मूल्यांकन तथा राज्य जीएसटी, स्टाम्प शुल्क और उत्पाद शुल्क जैसे प्रमुख कर स्रोतों में सीमित प्रवर्तन तंत्र, राजस्व वृद्धि को दबा देंगे। अवास्तविक गैर-कर राजस्व, जिसमें कम उपभोक्ता शुल्क, कमजोर लागत वसूली तथा सार्वजनिक परिसंपत्तियों एवं निवेशों पर उप-इष्टतम प्रतिफल शामिल हैं, भी राजकोषीय स्थान को बाधित करते हैं। लंबित बकाया (कर एवं गैर-कर) की समय पर वसूली राजकोषीय स्थान को बढ़ाने की दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है।

**अ. राजस्व बकाया का विश्लेषण**

राजस्व की बकाया राशि सरकार द्वारा राजस्व की प्राप्ति में विलंब को इंगित करती है तथा मूल्यांकन की बकाया राशि संभावित राजस्व को दर्शाती है जो विलंबित मूल्यांकन के कारण अवरुद्ध है। दोनों ही स्थितियाँ सरकार को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करती हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करती हैं।

31 मार्च 2025 को कुछ प्रमुख राजस्व मदों से संबंधित राजस्व की बकाया राशि ₹ 11,958.49 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 4,139.07 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसा कि तालिका 1.48 में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.48: बकाया राजस्व**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | राजस्व शीर्ष             | 1 अप्रैल 2024 को कुल बकाया राशि | 31 मार्च 2025 को कुल बकाया राशि और पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि | 31 मार्च 2025 को पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि |
|----------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.       | वाणिज्यिक कर *           | 8,246.60                        | 6,805.18 (-) 17.48                                                        | 3,373.87                                               |
| 2.       | परिवहन *                 | 43.64                           | 36.07 (-) 17.35                                                           | 22.30                                                  |
| 3.       | भू-राजस्व *              | 194.55                          | 205.66 (-) 5.71                                                           | -                                                      |
| 4.       | प्रमुख और मध्यम सिंचाई * | 3.33                            | 3.44 3.30                                                                 | -                                                      |
| 5.       | स्नान और भूविज्ञान       | 252.06                          | 234.94 (-) 6.79                                                           | 103.82                                                 |
| 6.       | पंजीयन एवं मुद्रांक *    | 1,968.90                        | 1,383.30 (-) 29.74                                                        | 260.55                                                 |
| 7.       | भूमि कर                  | 1,252.32                        | 1,107.93 (-) 11.53                                                        | 190.49                                                 |
| 8.       | राज्य उत्पाद शुल्क *     | 1,970.77                        | 2,181.97 10.72                                                            | 188.04                                                 |
|          | <b>योग</b>               | <b>13,932.17</b>                | <b>11,958.49 (-) 14.17</b>                                                | <b>4,139.07</b>                                        |

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी

\* प्रारंभिक शेष राशि विभागों द्वारा अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के कारण पिछले वर्ष की समापन शेष राशि से भिन्न हैं।

राजस्व की बकाया राशि 1 अप्रैल 2024 को ₹ 13,932.17 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2025 को ₹ 11,958.49 करोड़ हो गई, जो वर्ष के दौरान 14.17 प्रतिशत की समग्र कमी को दर्शाती है। वाणिज्यिक कर तथा पंजीकरण एवं मुद्रांक के अंतर्गत उल्लेखनीय कमी देखी गई, जो कुल बकाया का एक बड़ा हिस्सा हैं।

तथापि, राज्य उत्पाद शुल्क के अंतर्गत बकाया वर्ष के दौरान 10.72 प्रतिशत बढ़ा, जो इस क्षेत्र में उभरती हुई वसूली संबंधी चिंताओं को इंगित करता है। इसके अतिरिक्त ₹ 4,139.07 करोड़, विशेषकर वाणिज्यिक कर, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा स्नान एवं भूविज्ञान के अंतर्गत जो कुल बकाया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित रहा।



यद्यपि, बकाया में समग्र कमी वसूली में कुछ सुधार को इंगित करती है, परंतु दीर्घकालिक लंबित देनदारियों की निरंतरता और कुछ मदों में बकाया की वृद्धि यह दर्शाती है कि वसूली तंत्र को सुदृढ़ करने तथा लंबित मामलों की समय-समय पर समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि वसूल नहीं किये गये राजस्व का संचय रोका जा सके।

वित्त (कर) विभाग ने सूचित (नवंबर 2025) किया कि 31 मार्च 2024 को विभिन्न विभागों की बकाया शेष राशि में से ₹ 379.76 करोड़ (पंजीकरण एवं स्टाम्प्स विभाग तथा भूमि कर से संबंधित) की वसूली की जा चुकी है तथा उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा बकाया शेष राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

## ब. मूल्यांकन की बकाया राशि

वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों, वर्ष के दौरान मूल्यांकन हेतु देय मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष के अंत में अंतिमीकरण हेतु बकाया मामलों का विवरण वाणिज्यिक कर, परिवहन, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा स्वान एवं भूविज्ञान विभागों द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जो तालिका 1.49 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.49: मूल्यांकन में बकाया

| विभाग का नाम            | प्रारंभिक शेष | वर्ष 2024-25 के दौरान मूल्यांकन के लिए नए मामले | कुल मूल्यांकन बकाया | वर्ष 2024-25 के दौरान निपटाए गए मामले | वर्ष के अंत में शेष | निपटान का प्रतिशत (स्तंभ 5/4) |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1                       | 2             | 3                                               | 4                   | 5                                     | 6                   | 7                             |
| वाणिज्यिक कर*           | 945           | 5,118                                           | 6,063               | 4,665                                 | 1,398               | 76.94                         |
| परिवहन                  | 1,154         | 19,303                                          | 20,457              | 19,525                                | 932                 | 95.44                         |
| पंजीयन एवं मुद्रांक * # | 4,646         | 8,365                                           | 13,011              | 9,597                                 | 3,414               | 73.76                         |
| स्वान और भूविज्ञान*     | 11,427        | 7,305                                           | 18,732              | 8,980                                 | 9,752               | 47.94                         |

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदत्त जानकारी।

\* प्रारंभिक शेष राशि विभागों द्वारा अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के कारण पिछले वर्ष की समापन शेष राशि से भिन्न है।

# भूमि कर सहित

वर्ष 2024-25 के दौरान, वाणिज्यिक कर, परिवहन, पंजीयन एवं मुद्रांक और स्वान एवं भूविज्ञान में मूल्यांकन संबंधी मामलों में पर्याप्त लंबितता दर्ज की गई। परिवहन विभाग ने 95.44 प्रतिशत की उच्च निपटान दर प्राप्त की, जिससे इसकी समापन शेष राशि में उल्लेखनीय कमी आई। अन्य विभागों ने मध्यम से निम्न निपटान दर दर्ज की। वाणिज्यिक कर विभाग ने कुल देय मामलों का 76.94 प्रतिशत तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने 73.76 प्रतिशत मामलों का निपटान किया, जिससे वर्षांत में पर्याप्त लंबित मामले शेष रहे।

स्वान एवं भूविज्ञान विभाग ने सबसे कम 47.94 प्रतिशत निपटान दर दर्ज की, जिसके परिणामस्वरूप 9,752 मामले लंबित रहे, जो वर्ष के दौरान कुल देय मामलों का आधे से अधिक है। मूल्यांकन में उच्च लंबितता, विशेषकर स्वान एवं भूविज्ञान तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभागों में, यह इंगित करती है कि मूल्यांकन तंत्र को सुदृढ़ करने तथा निपटान की गति बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि बकाया का संचय रोका जा सके और राजस्व की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित हो।

वित्त (कर) विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2025 में) कि 31 मार्च 2024 तक विभिन्न विभागों के लंबित मूल्यांकन बकाया मामलों में से पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से संबंधित 2,251 मामले निपटा दिए गए हैं और शेष मामलों के निपटान के लिए अन्य विभागों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।



### स. विभागों द्वारा पता लगाए गए कर चोरी के मामलों का विवरण

कर चोरी के मामलों का पता लगाना तथा अतिरिक्त कर की माँग उठाना राज्य सरकार के राजस्व संग्रह प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कर चोरी के 291 मामले दर्ज किए गए। 322 मामलों में मूल्यांकन/जाँच पूर्ण की गई तथा 31 मार्च 2025 को 370 मामले अंतिमीकरण हेतु लंबित थे। इसके अतिरिक्त, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में वर्ष 2024-25 के दौरान कर चोरी के 493 मामले दर्ज किए गए। 31 मार्च 2025 तक सभी मामलों में मूल्यांकन/जाँच पूर्ण कर ली गई थी और कोई भी मामला अंतिमकरण हेतु लंबित नहीं था। लंबित मामलों का विवरण तालिका 1.50 में दिया गया है।

तालिका 1.50: पता लगाई गई कर चोरी

(₹ करोड़ में)

| राजस्व शीर्ष        | 31 मार्च 2024 को लंबित मामले | वर्ष 2024-25 के दौरान पता चले मामले | कुल   | वे मामले जिनमें मूल्यांकन/जाँच पूर्ण की गई तथा अतिरिक्त माँग (दंड आदि सहित) उठाई गई। |              | 31 मार्च 2025 को अंतिम निर्णय के लिए लंबित मामलों की संख्या |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
|                     |                              |                                     |       | मामलों की संख्या                                                                     | माँग की राशि |                                                             |
| वाणिज्यिक कर        | 401                          | 291                                 | 692   | 322                                                                                  | 827.42       | 370                                                         |
| पंजीयन एवं मुद्रांक | 1,967                        | 493                                 | 2,460 | 2,460                                                                                | 23.59        | 0                                                           |

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदत्त जानकारी।

\* प्रारंभिक शेष राशि विभाग द्वारा अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के कारण पिछले वर्ष की समापन शेष राशि से भिन्न हैं।

वाणिज्यिक कर विभाग के मामले में यह देखा गया कि लंबित मामलों की संख्या वर्ष के दौरान 31 मार्च 2024 को 401 से घटकर 31 मार्च 2025 को 370 हो गई।

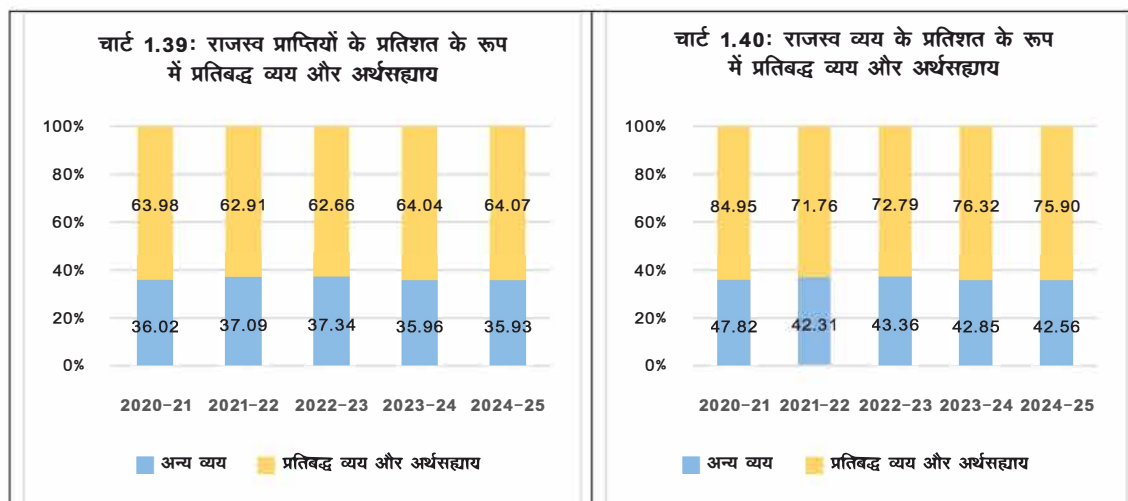
वित्त (कर) विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2025) कि शेष मामलों के निपटान हेतु विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

विभाग को लंबित मामलों के अंतिमीकरण हेतु समन्वित प्रयास करने चाहिए।

### 1.5.6.2 व्यय पक्ष से संबंधित मुद्दे

#### अ. प्रतिबद्ध व्यय एवं अर्थ-सहायो से उत्पन्न राजकोषीय तनाव

चार्ट 1.39 और चार्ट 1.40 क्रमशः वित्तीय वर्ष 2020-25 के दौरान राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और अर्थ-सहायो को संयुक्त रूप से प्रदर्शित करते हैं।



वर्ष 2024-25 में, राज्य का प्रतिबद्ध व्यय ₹ 1,48,264 करोड़ रहा, जिसमें वेतन एवं मजदूरी (₹ 80,601 करोड़), पेंशन (₹ 29,318 करोड़) तथा ब्याज भुगतान (₹ 38,345 करोड़) शामिल हैं। यह राजस्व प्राप्तियों का लगभग 65.24 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, अर्थसहाय्य ₹ 34,024 करोड़ रहीं, जिससे कुल कठोर व्यय ₹ 1,82,288 करोड़ हो गया, जो राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 80.21 प्रतिशत है। प्रतिबद्ध व्यय एवं अर्थ-सहाय्यों का राजस्व व्यय के प्रति प्रतिशत सभी पाँच वर्षों में 65 प्रतिशत से अधिक रहा।

इस प्रकार के उच्च एवं कठोर व्यय की प्रकृति राजकोषीय स्थान को उल्लेखनीय रूप से संकुचित करती है, जिससे राज्य की पूंजी निवेश एवं विकासात्मक प्राथमिकताओं की ओर संसाधन आवंटित करने की क्षमता सीमित हो जाती है। यह संरचनात्मक असंतुलन राजस्व एवं प्राथमिक घाटे की स्थिरता के जोखिम को बढ़ाता है, दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता को बाधित करता है तथा सरकार की उभरती सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को कम करता है। अतः अर्थ-सहाय्यों के युक्तिकरण, बेहतर लक्ष्यीकरण तथा वेतन एवं पेंशन प्रतिबद्धताओं के विवेकपूर्ण प्रबंधन के माध्यम से व्यय सुधार की तत्काल आवश्यकता है, ताकि राजकोषीय लचीलापन बढ़ाया जा सके और एक स्थायी राजकोषीय पथ सुनिश्चित किया जा सके।

## ब. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

अधूरी पूंजीगत परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी का आकलन पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को भी इंगित करेगा। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों में निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और राज्य को परियोजनाओं के अपेक्षित लाभों से लंबे समय तक वंचित करता है। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संबंधित वर्षों में उधार ली गई निधियाँ ऋण सेवा एवं ब्याज देनदारियों के रूप में अतिरिक्त बोझ उत्पन्न करती हैं। अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण तालिका 1.51 में दर्शाया गया है (यह जानकारी वर्ष 2024-25 के वित्त लेख के परिशिष्ट-IX के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित है)।

तालिका 1.51: अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

(₹ करोड़ में)

| को अपूर्ण परियोजनाओं की आयु का विवरण |                                  |                                         |                            | विभागवार अधूरी परियोजनाओं का विवरण |                                  |                                         |                               |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 31 मार्च 2025                        |                                  |                                         |                            | 31 मार्च 2025 तक                   |                                  |                                         |                               |
| वर्ष<br>(शुरुआत)                     | अधूरी<br>परियोजनाओं<br>की संख्या | अनुमानित लागत<br>(संशोधित लागत<br>सहित) | व्यय (31 मार्च<br>2025 तक) | विभाग                              | अधूरी<br>परियोजनाओं<br>की संख्या | अनुमानित लागत<br>(संशोधित लागत<br>सहित) | व्यय (31<br>मार्च 2025<br>तक) |
| 2015-16 तक                           | 24                               | 9,682.71                                | 8,376.36                   | जल संसाधन                          | 75                               | 14619.79                                | 11,074.62                     |
| 2016-17                              | 4                                | 608.29                                  | 466.33                     |                                    |                                  |                                         |                               |
| 2017-18                              | 7                                | 1,133.94                                | 967.66                     |                                    |                                  |                                         |                               |
| 2018-19                              | 5                                | 1,487.70                                | 1,240.24                   | सार्वजनिक<br>निर्माण               | 219                              | 7,079.18                                | 3,601.77                      |
| 2019-20                              | 3                                | 48.32                                   | 28.32                      |                                    |                                  |                                         |                               |
| 2020-21                              | 3                                | 82.90                                   | 51.55                      |                                    |                                  |                                         |                               |
| 2021-22                              | 30                               | 1,273.78                                | 890.47                     | जन स्वास्थ्य<br>अभियंत्रिकी        | 3                                | 409.29                                  | 678.87                        |
| 2022-23                              | 66                               | 2,324.41                                | 1,629.46                   |                                    |                                  |                                         |                               |
| 2023-24                              | 153                              | 5,413.18                                | 1,704.87                   |                                    |                                  |                                         |                               |
| 2024-25                              | 2                                | 53.03                                   | 0                          |                                    |                                  |                                         |                               |
| योग                                  | 297                              | 22,108.26                               | 15,355.26                  | योग                                | 297                              | 22,108.26                               | 15,355.26                     |

इन 297 प्रगतिरत परियोजनाओं पर अनुमानित लागत ₹ 22,108.26 करोड़ में से ₹ 15,355.26 करोड़ व्यय किया गया था (वित्तीय वर्ष 2024-25 तक)। अतः इन 297 परियोजनाओं के अपूर्ण रहने के कारण

₹ 15,355.26 करोड़ का पूंजीगत व्यय अवरुद्ध रहा, जो राज्य के संचयी पूंजीगत व्यय (₹ 3,19,315.92 करोड़) का 4.81 प्रतिशत है।

वित्तीय लेखों (2024-25) के **परिशिष्ट-IX** (सरकार की प्रतिबद्धताएँ-अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची) में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अपूर्ण होने के कारण, लेखा परीक्षा 31 मार्च 2025 तक लंबित भुगतान (भविष्य की देनदारी) की स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकी।

अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों में लंबे समय तक निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और राज्य की जनता को अपेक्षित लाभों से वंचित करता है। इन परियोजनाओं को शीघ्रता से पूर्ण करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि लाभ जनता तक पहुँच सके और अतिरिक्त लागत वृद्धि से बचा जा सके।

### स. राजकोषीय सीमा पर अप्रदत्त देनदारियाँ

यदि अप्रदत्त/स्थगित देनदारियों का समय पर निपटान नहीं किया जाता है, तो यह भविष्य में विकासात्मक एवं अवसंरचनात्मक व्यय हेतु उपलब्ध राजकोषीय सीमा को कम कर देगी। पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता की कमी उत्पन्न करने के अतिरिक्त, यह राज्य की संसाधन जुटाने की क्षमता को स्थायी रूप से प्रभावित करता है, जिससे समग्र राजकोषीय स्वास्थ्य एवं दीर्घकालिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने वर्षों से कई अप्रदत्त देनदारियाँ संचित कर रखी हैं, जिनका राजकोषीय स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। वर्ष के दौरान इनमें शामिल हैं:

- भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड जैसे वैधानिक निधियों/उपकरणों का ₹ 24.44 करोड़ का अल्प हस्तांतरण
- राजस्थान गौ-संरक्षण एवं संवर्धन कोष में ₹ 318.91 करोड़ का अल्प हस्तांतरण
- जल संरक्षण उपकरण का ₹ 9.00 करोड़ का अल्प हस्तांतरण
- ₹ 84.69 करोड़ की अप्रदत्त ब्याज देनदारियाँ
- ऋण स्टॉक में सम्मिलित न की गई बजट से इतर उधार और अन्य देनदारियाँ ₹ 9,044.58 करोड़

इन अप्रदत्त देनदारियों का संचयी मूल्य ₹ 9,481.62 करोड़ है, जो वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.56 प्रतिशत और राजकोषीय घाटे का 13.09 प्रतिशत है।

लेखा परीक्षा अनुशंसा करती है कि राज्य सरकार सभी अप्रदत्त देनदारियों का पारदर्शी रूप से प्रकटीकरण करे तथा इनके समय पर निपटान हेतु प्रावधान सुनिश्चित करे, ताकि भविष्य में राजकोषीय दबाव से बचा जा सके।

इसके अतिरिक्त, एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें राज्य सरकार ने अपनी देनदारी का अनियमित रूप से हस्तांतरण किया, विवरण नीचे दिया गया है:

### राज्य सरकार द्वारा राजमेस को देनदारी का अनियमित हस्तांतरण पर केस स्टडी

राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी (राजमेस) सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत एक संस्था है (अक्टूबर 2016)। राजमेस की स्थापना भारत सरकार द्वारा संचालित केंद्र प्रायोजित योजना "नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन और संबद्ध जिला अस्पतालों का उन्नयन" के तहत अनुमोदित कॉलेजों के संचालन और नियंत्रण के लिए की गई थी।

इस योजना के तहत, भारत सरकार ने पहले चरण में सात<sup>27</sup> जिला मुख्यालयों, दूसरे चरण में एक<sup>28</sup> जिला मुख्यालय और तीसरे चरण में 13<sup>29</sup> जिला मुख्यालयों में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की। भारतीय चिकित्सा परिषद ने इन नए मेडिकल कॉलेजों में 2,580 स्नातक और 200 स्नातकोत्तर सीटों को मंजूरी दी। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, नए मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जाएंगे और इन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए धनराशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाएगी, जिसमें धनराशि को एसएनए स्नाते में रखने का प्रावधान होगा। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को परियोजना की बढ़ी हुई लागत का पूरा भार वहन करना होगा। राजमेस द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों/सूचनाओं की जांच से पता चला कि:

1. राज्य सरकार ने 31 मार्च 2025 तक स्वीकृत निधि ₹ 4,355 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा: ₹ 2,613 करोड़, राज्य हिस्सा: ₹ 1742 करोड़) के मुकाबले ₹ 4,000.59 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा ₹ 2,406.27 करोड़, राज्य हिस्सा: ₹ 1,594.32 करोड़) हस्तांतरित किए, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा ₹ 354.41 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा ₹ 206.73 करोड़, राज्य हिस्सा ₹ 147.68 करोड़) की कम राशि जारी की गई। इससे संकेत मिलता है कि राज्य सरकार ने योजना के दिशानिर्देशों (केंद्र-राज्य अनुपात 60:40) का पालन नहीं किया और अपनी राज्य प्राप्तियों को उस अनुपात में बढ़ा दिया।
2. सात मेडिकल कॉलेजों की प्रारंभिक स्वीकृत लागत सीटों की संख्या ₹1,323 करोड़, जिसे सीटों की संख्या में वृद्धि (100 से 150) के कारण ₹ 1,623 करोड़ कर दिया गया। हालांकि, राज्य सरकार ने इस अंतर को राजमेस नामक कार्यकारी एजेंसी के माध्यम से बैंक से ऋण लेकर पूरा करने का निर्णय लिया।
3. चिकित्सा शिक्षा विभाग ने (दिसंबर 2022 में) राजमेस द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जयपुर से ₹ 897.35 करोड़ का ऋण लेने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की, जो राज्य अंश के रूप में प्रथम चरण के “नए मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों की स्थापना” की अतिरिक्त लागत के लिए है। यह पाया गया कि अब तक लिए गए कुल ₹ 673 करोड़ के ऋण (दिसंबर 2022: ₹ 448 करोड़ और मई 2023: ₹ 225 करोड़) में से ₹ 628.30 करोड़ कार्यकारी एजेंसियों को फरवरी 2023 से जुलाई 2025 के दौरान निर्माण कार्यों के लिए वितरित<sup>30</sup> किए गए हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि तत्काल उपयोग के लिए धन की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, ₹ 628.30 करोड़ में से ₹3.62 करोड़ राजमेस भवन के निर्माण के लिए भी हस्तांतरित किए गए थे।

चूंकि इस योजना के तहत राज्य अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है और नियमित रूप से राज्य बजट के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है, इसलिए अतिरिक्त लागत भी राज्य सरकार द्वारा ही वहन की जानी थी क्योंकि योजना के तहत निर्मित परिसंपत्तियां भी राज्य सरकार की हैं।

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इन तथ्यों को स्वीकार किया (जनवरी 2026) और अवगत कराया कि राजमेस द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए ऋणों का उपयोग संशोधित लागत में अंतर को पूरा करने के लिए किया गया था।

27. भरतपुर, चूरू, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, बाड़मेर और सीकर

28. धौलपुर

29. श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोंही, दौसा, हनुमानगढ़, अलवर, करौली, बूंदी, बारां, बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनूं और सवाई माधोपुर

30. 2022-23: ₹ 134.38 करोड़, 2023-24: ₹ 240.59 करोड़, 2024-25: ₹ 205.10 करोड़, 2025-26: ₹ 48.22 करोड़



हालांकि, राजमेस द्वारा योजना के तहत राज्य अंश के रूप में अतिरिक्त लागत की भरपाई के लिए लिया गया ऋण अनियमित है, क्योंकि योजना के दिशानिर्देशों में यह प्रावधान था कि बड़ी हुई परियोजना लागत का पूरा भार राज्य सरकार को ही वहन करना होगा। इसलिए, अंतर निधि के लिए लिए गए ₹ 673 करोड़ के ऋण की देनदारी राज्य सरकार को अपने संसाधनों से वहन करनी चाहिए थी।

## 1.6 निष्कर्ष

राज्य की राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 11.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन बजट अनुमानों की तुलना में यह 14.07 प्रतिशत कम रही। कुल राजस्व प्राप्ति में से 55.80 प्रतिशत हिस्सा राज्य के अपने संसाधनों से आया, जबकि केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायतार्थ अनुदान का योगदान मिलाकर 44.20 प्रतिशत रहा, यह स्थिति दर्शाती है कि राजस्थान की राजकोषीय स्थिति भारत सरकार पर निर्भरता को दर्शाती है।

वर्ष 2024-25 में पूंजीगत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 1.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह मुख्य रूप से ऋण-आधारित बनी हुई है, जिसमें लगभग 82.07 प्रतिशत राशि आंतरिक ऋण से प्राप्त हुई है।

वर्ष 2024-25 में कुल व्यय में 11.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2020-25 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का प्रमुख घटक रहा, जो 89.44 प्रतिशत से 91.90 प्रतिशत के बीच था। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का सापेक्षिक हिस्सा 10.23 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष की तुलना में मामूली रूप से 9.89 प्रतिशत बढ़ा।

राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा वर्ष 2020-21 में 58.29 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 55.08 प्रतिशत हो गया, तथा यह पिछले वर्ष (56.04 प्रतिशत) की तुलना में भी थोड़ा कम हुआ। प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व प्राप्तियों के साथ अनुपात वर्ष 2020-21 में 77.39 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 65.24 प्रतिशत हो गया, और यह पिछले वर्ष (66.78 प्रतिशत) की तुलना में भी थोड़ा कम रहा।

अर्थ-सहाय्य का परिमाण तथा राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में हिस्सा निरंतर बढ़ता रहा। वर्ष 2024-25 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अर्थ-सहाय्य क्रमशः 14.97 प्रतिशत और 12.64 प्रतिशत रही। वर्ष 2024-25 के दौरान अर्थ-सहाय्य पर भुगतान (₹ 34,024 करोड़) पिछले वर्ष (₹ 28,402 करोड़) की तुलना में 19.79 प्रतिशत बढ़ गया।

राज्य सरकार लगातार बारह वर्षों तक राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा लक्ष्य हासिल करने में असफल रही। राजस्व घाटा वर्ष 2023-24 के ₹ 38,955 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 41,950 करोड़ हो गया, तथा इसी अवधि में राजकोषीय घाटा भी वर्ष 2023-24 के ₹ 65,580 करोड़ से बढ़कर ₹ 72,420 करोड़ हो गया।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान, उधारों का एक बड़ा हिस्सा पूंजी निर्माण के बजाय पूर्व ऋणों के पुनर्भुगतान में प्रयुक्त हुआ। वर्ष 2024-25 में कुल उधारी (सार्वजनिक ऋण एवं अन्य दायित्व) का 81.98 प्रतिशत पूर्व उधारी (मूलधन) और अन्य दायित्वों के पुनर्भुगतान में उपयोग किया गया। इससे विकासात्मक व्यय हेतु सीमित राजकोषीय गुंजाइश उपलब्ध रहा, जो पूंजीगत प्राप्तियों का वर्तमान उपभोग के वित्तपोषण में उपयोग को दर्शाता है।



31 मार्च 2025 तक ₹ 11,958.49 करोड़ के राजस्व बकाया आकलन में विलंब के कारण लंबित थे, जिनमें से ₹ 4,139.07 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया थे।

मार्च 2025 के अंत में, नकद शेष ₹ 799 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने सामान्य और विशेष मार्गोपाय अग्रिम का 271 दिनों तक उपयोग किया और ₹ 180.01 करोड़ का ब्याज भुगतान किया।

## 1.7 सकारात्मक पहलू

राज्य सरकार के राजकोषीय प्रबंधन के सकारात्मक पहलू निम्नलिखित हैं:

- राजस्थान सरकार ने ऋणों के परिशोधन के लिए वर्ष 2024-25 में समेकित सिंकिंग फंड की स्थापना की।
- बकाया देयता-जीएसडीपी अनुपात, एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर था।
- प्रत्याभूति कमीशन नियमित रूप से प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ) में जमा किया जा रहा है और जीआरएफ का कोष दिशा-निर्देशों के अनुसार वांछित स्तर पर पहुंच गया है।
- वर्ष 2024-25 के दौरान, बकाया प्रत्याभूति का अनुमानित प्राप्तियों के साथ अनुपात 23.99 प्रतिशत रहा, जो एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा (60 प्रतिशत) के भीतर था।

## 1.8 सिफारिशें

### 1. राजस्व पूर्वानुमान और संकलन को सुदृढ़ बनाना

- वित्त विभाग को त्रैमासिक राजस्व पूर्वानुमान समीक्षा तंत्र स्थापित करना चाहिए ताकि बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियों के बीच विचलन, विशेषरूप से स्व-कर राजस्व में न्यूनतम हो।
- संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने से पहले, विभागवार अंतर विश्लेषण किया जाना चाहिए और सुधारात्मक उपायों का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।
- स्व-कर राजस्व-जीएसडीपी अनुपात बढ़ाने हेतु एक लक्षित रोडमैप तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें मापनीय वार्षिक मील के पथर निर्धारित हों।

### 2. व्यय की गुणवत्ता में सुधार

- सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उधारी का उपयोग क्रमिक रूप से पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण की ओर उन्मुख हो, न कि राजस्व व्यय के वित्तपोषण के लिए।
- कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत का न्यूनतम मानक निर्धारित किया जाए और इसका वार्षिक रूप से अनुश्रवण किया जाए।
- प्रमुख राजस्व व्यय मदों के लिए परिणाम-आधारित निगरानी लागू की जाए, ताकि व्यय की प्रभावशीलता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

### 3. प्रतिबद्ध व्यय को नियंत्रित करना

- ब्याज भार को कम करने के लिए ऋण पुनर्गठन या स्वैप रणनीतियों के माध्यम से ब्याज लागत की आवधिक समीक्षा पर विचार किया जाए।

### पेंशन देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन

राज्य सरकार को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कुल पेंशन देनदारियों का स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन कराना चाहिए। इस मूल्यांकन में मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, मुद्रास्फीति सूचकांक, सारांशीकरण और वैकल्पिक परिदृश्यों के अंतर्गत संवेदनशीलता विश्लेषण से संबंधित उचित मान्यताएँ शामिल होनी चाहिए। मूल्यांकन को समय-समय पर अद्यतन किया जाए, अधिमानतः प्रत्येक दो से तीन वर्षों में, ताकि दीर्घकालिक दायित्वों का यथार्थ आकलन हो सके।

### परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन ढाँचे का संस्थागतकरण

राज्य सरकार दीर्घकालिक पेंशन देनदारियों का व्यापक आकलन करने और उन्हें राजकोषीय स्थिरता उद्देश्यों के अनुरूप बनाने के लिए एक औपचारिक परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) ढाँचा स्थापित करना चाहिए। ऐसे आकलन से प्राप्त प्रक्षेपणों को मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति विवरण में सम्मिलित किया जाए, ताकि सूचित राजकोषीय योजना संभव हो सके।

### समर्पित पेंशन कोष की स्थापना

पुरानी पेंशन योजना के जारी रहने की स्थिति में, राज्य एक अलग पेंशन स्थिरता कोष स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत नियोक्ता अंशदान की समाप्ति से प्राप्त बचत, साथ ही एनएराडीएल/पीएफआरडीए या अन्य संबंधित स्रोतों से प्राप्त शेष राशि को इस कोष में जमा किया जावे। इस कोष का पेशेवर प्रबंधन किया जाए और विवेकपूर्ण निवेश रणनीति अपनाई जाए, ताकि मध्यम और दीर्घकाल में पेंशन देनदारियों की संभावित वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके।

### उन्नत राजकोषीय पारदर्शिता

राज्य को एफआरबीएम दस्तावेजों में वार्षिक प्रकटीकरण करना चाहिए, जिसमें पेंशन देनदारियों का वर्तमान मूल्य, निहित पेंशन ऋण तथा अनुमानित पेंशन-से-राजस्व अनुपात शामिल हो। ऐसे प्रकटीकरण पारदर्शिता बढ़ाएंगे और दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता के सुदृढ़ आकलन में सहायता करेंगे।

### 4. ऋण स्थिरता को सुदृढ़ करना

ऋण-से-जीएसडीपी प्रक्षेप पथ को एफआरबीएम अधिनियम के लक्ष्यों के अनुरूप किया जाए, जिसके लिए चरणबद्ध राजकोषीय समेकन अपनाया जाए।

### 5. अनुदान प्रबंधन और समयबद्ध हस्तांतरण में सुधार

- सभी वित्त आयोग अनुदान निर्धारित समयसीमा के भीतर हस्तांतरित किए जाएँ, ताकि ब्याज देनदारियों से बचा जा सके।
- विभागवार अनुदान ट्रैकिंग डैशबोर्ड तैयार किया जाए, जिसमें प्राप्ति, हस्तांतरण और उपयोग की स्थिति प्रदर्शित हो।
- सरकारी लेखों के बाहर अनुदान जमा करने की प्रथा बंद की जाए, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

#### **6. आकलन और बकाया वसूली में सुधार**

- राजस्व उत्पन्न करने वाले विभागों में आकलन मामलों के लिए समयबद्ध निपटान लक्ष्य निर्धारित किए जाएं, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र समाधान हो सके।

#### **7. नकदी और तरलता प्रबंधन में सुधार**

- राज्य सरकार को अधिक कुशल नकद प्रबंधन प्रणाली लागू करनी चाहिए, ताकि मार्गोपाय अग्रिमों का न्यूनतम उपयोग हो।

#### **8. उपकर का समयबद्ध मिलान**

- सभी उपकर और अधिभार का मिलान कर उन्हें समय पर नामित सरकारी खातों में हस्तांतरित किया जाए, जिससे राजकोषीय पारदर्शिता और बेहतर कोष प्रबंधन सुनिश्चित हो, और एफआरबीएम लक्ष्यों का पालन किया जाए और बजट से इतर उधारों का प्रकटीकरण किया जाए।

#### **9. आनुपातिक शुल्कों की समीक्षा**

- राज्य सरकार को पूंजीगत परियोजनाओं पर लगाए जाने वाले आनुपातिक (प्रोरेटा) प्रभारों की समीक्षा और युक्तिकरण करना चाहिए, ताकि ये प्रभार परियोजनाओं से संबंधित वास्तविक स्थापना लागत, कार्य-आधारित स्टाफ लागत तथा संयंत्र एवं मशीनरी व्यय को उचित रूप से प्रतिबिंबित करें, इससे राजस्व व्यय को नकारात्मक रूप में दर्शाने से रोका जा सकेगा।